SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

लेखापरीक्षा प्रकाश

153वां अंक
जनवरी से जून 2026

हिंदी गृह पत्रिका

इज़राइल के राज्य नियंत्रक एवं लोकपाल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर

इज़राइल के प्रतिनिधिमंडल के साथ समारोह।

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

लेखापरीक्षा प्रकाश

एक सौ तिरपनवाँ अंक

हिंदी गृह पत्रिका

जनवरी-जून, 2026

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली-110124

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

स्वत्वाधिकार
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

प्रकाशन
'लेखापरीक्षा प्रकाश' (हिंदी गृह पत्रिका)

प्रकाशक
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय, नई दिल्ली-110124

एक सौ तिरपनवां अंक (जनवरी-जून, 2026)

पत्रिका परिवार

मुख्य संरक्षक
श्री के. संजय मूर्ति
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संरक्षक
श्री के.एस. सुब्रमण्यम,
उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
एवं
डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी
अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

संपादक मण्डल

प्रधान संपादक
श्री भवानी शंकर
महानिदेशक (राजभाषा)

संपादक
श्री अनुराग प्रभाकर
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

सहायक संपादक
श्री मोहन प्रकाश
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

रचना चयन समिति
श्री भवानी शंकर
महानिदेशक (राजभाषा)
श्री अनुराग प्रभाकर
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
श्री संदीप
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
सुश्री नमिता सिंह
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अनुक्रमणिका

1.	संदेश		3
2.	महानिदेशक (राजभाषा) की डेस्क से		4
3.	पाठकों से दो शब्द		6
4.	आपके पत्र		8
	लेख		
5.	उत्तर-पूर्व भारत : विविधता, संस्कृति और संभावनाएँ	कमल	13
6.	बेंगलुरु से श्री विजयपुरम की यात्रा	कुमार अग्निवेश	16
7.	'ग' क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन की कठिनाइयाँ और उनके समाधान: ऐप, एल्गॉरिथ्म और मेमोरी टूल्स की भूमिका	डॉ कल्पना वर्मा	20
8.	गिरगिटासुर	शिवम् लिल्होरी 'बानगी'	25
9.	सच्ची घुमक्कड़ी :मंजिलों का नहीं, यादों के रंगों का नाम	ज्योति कुमारी	30
10.	मेरे बांके बिहारी	नमिता सिंह	33
11.	नैतिक शिक्षा	संदीप	36
12.	आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान	कुसुम लता	39
13.	महिला सशक्तिकरण	सखी कपूर	41
14.	महिला सुरक्षाः कितनी विधिक और कितनी वास्तविक	सुदेश कुमारी	44
15.	'राष्ट्रीय युवा दिवस:' युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रेरणास्रोत	डॉ. लाखा राम	49
16.	गाँव की छुट्टियाँ और बचपन की स्मृतियाँ	राहुल	52
17.	मध्यम वर्ग : मौन में जीता हुआ संघर्ष	विनोद कुमार यादव	56
18.	परंपरा, संस्कृति,रीति-रिवाज एवं त्योहारों की सांस्कृतिक आत्मा "बिहार"	श्री समीर कुमार साव	59
19.	'माँ भंगायणी' धार्मिक-क्षेत्र महात्म्य	अनुराधा सूद	62
20.	आत्म निर्भरता बनाम परस्पर निर्भरता	वेद प्रकाश फोन्दणी	66
21.	ई-कार्यालय	अक्षय कुमार	70
22.	आर्थिक संप्रभुता के जोखिम: कारण और निवारण	डॉ नीलोत्पल गोस्वामी	73
	कहानी		
23.	ICED, जयपुर: सीख, संवेदना और सह अस्तित्व की अनूठी यात्रा	अमरजीत कुमार	79
24.	लाड़ला बेटा	आशुतोष राय	81
25.	गायब फाइल का रहस्य : एक ऑडिट गाथा	रविंद्र कुमार	83
26.	धुली की दीपावली	कृष्णमुरारी गर्ग	87
	कविता		
27.	"सेल्फी बनाम चांटा"	आरती शर्मा	90
28.	मैं आगे बढ़ती हूँ...	डॉ कल्पना वर्मा	93
29.	आप — अब एक स्मृति	नमिता सिंह	95
30.	गुप्त काल के स्वर्ण युग की स्वर्ण धरा "पटना"	नीतीश कुमार	96
31.	पुण्य उपहार	बृजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी	98
32.	मित्रता	अंशुल पंत	99
33.	लड़के भी रोते हैं	संदीप	100
34.	पिता: हर पल हर कदम साथ	सुमन	102
	प्रेरक प्रसंग		
35.	घमंड और साधना	लेखापरीक्षा डेस्क से	105
36.	जब पाप मानने से बजा घंटा		107
37.	मुख्यालय समाचार		
38.	डिजाइन एवं साज सज्जा रचना	सुश्री चिन्मोइ गोस्वामी, कला इतिहासकार	

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी, आईएएएस
अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
Dr. Nilotpal Goswami, IA&AS
Addl. Deputy Comptroller & Auditor General

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
Office of Comptroller and Auditor General of India

संदेश

पिछले कुछ सालों से तकनीक के क्षेत्र में एआई या कृत्रिम बुद्धिमत्ता का नाम चर्चा में छाया हुआ है। इस तकनीक ने मशीन में मनुष्य की भांति सोचने समझने की क्षमता विकसित करने का दावा किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं इसकी सहयोगी संस्थाएं भी इसके महत्व को पहचान कर इसे केंद्र में रखकर कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। हमारे देश ने भी नई दिल्ली में फरवरी 2026 में इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन कर दुनिया को ये बताया कि तकनीक को अपनाने में वह भी किसी देश से पीछे नहीं।

कुछ लोग तकनीक के संसार में एआई के आगमन को एक अपशकुन की आहट मान रहे हैं। उन्हें लगता है कि एआई अपने मानव सदृश व्यवहार से कार्य क्षेत्र में मानवों की आवश्यकता को श्नै: श्नै: कम कर देगा। इस संबंध में मैंने इस पत्रिका के पिछले 152वें अंक में अपने लेख "कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उजला पक्ष" में अपने विचारों को रखा था। वास्तव में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के अनुप्रयोगों के संबंध में निराशावादियों द्वारा उठाई जा रही अधिकांश शंकाएँ निर्मूल हैं। अपितु कुछ स्थानों पर तो इसका अनुप्रयोग रोजगारों के सृजन में सहायक सिद्ध होगा।

राजभाषा में इस जादुई तकनीक का अनुप्रयोग शासकीय कार्यों में राजभाषा का प्रयोग करने की दिशा में एक अहम पड़ाव होगा। यह सभी हितधारकों के मध्य संचार का एक प्रभावी एवं सक्षम उपकरण होगा। राजभाषा के अनुप्रयोग में इस तकनीक को बढ़ावा देना वास्तव में सम्पूर्ण संचार प्रणाली के लिए क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग को सशक्त और सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम सिद्ध होगा। वर्तमान में हम पूरे संगठन के स्तर पर अनुवाद के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग कर रहे हैं जिसका उपयोग बाद में रिपोर्ट के लिए भी किया जा सकता है।

देश, काल, परिस्थितियों एवं समाज की परस्पर अन्योन्य क्रियाओं के फलस्वरूप काल के हर खंड में नवीन शब्दों का निर्माण होता ही रहता है। इन "बाहरी" शब्दों पर हम अपनी भाषा के व्याकरण के नियमों को आरोपित कर उन शब्दों को अपना बना लेते हैं जैसे स्कूल (अँग्रेजी), कुर्सी (अरबी), कमीज़ (स्पेनिश), पिस्तौल (पुर्तगाली) या बहादुर (तुर्की) आदि। हमारे विभाग ने वर्ष 1991 में एक ऐसे शब्दकोश का निर्माण किया था जिसमें विशेषतः भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग द्वारा प्रयुक्त अँग्रेजी शब्दों एवं उनके सभी संभावित अर्थों को संकलित किया गया था। शब्द भंडार की इस परिवर्तनशील प्रवृत्ति को दृष्टिगत रखते हुए आज हम सूचना एवं प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के डीआईबीडी प्रखण्ड के सहयोग से कार्यान्वित कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों ने भी लेखापरीक्षा एवं लेखा कार्य में प्रयुक्त शब्दों के भंडार को अद्यतन करने हेतु अपने स्तर पर कई नए शब्दों एवं वाक्यांशों का सुझाव दिया। अब तक हमारा विशेष शब्दभंडार करीब बारह हजार शब्दों के आसपास पहुँच चुका है। हमारा प्रयास सभी क्षेत्रीय कार्यालयों के साथ कार्यशालाओं के माध्यम से इस कार्य को एक व्यावहारिक स्वरूप प्रदान करना है जिससे शासकीय कार्य को अपनी भाषा में संपादित करते समय हमें शब्दों के अभाव अथवा लिप्यंतरण का सामना न करना पड़े और हम सहज भाव से शासकीय कार्य से अपने जुड़ाव को अनुभव कर सकें। राजभाषा के शासकीय कार्यों में प्रयोग को केंद्र में रखते हुए यह कार्य बड़ा है, दूरगामी प्रभाव डालने वाला है और चिरस्थायी है। आइए, हम सब इसका स्वागत करें।

सादर

आपका

डॉ. नीलोत्पल गोस्वामी

महानिदेशक (राजभाषा) की डेस्क से

विश्व के पाँच शक्तिशाली देशों अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका, युनाइटेड किंगडम, फ्रांस, रूस एवं चीन में से दो देश अपना आधिकारिक कार्य अँग्रेजी में संपादित करते हैं। इनमें से किसी भी देश में मार्च 2025 तक अँग्रेजी आधिकारिक भाषा नहीं थी। मार्च 2025 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने कार्यकारी आदेश संख्या 14224 के द्वारा अँग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया। भारत में हमें यह सौभाग्य प्राप्त है कि हम अपना आधिकारिक या सरकारी कार्य अपनी घोषित आधिकारिक भाषा हिन्दी में कर सकते हैं। दो सौ वर्षों के औपनिवेशिक शासन के परिणामस्वरूप सरकारी कार्यों का अँग्रेजी में सम्पादन न केवल संवैधानिक अपितु प्रशासनिक बाध्यता भी बन चुकी है। यदि हम विश्व परिदृश्य पर दृष्टिपात करें तो पाएंगे कि विश्व में करीब 178 देशों में कम से कम एक आधिकारिक भाषा अवश्य है। इनमे से 77 देशों में मात्र एक आधिकारिक भाषा है जबकि 101 देशों में एक से अधिक आधिकारिक भाषाएँ सरकारी कार्य हेतु विहित की गई हैं। यदि भारत के पड़ोस में देखें तो श्रीलंका (सिंहली और तमिल) और पाकिस्तान (अँग्रेजी और उर्दू) में भी सरकारी कार्यों के लिए दो आधिकारिक भाषाओं को मान्यता दी गई है जबकि बांग्लादेश में बांग्ला, नेपाल में देवनागरी लिपि में नेपाली जबकि भूटान में जोंगखा (Dzongkha) आधिकारिक भाषाएँ हैं। स्पष्ट है कि एशियाई देशों में भाषा की चेतना राष्ट्र की आत्मा के गौरव को परिलक्षित करती है। बहुविध संस्कृतियों के प्रदेशों वाले भारत के हिस्से में यह सौभाग्य था कि उसे अनेकों भाषाएँ मिलें। इन भाषाओं के माध्यम से इस महान देश की अनेकों संस्कृतियाँ एक सूत्र में बंधीं हुईं हैं। प्रशासनिक कार्यों की दृष्टि से भी ये भाषाएँ भारत को एक संघीय इकाई के रूप में बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 एवं नियम 1976 ने शासकीय कार्यों में भारत के सभी 29 राज्यों एवं 7 संघ शासित क्षेत्रों में फैले हुए संघ सरकार के सभी कार्यालयों में एकरूपता स्थापित करने में अभूतपूर्व योगदान दिया है।

समय के साथ साथ भाषाओं एवं उनके प्रयोगों मे परिवर्तन होता रहता है। नवीन शब्द जुडते रहते हैं एवं पुराने शब्दों का प्रयोग सीमित हो जाता है। हालांकि सरकारी कार्यों की अधिकृत भाषा में उस गति से परिवर्तन नहीं होते जिस तरह भाषा के प्रयोग के अन्य क्षेत्रों जैसे साहित्य व सामान्य बोलचाल के क्षेत्रों में होते हैं। कुछ दशक पूर्व ये परिवर्तन मंथर गति से होते थे परंतु विगत कुछ वर्षों में हुई तकनीकी प्रगति के कारण अब ये परिवर्तन द्रुत गति से हो रहे हैं और उसी गति से अपनाए भी जा रहे हैं।

आप सभी अवगत होंगे कि हमारे विभाग में भी पिछले कुछ महीनों से ऐसी ही प्रक्रिया चल रही है। विभागीय शब्दकोश में नए वाक्यांशों एवं शब्दों को जोड़ने का कार्य चल रहा है। यह कार्य इलेक्ट्रोनिक एवं तकनीकी विभाग के भाषिणी प्रभाग के सहयोग से संपादित किया जा रहा है। हर्ष की बात है की इस कार्य में आप सभी ने बढ़-चढ़ कर

योगदान दिया है। आपके निरीक्षणों में भी यह देखा जा रहा है कि आप सरकारी कार्यों में राजभाषा के प्रयोग को औपचारिकता न समझ कर व्यक्तिगत स्तर पर उसे क्रियान्वित भी कर रहे हैं। हमारे क्षेत्रीय कार्यालयों के राजभाषा अनुभागों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक कार्य अनुवाद कार्य भी है। इस कार्य के अच्छे सम्पादन हेतु यह आवश्यक है कि हमारे पास एक स्तरीय शब्दकोश हो जिसमें एक विशाल शब्द भंडार हो जो लिप्यंतरण पर कम से कम आधारित हो। हमने अपने शब्दकोश में लगभग बारह हजार शब्द जोड़ लिए हैं और यह प्रक्रिया अनुवाद कार्य के सम्पादन के दौरान अनवरत चलती रहेगी। इस शब्द संसाधन में अनुवाद अधिकारियों का एक महत्वपूर्ण योगदान होगा।

अतः यह स्पष्ट है कि राजभाषा कार्य में दिया गया कोई भी योगदान पद स्तर निरपेक्ष है अर्थात छोटे पद पर कार्यरत होते हुए भी बड़ा योगदान दिया जा सकता है। इस प्रकार कार्य के इस नर परिवेश में सभी अधिकारियों – कर्मचारियों के लिए समान अवसर है।

अंत में आप सभी की कुशलता की कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। पत्रिका का नवीनतम अंक आपके हाथ में है। इसका पारायण करें एवं इसके बारे में हमे अपने विचारों से अवगत कराएं। आपसे पत्रिका के बारे में जानना हमें बहुत अच्छा लगेगा।

आपका

भवानी शंकर
महानिदेशक (राजभाषा)

पाठकों से दो शब्द

प्यारे साथियों,

आप सभी को मेरा ह्रदय से अभिवादन !

हमारी पत्रिका के माध्यम से हमें एक बार फिर से संवाद करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इस अवसर का लाभ हम एक दूसरे से जुडने के लिए करते हैं। पत्रिका के प्रकाशन की हर आवृत्ति पर यह जुड़ाव और गहरा हो जाता है। यूँ तो आप सभी हमसे कार्यालय के माध्यम से तो संपर्क करते ही हैं परंतु इस अनौपचारिक संपर्क की बात ही अलग है। हम सभी अपनी जीवनरेखा में उतार चढ़ावों के बिन्दुओं का सामना करते रहते हैं। ऐसे प्रत्येक बिन्दु पर हमारे ह्रदय में अनेक प्रकार के भाव उमड़ते रहते हैं। इन भावों एवं ह्रदयोद्गारों का अभिव्यक्त होना शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक रूप से आवश्यक है। पत्रिका आप सभी के अपने ह्रदयोद्गार को हिन्दी में, अर्थात आपकी अपनी भाषा में अभिव्यक्त करने का अवसर देती है।

आगामी कुछ दिन त्यौहारों के हैं। स्वाभाविक है कि इनमे आपकी सहभागिता से ये आपकी ऊर्जस्विता, आपसी सौहार्द्र, प्रेम एवं उल्लास में वृद्धि करेंगे। आशा है कि पत्रिका के आगामी अंकों में आप पत्रिका के माध्यम से इन त्यौहारों में अपनी सहभागिता के नयनाभिराम चित्र एवं अपने अनुभव अवश्य साझा करेंगे।

इसके आगे तो बस यही कहना है कि आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का अच्छी तरह से ध्यान रखें। सकारात्मकता बनाए रखें और सदैव प्रसन्न रहें।

चलते चलते आपके मनोबल के उत्थान के लिए बहुत जल्द मिलने के वादे के साथ आपको निम्न पंक्तियों के साथ छोड़े जाता हूँ।

गो फ़स्ले-ख़िज़ाँ है फिर भी तो कुछ फूल चमन में बाक़ी हैं,
ऐ नंगे-चमन तू इस पर भी काँटों का हार पिरोता है?

अंजामे-अमल की फ़िक्र न कर, है ज़िक्र भी इसका नंगे-अमल,
जो करना है तुझको कर ले, वोह होने दे जो होता है

तूफ़ाने-मुसीबत तेज़ सही, लेकिन यह परेशानी कैसी?
कश्ती को बीच समन्दर में क्यों अपने आप डुबोता है?

सदैव आपका,

अनुराग प्रभाकर

पत्रिका में अपनी रचनाएं प्रकाशित करने हेतु लेखकों के लिए अनुदेश

1. रचना वर्ड सॉफ्ट कॉपी में ही भेजी जाए। यदि भौतिक प्रति भेजी जा रही है तो मंगल फॉन्ट मे फॉन्ट साइज़ 12 रखते हुए पृष्ठ के एक ओर टंकित करके निम्न पते पर भेजें।
2. कृपया लेख के साथ (i) मौलिकता प्रमाणपत्र, (ii) फोटो, (iii) नाम एवं पदनाम, (iv) कार्यरत (संविदा पर नहीं)/सेवानिवृत्त (यदि कार्यरत हैं तो अनुभाग); (v) यदि सेवा निववृत्त हैं तो, कार्यालय के दौरान पदनाम; (vi) मूल कार्यालय का नाम और पता संपर्क संख्या के साथ (कार्यरत अैर सेवानिवृत्त दोनों का); (vii) वर्तमान कार्यालय का नाम, पता और संपर्क संख्या (यदि कार्यरत हैं तो); (viii) लैंडमार्क के साथ वर्तमान आवासीय पता, (ix) ई-मेल एवं मोबाइल नम्बर भी संलग्न करें, बैंक खाता विवरण संलग्न करें।
3. यदि पत्रिका के वर्तमान अंक के लिए पर्याप्त रचनाओं की संख्या प्राप्त हो चुकी हो तो उसी रचना को अगले अंक के लिए आरक्षित कर लिया जाता है। अत: लेखकों से निवेदन है कि अपनी रचना के प्रकाशन के संबंध में अनावश्यक पूछताछ न करें।
4. संभव हो तो संबंधित पत्र व्यवहार भी राजभाषा में करने का प्रयास करें।
5. सॉफ्ट कॉपी में रचना भेजने का पता:- **ईमेल:** anuragp.cag@cag.gov.in **Contact: 9402275468**

आपके पत्र

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I),
पश्चिम बंगाल
ट्रेजरी बिल्डिंग्स, 2, गवर्मेंट प्लेस (पश्चिम),
कोलकाता – 700 001

सत्यमेव जयते

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE PRINCIPAL
ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I),
WEST BENGAL
TREASURY BUILDINGS, 2, GOVT. PLACE (WEST),
KOLKATA-700 001
Ph. (033) 2213-3151/52, Fax (033) 2213-3174
e-mail : agauwestbengal1@cag.gov.in

संख्या:हिन्दी कक्ष/लेखापरीक्षा प्रकाश/250 दिनांक: 16.01.2025

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा),
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
राजभाषा अनुभाग, 10 बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली - 110124

विषय : पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के 149-वें अंक की पावती संबंधी।

महोदय/महोदया,

आपके पत्र सं. 667-रा.भा.अ./2018-I, दिनांक 30.12.2024 के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित "लेखापरीक्षा प्रकाश" के 149वें- अंक की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त हुई।

पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा एवं संरचना आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं विशेष रूप से सुश्री सुनीता की रचना ''बच्चों का निजता का अधिकार'', श्री राजीव भाटिया की रचना ''आइये भविष्य को जाने'', श्री अनुराग प्रभाकर की रचना ''प्रेरक प्रसंग'', श्री चाँद सिंह दहिया की रचना ''जिंदगी का सफर'', इत्यादि सराहनीय है। आशा है कि यह पत्रिका हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए उपयोगी सिद्ध होगी।

यह पत्रिका निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर रहें, इसी शुभकामना सहित आपकी पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" की उज्जवल भविष्य हेतु शुभकामनाएं।

इसे उप महालेखाकार (प्रशा.) महोदय के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

शंकर लाल प्रकार 16.01.2025
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी (हिंदी)

क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान
भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
20, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001

REGIONAL CAPACITY BUILDING & KNOWLEDGE INSTITUTE
Indian Audit & Accounts Department
20, Sarojini Naidu Marg, Prayagraj – 211001

पत्रांक- क्षे.क्ष.नि.ज्ञा.सं.(प्र.)/पत्रिका पावती(132)/2025-26/ 81 **दिनांक : 11.05.2026**

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली - 110124

विषयः- 'लेखापरीक्षा प्रकाश' पत्रिका के 152वें अंक की पावती का प्रेषण ।

संदर्भः- पत्रांक 233/रा.भा.अ./95-2025 दिनांक 17.04.2026.

महोदय,

मुख्यालय की राजभाषा पत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के 152वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। इसके लिए सादर धन्यवाद।

राजभाषा पत्रिका में प्रकाशित लेख, कहानियाँ एवं कविताएँ अत्यंत प्रभावशाली, ज्ञानवर्धक तथा साहित्यिक दृष्टि से समृद्ध हैं। **"साइबर अपराध की समस्या"** जैसे समसामयिक विषय पर जागरूकता प्रदान करने तथा **"कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उजला पक्ष"** जैसा नवीन एवं विचारोतेजक लेख पाठकों को नई दृष्टि प्रदान करती हैं। **"ज्ञान, भक्ति और माया"** तथा **"मीडिया में हिंदी"** जैसे लेखों में भाषा की गंभीरता एवं विषय की गहराई स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। वहीं **"धरोहर", "जादू"** और **"चालीस के बाद की रफ़्तार"** जैसी कहानियों ने मानवीय संवेदनाओं एवं सामाजिक यथार्थ को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। कविताओं में **"प्रकृति का आँचल : एक अनमोल धरोहर", "मेहनत रंग लाएगी", "साहस"** एवं **"खो गया कहाँ... रिश्तों का सम्मान"** जैसी रचनाओं ने भावनात्मक अभिव्यक्ति, सामाजिक चेतना तथा सकारात्मक संदेश के माध्यम से पाठकों को विशेष रूप से प्रभावित किया है।

हिंदी भाषा के प्रचार-प्रसार तथा साहित्यिक अभिरुचि को प्रोत्साहित करने में योगदान अत्यंत सराहनीय है। पत्रिका के बेहतरीन संपादन हेतु संपादक मंडल को हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की निरंतर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं ।

भवदीय,

11.5.26
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/सलाहकार

Phone:- 0532-2423485 Fax : 0532-2423485 E-mail- rtiallahabad@cag.gov.in

क्र/हिन्दी कक्ष/फा-33/जावक-66

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
छत्तीसगढ़, रायपुर

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(AUDIT) CHHATTISGARH, RAIPUR

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

दिनांक/Date 23/03/2026

प्रति ,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली -110124

विषय: पत्रिका **"लेखापरीक्षा प्रकाश"** के 150वें एवं 151वें अंक की पावती का प्रेषण बाबत ।

महोदय/महोदया

आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित कार्यालीन त्रैमासिक पत्रिका **"लेखापरीक्षा प्रकाश"** के 150वें एवं 151वें अंक का ई-संस्करण पत्रिका प्राप्त हुई । पत्रिका का यह अंक भेजने हेतु आपका हार्दिक आभार। भेजी गई पत्रिका में संकलित सभी रचनाएँ पठनीय, रुचिकर एवं प्रेरणा दायक हैं । इस पत्रिका में सामाजिक जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रेरक एवं ज्ञानवर्धक लेख लिखे गए हैं ।

राजभाषा हिन्दी के प्रचार-प्रसार में यह पत्रिका महत्वपूर्ण योगदान दे रही है । सभी रचनाकारों एवं संपादक मण्डल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए हार्दिक बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए शुभकामनाएँ ।

भवदीय,
23/3/26
(यशवंत कुमार वर्मा)
सहायक निदेशक/राजभाषा

पोस्ट – विधान सभा, जीरो पॉइंट, रायपुर, छत्तीसगढ़ – 492005
Post- Vidhan Sabha, Zero Point, Raipur, Chhattisgarh – 492005
फोन/Phone: 0771-2281401 फैक्स/Fax : 2582505 ईमेल/Email : agauchhattisgarh@cag.gov.in

---

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी),तमिलनाडु,
361, अन्ना सलाई, तेनामपेट, चेन्नई- 600 018
OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A & E), TAMILNADU,
361, ANNA SALAI, TEYNAMPET, CHENNAI- 600 018
टेलीफ़ोन नं/Phone No.: 044-24324530 फैक्स नं/Fax No.: 044-24320562
ई-मेल/Email: agaetamilnadu@cag.gov.in

सं. हिंदी कक्ष/ Hindi Cell /लेप.प्र./LPP/17/2026-27/ 288 दिनांक- 02.04.2026

सेवा में, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा) भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का कार्यालय 10, बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग नई दिल्ली - 110124 **rajbhashaanubhag@cag.gov.in**	To, The Senior Administrative Officer (OL) Office of the Comptroller & Auditor General of India 10, Bahadurshah Zafar Marg New Delhi - 110124

विषय: आपकी हिंदी गृह पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश " के **151** वें अंक की पावती के संबंध में।

महोदय,

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक हिंदी गृहपत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के एक सौ इक्यावनवें (151-वें) अंक का ई-संस्करण प्राप्त हुआ। इसके लिए सहर्ष धन्यवाद। इस अंक का कलेवर, साज- सज्जा, मुद्रण स्पष्टता के कारण बहुत ही आकर्षक और मनोहरी है। विभिन्न प्रकार की रचनाओं से सजी आपकी पत्रिका हिन्दी कार्यान्वयन की दिशा में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ उच्च कोटि की अत्यंत रोचक, पठनीय एवं सराहनीय हैं। इस अंक में प्रकाशित **श्री सचिन सिंह द्वारा रचित "अनिश्चित जीवन और बेवजह की चिंताएं", श्री सुमित द्वारा रचित "पुस्तकों की महत्ता", श्री मुनीष भाटिया द्वारा रचित "बोझ नहीं है बुजुर्ग", श्री जय प्रकाश द्वारा रचित "हिंदी एक परोपकारी भाषा", श्री राजीव भाटिया द्वारा रचित "आश्रय"**, यथार्थ में प्रवाहमयी है। इसके अलावा कविता **जैसे- कुछ करने की पहल, जनधन के प्रहरी, हर सुबह के नाम एक वादा, निजी यादों के नूर, मेरी अभिलाषा** विशेष रूप से उल्लेखनीय है। राजभाषा हिन्दी के प्रचार प्रसार में विभागीय रचनाकारों को उत्कृष्ट सृजनात्मक मंच प्रदान करने में आपकी इस पत्रिका की भूमिका महत्वपूर्ण है। पत्रिका के सभी रचनाकारों एवं संपादक मंडल को पत्रिका के सफल प्रकाशन के लिए बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति के लिए हार्दिक शुभकामनाएं।

धन्यवाद।

भवदीया,
S.B. Rujani
वरिष्ठ उप महालेखाकार(प्रशा.)

1

3/18/26, 5:28 PM PDF.js viewer
फाईलसं.हि.अ./ले.एवंहक./05/पत्रिकाप्रतिभाव/2024-25 I/1356574/2026

प्रधान महालेखाकार (ले0&ह0) का कार्यालय
बीरचंद पटेल पथ,
पटना, बिहार - 800001

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (A&E),
BIRCHAND PATEL PATH
PATNA, BIHAR - 800001

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

पत्रांक/ Letter No.:- हिं.अ./ले. व हक./5/पत्रिका प्रतिभाव/25-26/ 163
दिनांक/ Date:- 18.03.2026

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा),
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली-110124

विषय: हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के 151वें अंक की अभिस्वीकृति एवं प्रतिक्रिया।

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" का 151वां अंक ई-मेल के द्वारा प्राप्त हुआ है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ एवं साज-सज्जा सुन्दर एवं आकर्षक है। पत्रिका राजभाषा के प्रसार के साथ-साथ भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से भी अत्यंत प्रभावशाली है। इस अंक में निहित सभी रचनाएँ उच्चस्तरीय एवं रोचक हैं; विशेषकर निम्नलिखित रचनाकारों की रचनाएं अत्यधिक प्रशंसनीय हैं :-

क्रम सं.	रचनाएँ	रचनाकार
1.	अनिश्चित जीवन और बेवजह की चिंताएं	श्री सचिन सिंह
2.	बोझ नहीं हैं बुजुर्ग	श्री मनीष भाटिया
3.	पछतावा	श्री अमित उपाध्याय
4.	मुश्किलों का हल	श्री हरिओम कुमार
5.	हर सुबह के नाम एक वादा	श्रीमती कुसुम लता
6.	मेरी कल्पना में श्री राधा-कृष्ण की होली	श्रीमती नमिता सिंह

पत्रिका के आगामी अंकों के लिए शुभकामनाएं।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से निर्गत किया गया है।

भवदीय,
Digitally signed by
SUNIL KUMAR
Date: 18-03-2026
17:24:26
सहायक निदेशक (राजभाषा)

Phone: 0612-2225634 **Fax: 0612-2221056** **Email: agaebihar@cag.gov.in**

https://cag.eoffice.gov.in/efile/#draft/1000CAG0001921391/2/view?source=FILE&documentId=F000CAG0000287299&viewParam=eyJkb2N1bWV... 1/1

Scanned with OKEN Scanner

पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के 152 वें अंक के प्रेषण के संबंध में। **anuragp.cag** < anuragp.cag@cag.gov.in >

MOUSUMI CHOUDHARY < mousumic.asm.au@cag.gov.in >
Fri, 15 May 2026 4:07:31 PM +0530

To "Anurag Prabhakar"<anuragp.cag@cag.gov.in>

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपके कार्यालय दवारा प्रकाशित पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के 152 वें अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई। पत्रिका में समाविष्ट रचनाएं सराहनीय हैं। पत्रिका में समाविष्ट लेख "कलाम" प्रेरणादायी है। "कृत्रिम बुद्धिमता का उजला पक्ष" समसामयिक विषय पर आधारित उपयोगी लेख है। व्यंग्य में लिपटा हास्यपूर्ण लेख "मच्छर की मर्मभरी पुकार: कोई मेरा भी प्रेमी हो" एक अच्छी कृति है। कविताओं की श्रेणी में "गोतनियों का रिश्ता", "अनुवाद", "हिंदी कार्यशाला विशेष", "हर्फ की उड़ान" पठनीय है। पत्रिका का आवरण पृष्ठ भी अत्यंत मनोहर है। राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार के लिए व पत्रिका के प्रकाशन हेतु आपका पत्रिका परिवार विशेष बधाई का पात्र है।

"लेखापरीक्षा प्रकाश" पत्रिका के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं सहित।

भवदीया,
सहायक निदेशक (राजभाषा),
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), असम।

प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा का कार्यालय
रेलवे, गुवाहाटी – 781 011

OFFICE OF THE PRINCIPAL DIRECTOR OF AUDIT
RAILWAY, GUWAHATI – 781 011

संख्या- ***प्रशासन/10-4/2025/82(2)/भाग-II/***1081
दिनांक- ***24.03.2026***

सेवा में,

महानिदेशक (राजभाषा),
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली – 110 124

विषय- *गृहपत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के एक सौ इक्यावनवें (151-वें) अंक की ई-प्रति के संबंध में।*
संदर्भ- *पत्र सं. 92/रा.भा.अ./95-2025, दिनांक: 27.02.2026*

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके कार्यालय द्वारा प्रकाशित गृहपत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के एक सौ इक्यावनवें (151-वें) अंक की ई-प्रति प्राप्त हुई, सादर धन्यवाद। पत्रिका का मुख-पृष्ठ एवं आंतरिक साज-सज्जा आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाएं मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक हैं। विशेषकर, श्री सुमित की रचना 'पुस्तकों की महत्ता', श्री मनीष भाटिया की रचना 'बोझ नहीं हैं बुजुर्ग' श्री गोविन्द कुमार द्वारा रचित लेख 'महिलाओं के प्रति समाज की मानसिकता' तथा सुश्री ऐनी जीजो की कविता 'मेरी अभिलाषा' प्रशंसनीय हैं।

पत्रिका के उत्तम संयोजन एवं संपादन हेतु संपादक मण्डल को बधाई एवं पत्रिका की उत्तरोत्तर प्रगति हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

यह पत्र प्रधान निदेशक लेखापरीक्षा के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।

भवदीय,

उ. चन्द्र 24/3/26

निदेशक (प्रशासन)

हिंदीप्रकोष्ठ/35/पत्रिकासेसंबंधितसराहना/2022-23/ I/1397884/2026

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) मेघालय, शिलांग
एम.जी.रोड, सचिवालय हिल्स, गवर्नर हाउस के सामने, पिन-793001

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E) MEGHALAYA, SHILLONG
MG Road, Secretariat Hills, Opposite to Governor House, PIN-793001

संख्या/हिंदीप्रकोष्ठ/35/पत्रिका से संबंधित सराहना/2021/34 दिनांक: 17.04.2026

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा),
राजभाषा अनुभाग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
ई-मेल – anuragp.cag@cag.gov.in

विषयः- कार्यालय की गृहपत्रिका - '**लेखापरीक्षा प्रकाश**' के 151वें अंक की पावती के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर पत्र सं. 92/रा.भा.अ./95-2025 दिनांक 27.02.2026 द्वारा आपके कार्यालय की गृहपत्रिका - '**लेखापरीक्षा प्रकाश**' के 151वें अंक की ई-प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुई है, एतद् धन्यवाद। पत्रिका का बाह्य आवरण बहुत ही सुन्दर एवं आकर्षक है। पत्रिका में प्रकाशित समस्त लेख एवं रचनाएं ज्ञानवर्धक, प्रेरक एवं सराहनीय है। पत्रिका के सफल संपादन हेतु संपादक मण्डल, लेखकों एवं रचनाकारों को हार्दिक बधाई। पत्रिका के समस्त लेख/रचनाएं प्रशंसनीय है, विशेष रूप से निम्नलिखित लेख :-

अनूठी प्रेरणा	श्री कुमार सौरभ
बोझ नहीं हैं बुजुर्ग	श्री मुनीष भाटिया
भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं का योगदान	श्रीमती सुदेश कुमारी
संयुक्त परिवार	श्री संदीप
पंचतंत्र (एक संकलन)	श्रीमती स्वाति कुमारी
आश्रय	श्री राजीव भाटिया
वजूद	श्री अमरेंद्र कुमार चौधरी

आपके कार्यालय की गृहपत्रिका - '**लेखापरीक्षा प्रकाश**' के अग्रिम अंक तथा इसके निरंतर प्रगति एवं उज्ज्वल भविष्य हेतु हार्दिक शुभकामनाएं।

भवदीय,

Digitally signed by
Snigdha Phukan
Date: 17-04-2026
18:02:24
सहायक निदेशक (राजभाषा)

कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, प्लॉट नंबर 5, सैक्टर 33-बी, दक्षिण मार्ग, चण्डीगढ़-160 020

OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT) HARYANA, PLOT NO. 5, SECTOR 33-B, DAKSHIN MARG, CHANDIGARH-160 020

संख्या: हिंदी कक्ष/पत्रिका/प्रतिक्रिया/2026-27/34 **दिनांक/Dated:** 24 **.04.2026**

सेवा में,

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय
10, बहादुर शाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली

विषय - **कार्यालय की गृह पत्रिका 'लेखापरीक्षा प्रकाश' के एक सौ बावनवें अंक का प्रेषण।**

महोदय/महोदया,

आपके कार्यालय की हिंदी पत्रिका '**लेखापरीक्षा प्रकाश**' की ई-प्रति प्राप्त हुई है। एतदर्थ धन्यवाद। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएं रुचिकर, भावयुक्त एवं उद्देश्यपूर्ण हैं। विशेषकर मेरी हिंदी यात्रा, शक्ति,सौन्दर्य एवं संघर्ष का प्रतीक, कौन हो तुम, जीवन का सार, हक़ की उड़ान, साहस आदि। पत्रिका में मौलिक सोच और अभिव्यक्ति की गहनता समाहित हैं। पत्रिका की साज-सज्जा और विषयों का प्रस्तुतीकरण अत्यंत मनमोहक है।

पत्रिका के माध्यम से राजभाषा हिंदी के सृजनात्मक उत्थान हेतु आपके कार्यालय के समस्त कार्मिकों द्वारा किया गया प्रयास अति सराहनीय हैं। पत्रिका के आगामी अंक एवं उज्ज्वल भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाओं सहित।

भवदीय,

सहायक निदेशक
(रा.भा.)

हि.क./लेखापरीक्षाप्रकाश/2020-21 I/1437209/2026

कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा-I)
पंजाब , चंडीगढ़ -160017
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (AUDIT-I)
PUNJAB , CHANDIGARH-160017
फैक्स: 0172- 2703149 दू.भा-0172- 2783168
email: agaupunjab@cag.gov.in

आज़ादी का अमृत महोत्सव

क्रमांकः रा.अ./लेखा परीक्षा प्रकाश/ 2026-27/I/1437209/2026 दिनांक:18-05-2026

सेवा में

महानिदेशक (राजभाषा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय ,
10, बहादुरशाह ज़फर मार्ग,
नई दिल्ली-110124.

विशेष ध्यानार्थ : वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (राजभाषा)
विषय : पत्रिका "लेखापरीक्षा प्रकाश" के 152 वें अंक का प्रेषण।
संदर्भ : मुख्यालय का पत्र सं.- 233 /रा.भा.अ./95-2025, दिनांक: 17.04.2026

महोदय,

संदर्भित पत्र के साथ त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका "लेखापरीक्षा-प्रकाश" **के 152 वें अंक** के ई-संस्करण की प्रति ई-मेल के माध्यम से प्राप्त हुई। पत्रिका प्रेषण हेतु सादर आभार। पत्रिका का मुख पृष्ठ एवं आंतरिक साज- सज्जा अत्यंत आकर्षक व मनमोहक है। पत्रिका में समाहित सभी रचनाएँ उच्चकोटि की हैं। रचनाओं के मध्य छाया चित्र भी अत्यंत सार्थक एवं विषयानुकूल हैं। पत्रिका के **152 वें** अंक में संकलित **श्री धीरज कुमार रॉय का लेख 'मीडिया में हिंदी' , श्री कृष्ण मुरारी जयपुरियार का लेख 'ज्ञान, भक्ति और माया' , सुश्री रिंकी गुप्ता की कविता 'खो गया कहाँ....रिश्तों का सम्मान', श्री सुमित कुमार की कविता 'जीवन का सार', श्री मुनीष भाटिया की कहानी 'धरोहर' बहुत ही ज्ञानवर्धक एवं विचारोत्तेजक हैं ।**

उत्कृष्ट श्रेणी के संयोजन एवं संपादन के लिए संपादक मण्डल के सभी सदस्यों को हार्दिक बधाई तथा हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार के लिए प्रयासरत आपकी पत्रिका "लेखापरीक्षा-प्रकाश" के उज्ज्वल भविष्य के लिए 'सुगन्धा' परिवार की हार्दिक शुभकामनाएं ।

यह पत्र महालेखाकार महोदय की अनुमति से जारी किया गया है।

भवदीय
RANDEEP KAUR AUJLA
प्रवर उपमहालेखाकार (प्रशासन)

Digitally signed by
Randeep Kaur Aujla
Date: 18-05-2026
12:34:39

लेख

मंडला कला

उत्तर-पूर्व भारत : विविधता, संस्कृति और संभावनाएँ

कमल
लेखापरीक्षक,
प्रधान महालेखाकार (लेखा.),
हरियाणा, चंडीगढ़

भूमिका

भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र, जिसे सामान्यतः 'नॉर्थ ईस्ट' कहा जाता है, देश का वह अनमोल भाग है जहाँ प्रकृति, संस्कृति, इतिहास और आधुनिक संभावनाएँ एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। यह क्षेत्र भारत की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामरिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण कड़ी है। उत्तर-पूर्व भारत में आठ राज्य सम्मिलित हैं—अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम। ये राज्य अपनी विशिष्ट पहचान, जनजातीय परंपराओं, भाषाई विविधता, समृद्ध जैव-विविधता और सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाने जाते हैं।

यद्यपि ऐतिहासिक रूप से यह क्षेत्र मुख्यधारा के विमर्श में अपेक्षाकृत कम दिखाई देता रहा है, परंतु वर्तमान समय में उत्तर-पूर्व भारत विकास, संपर्क, पर्यटन, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। यह रचना उत्तर-पूर्व भारत की भौगोलिक विशेषताओं, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक-सांस्कृतिक विविधता, आर्थिक संभावनाओं, चुनौतियों और भविष्य की दिशा पर विस्तृत प्रकाश डालती है।

भौगोलिक स्थिति और प्राकृतिक संपदा

उत्तर-पूर्व भारत भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत विशिष्ट है। यह क्षेत्र हिमालय की पूर्वी श्रेणियों, ब्रह्मपुत्र और बराक नदियों की घाटियों, घने वर्षा-वनों, पहाड़ी इलाकों और समृद्ध जल-संसाधनों से परिपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश में हिमालय की ऊँची पर्वतमालाएँ हैं, जबकि असम में ब्रह्मपुत्र की विशाल और उपजाऊ घाटी स्थित है। मेघालय अपने पठारी स्वरूप, भारी वर्षा और जीवंत गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है।

यह क्षेत्र भारत के सबसे अधिक वर्षा वाले इलाकों में सम्मिलित है। चेरापूंजी और मौसिनराम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाले स्थानों में गिने जाते हैं। यहाँ की जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियाँ जैव-विविधता के लिए अनुकूल हैं। उत्तर-पूर्व भारत को भारत का 'जैव-विविधता हॉटस्पॉट' भी कहा जाता है। यहाँ दुर्लभ वनस्पतियाँ, औषधीय पौधे, पशु-पक्षी और कीट-पतंगे पाए जाते हैं।

नदियाँ इस क्षेत्र की जीवनरेखा हैं। ब्रह्मपुत्र न केवल कृषि और परिवहन का आधार है, बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का भी अभिन्न हिस्सा है। जलविद्युत की अपार संभावनाएँ भी इसी क्षेत्र में निहित हैं, जो भविष्य में स्वच्छ ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत बन सकती हैं।

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उत्तर-पूर्व भारत का इतिहास प्राचीन, समृद्ध और बहुस्तरीय रहा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों के संपर्क में रहा है। वैदिक साहित्य, पुराणों और प्राचीन ग्रंथों में भी इस क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। कामरूप राज्य (वर्तमान असम) प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण केंद्र था।

मध्यकाल में अहोम वंश ने असम पर लगभग छ: शताब्दियों तक शासन किया और मुग़ल आक्रमणों का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। इस काल में प्रशासन, कृषि और सांस्कृतिक विकास हुआ। अन्य राज्यों में भी स्थानीय राजवंशों और जनजातीय शासन प्रणालियों ने सामाजिक संरचना को आकार दिया।

औपनिवेशिक काल में ब्रिटिश शासन ने चाय बागानों, रेलवे और प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से इस क्षेत्र को आधुनिक व्यवस्था से जोड़ा। किंतु साथ ही, औपनिवेशिक नीतियों के कारण सामाजिक-आर्थिक असंतुलन और पहचान से जुड़े प्रश्न भी उभरे। स्वतंत्रता के बाद, उत्तर-पूर्व भारत ने भारतीय संघ के साथ संवैधानिक और लोकतांत्रिक ढांचे में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखी।

जनजातीय समाज और सांस्कृतिक विविधता

उत्तर-पूर्व भारत की सबसे बड़ी पहचान इसकी सांस्कृतिक और जनजातीय विविधता है। यहाँ सैकड़ों जनजातियाँ निवास करती हैं, जिनकी अपनी-अपनी भाषाएँ, परंपराएँ, वेशभूषा, लोककथाएँ और रीति-रिवाज हैं। नागा, मिज़ो, खासी, गारो, बोडो, मिश्मी, आपातानी, आदि जनजातियाँ इस क्षेत्र की सामाजिक संरचना को जीवंत बनाती हैं।

यहाँ की भाषाई विविधता भी उल्लेखनीय है। तिब्बती-बर्मी, इंडो-आर्यन और ऑस्ट्रो-एशियाटिक भाषा परिवारों की भाषाएँ यहाँ बोली जाती हैं। असमिया, मणिपुरी, बोडो, मिज़ो, खासी और अनेक जनजातीय भाषाएँ दैनिक जीवन का हिस्सा हैं।

त्योहार उत्तर-पूर्व भारत की संस्कृति का प्राण हैं। बिहू (असम), हॉर्नबिल (नागालैंड), चापचार कुट (मिज़ोरम), वांगला (मेघालय), लोसार (सिक्किम) जैसे त्योहार कृषि, प्रकृति और सामुदायिक जीवन से जुड़े हैं। नृत्य और संगीत इन उत्सवों की आत्मा हैं, जो सामूहिकता और आनंद का संदेश देते हैं।

कला, हस्तशिल्प और खान-पान

उत्तर-पूर्व भारत की कला और हस्तशिल्प उसकी सांस्कृतिक पहचान को सजीव रूप देते हैं। बाँस और बेंत से बने उत्पाद, हथकरघा वस्त्र, पारंपरिक आभूषण और लकड़ी की नक्काशी यहाँ की विशिष्ट पहचान हैं। असम का मखमली रेशम—मूगा, एरी और पाट—विश्वभर में प्रसिद्ध है।

खान-पान में भी प्रकृति का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। चावल, मछली, बाँस की कोपलें, स्थानीय जड़ी-बूटियाँ और किण्वित खाद्य पदार्थ आम हैं। भोजन सरल, पौष्टिक और स्थानीय संसाधनों पर आधारित होता है। यह खान-पान न केवल स्वाद में अलग है, बल्कि स्वास्थ्य की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है।

आर्थिक संरचना और विकास की संभावनाएँ

उत्तर-पूर्व भारत की अर्थव्यवस्था पारंपरिक रूप से कृषि, वानिकी और हस्तशिल्प पर आधारित रही है। चाय उत्पादन में असम का विश्व में अग्रणी स्थान है। इसके अतिरिक्त, रबर, बाँस, मसाले, फल-सब्जियाँ और मत्स्य पालन भी आर्थिक गतिविधियों के महत्वपूर्ण घटक हैं।

हाल के वर्षों में सरकार द्वारा संपर्क और आधारभूत संरचना के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, रेल, हवाई संपर्क और डिजिटल कनेक्टिविटी में सुधार से व्यापार और निवेश की संभावनाएँ बढ़ी हैं। 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के अंतर्गत उत्तर-पूर्व भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रवेश द्वार बन सकता है।

पर्यटन इस क्षेत्र की एक और बड़ी संभावना है। प्राकृतिक सौंदर्य, वन्यजीव, साहसिक पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन और आध्यात्मिक स्थल पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यदि पर्यावरण-संतुलन बनाए रखते हुए पर्यटन का विकास किया जाए, तो यह स्थानीय रोजगार और आय सृजन का सशक्त माध्यम बन सकता है।

शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक परिवर्तन

शिक्षा और स्वास्थ्य किसी भी क्षेत्र के समग्र विकास के आधार स्तंभ होते हैं। उत्तर-पूर्व भारत में साक्षरता दर में सुधार हुआ है, और उच्च शिक्षा के कई प्रतिष्ठान स्थापित हुए हैं। जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा तक पहुँच बढ़ाने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं।

स्वास्थ्य सेवाओं में भी प्रगति हुई है, किंतु दूरदराज़ और पहाड़ी इलाकों में अभी भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियाँ और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएँ, दोनों का समन्वय यहाँ देखने को मिलता है। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया में महिलाएँ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं; कई जनजातीय समाजों में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से सशक्त रही है।

चुनौतियाँ एवं समाधान

उत्तर-पूर्व भारत के विकास पथ में कई चुनौतियाँ भी हैं। भौगोलिक दुर्गमता, सीमित औद्योगीकरण, पर्यावरणीय संवेदनशीलता, और ऐतिहासिक कारणों से उत्पन्न असंतोष जैसे मुद्दे समय-समय पर सामने आते रहे हैं।

इन चुनौतियों के समाधान के लिए समावेशी विकास, स्थानीय सहभागिता और संवेदनशील नीति-निर्माण आवश्यक है। शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देकर युवाओं के लिए अवसर सृजित किए जा सकते हैं। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को प्राथमिकता देना अनिवार्य है।

उत्तर-पूर्व भारत का भविष्य

उत्तर-पूर्व भारत का भविष्य संभावनाओं से भरा हुआ है। यह क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विविधता का जीवंत उदाहरण है और एशिया के साथ संपर्क का महत्वपूर्ण सेतु भी। यदि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन बनाए रखा जाए, तो उत्तर-पूर्व भारत न केवल राष्ट्रीय, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित कर सकता है।

युवाओं की ऊर्जा, प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता और सांस्कृतिक समृद्धि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत हैं। आवश्यकता है तो केवल दूरदर्शी नीति, सामाजिक सद्भाव और सामूहिक प्रयास की।

उपसंहार

उत्तर-पूर्व भारत केवल भौगोलिक क्षेत्र नहीं, बल्कि विचारों, परंपराओं और संभावनाओं का संगम है। इसकी विविधता ही इसकी शक्ति है। इस क्षेत्र को समझना और सम्मान देना, भारत की समग्र पहचान को समझने जैसा है। जब उत्तर-पूर्व भारत आगे बढ़ता है, तब पूरा देश उसके साथ प्रगति की राह पर चलता है। यही इस क्षेत्र का संदेश और महत्व है।

बेंगलुरु से श्री विजयपुरम की यात्रा

कुमार अग्निवेश
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
महालेखाकार का कार्यालय (लेखा व हक),
मणिपुर इम्फाल

बेंगलुरु के अपने निवास स्थान से निकलते समय मन में एक अलग ही उत्साह था। यह सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत नहीं थी, बल्कि नए स्थानों, नए अनुभवों और अनजान रास्तों से मिलने की उत्सुकता भी साथ थी।

मैंने अपने नज़दीकी रेलवे स्टेशन बैयप्पनहाली से केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा हाल्ट तक रेल मार्ग से यात्रा की। शहर की भीड़-भाड़ से दूर, हरियाली और शांत वातावरण के बीच से गुजरता 45 मिनट का यह सफर बेहद सुखद और आनंददायक था। स्टेशन की साफ-सफाई और सुव्यवस्था भी प्रभावशाली लगी। सबसे रोचक बात यह थी कि यहाँ के स्क्रीन बोर्ड पर ट्रेनों की बजाय उड़ानों की जानकारी दिखाई जा रही थी। इस हालत से एअरपोर्ट टर्मिनल हेतु निःशुल्क शटल बस की सुविधा से मैं आसानी से एयरपोर्ट पहुँच गया। केम्पेगोवडा हवाई अड्डे की भव्यता ने मुझे बहुत आकर्षित किया। यहाँ हवाईअड्डे पर विश्वस्तरीय सुविधाओं का अनुभव मिलता है।

एयरपोर्ट पर सुरक्षा जाँच के बाद मैं बोर्डिंग गेट तक पहुँचा। वहीं पता चला कि मेरी उड़ान थोड़ी विलंबित है। इस समय का उपयोग मैंने एयरपोर्ट लाउंज में किया, जहाँ स्थानीय व्यंजनों का स्वाद लेने का अवसर प्राप्त हुआ। कुछ देर बाद बोर्डिंग की घोषणा हुई और मैं विमान में सवार हो गया। चालक दलों द्वारा सुरक्षा निर्देश देने के बाद विमान ने रनवे पर गति पकड़ी और कुछ ही क्षणों में आकाश की ओर उड़ान भर ली। अंतर्मन से मैंने भगवान को याद करते हुए मैंने अपनी यात्रा का पहला चरण प्रारंभ किया।

बेंगलुरु से चेन्नई तक का सफर लगभग एक घंटे का था। जैसे-जैसे हम चेन्नई के पास पहुँचे, मौसम अचानक बिगड़ने लगा। बादलों की घनी परतों और विमान के हल्के झटकों से मन में थोड़ी चिंता हुई, लेकिन पायलट की कुशलता से हम सुरक्षित लैंड कर गए। चेन्नई एयरपोर्ट पर कुछ समय का ठहराव था। वहाँ का वातावरण व्यवस्थित था, लेकिन बेंगलुरु एयरपोर्ट की तुलना में सुविधाएँ थोड़ी कम लगीं। कुछ घंटे की प्रतीक्षा के बाद सुबह 6.00 बजे अगली उड़ान की घोषणा हुई और मैं फिर से बोर्डिंग के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी की| फिर कुछ ही क्षणों में विमान से रनवे से उडान भरी और इस बार विमान के उड़ते ही नीचे फैला विशाल नीला समुद्र दिखाई देने लगा। चारों ओर जल ही जल, और बीच-बीच में छोटे-छोटे द्वीप—यह दृश्य मन को मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। कुछ घंटों पश्चात मैं आखिरकार पोर्ट ब्लेयर, यानी श्री विजयपुरम, पहुँच गया। श्रीविजयपुरम पोर्ट ब्लेयर का नवीन नाम है, सितम्बर 2024 में भारत सरकार ने औपनिवेशिक विरासत से मुक्ति एवं चोल साम्राज्य की समुद्री विरासत को सम्मान देते हुए नाम में परिवर्तन किए। ताज़ी हवा,थोड़ी धूप, हरियाली और समुद्र की सुगंध ने गर्मजोशी से स्वागत किया। एयरपोर्ट पर करीब 30 मिनट की प्रतीक्षा के बाद मैंने अपने सामान प्राप्त कर अतिथि गृह की ओर प्रस्थान किया जो एयरपोर्ट से लगभग 3 किलोमीटर थी|

सुबह नौ बजे के आसपास यात्रा का पहला दिन शुरू हुआ। सबसे पहले मैं अबरडीन बाज़ार पहुँचा। यह बाज़ार ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और औपनिवेशिक काल से स्थानीय लोगों के लिए व्यापर का केंद्र रहा है। आज भी यहाँ देश के अलग-अलग हिस्सों से आए लोगों की विविधता देखने को मिलती है।

घूमते-घूमते मैंने एक स्थानीय दुकान पर नाश्ते के रूप में इडली और गरम चाय का आनंद लिया। साधारण होने के बावजूद यह नाश्ता उस सुबह को खास बना गया। इसके बाद मैं कार्बाइन कोव बीच हेतु प्रस्थान किया। नीला

समुद्र, नारियल के पेड़ और शांत वातावरण के साथ यह स्थान आत्मीय सुकून प्रदान करने वाला था। कुछ देर समुद्र किनारे टहलते हुए मैंने उस पल को पूरी तरह महसूस किया।

दोपहर में लौटकर कुछ समय के लिए मैंने विश्राम किया और शाम के लिए तैयार हुआ। शाम होते-होते मैं सेल्युलर जेल पहुँचा, जिसे काला पानी के नाम से भी जाना जाता है। श्रीविजयपुरम में सेल्युलर जेल का लाइट एवं साउंड कार्यक्रम बहुत विख्यात है। रात में आयोजित लाइट एंड साउंड शो मेरा इस दिन हेतु सबसे भावनात्मक अनुभव रहा। प्रकाश एवं ध्वनि के माध्यम से स्वतंत्रता संग्राम की जो कहानी प्रस्तुत की गई, वो दिल की गहराइयों तक पहुंचा। वीर सावरकर और अन्य क्रांतिकारियों के संघर्षों की गाथा सुनकर मन गर्व और श्रद्धा से भर गया। इस समय पूरा माहौल देशभक्ति वाला हो गया। फिर इस कार्यक्रम का समापन हुआ तथा जब मैं दिन के अंत में अतिथि गृह वापस आया, तो मन में असीम संतोष और शांति थी। पहले दिन की यात्रा ने मुझे स्थानीय जीवन, प्रकृति की सुन्दरता एवं इतिहास के पन्नों का एक सुंदर मिश्रण प्रदान किया|

यात्रा का दुसरा दिन:

दूसरे दिन की शुरुआत भी एक खुबसूरत सुबह की ताज़गी के साथ हुई। अतिथिगृह के पास स्थित नारियल पानी के दुकान से नारियल पानी पीकर मैं अबरडीन बाज़ार के पास स्थित बस स्टॉप पहुँचा। जहाँ से मुझे बाराटांग द्वीप हेतु अग्रिम टिकट लेना था| चूँकि इस बार की यात्रा मैं अकेले कर रहा था इसलिए मेरे लिए सरकारी एसी बसें मेरे लिए सबसे किफायती विकल्प था| मैंने यहाँ बाराटांग जाने वाले बस के बारे में जानकारी ली जहाँ से मुझे बाराटांग जाने हेतु एसी बस की जानकारी मिली जिसका एक तरफ का किराया 200 रूपए था अर्थात आने-जाने का 400 रूपए| मैंने यहाँ से बाराटांग द्वीप हेतु अग्रिम टिकट ले लिया और इसके पश्चात मैं इसके बाद पैदल ही फीनिक्स बे जेट्टी पहुँचा, जो लगभग 1–2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था। वहाँ मैंने बैरन द्वीप के क्रूज़ के बारे में जानकारी ली, जो एक सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप था तथा जहाँ हाल में ही ज्वालामुखी उद्गार हुआ था| साथ ही हैवलॉक द्वीप, अर्थात स्वराज द्वीप, के लिए फेरी टिकट भी बुक किया। इसी बीच अंडमान प्रशासन द्वारा चलाया जा रहा एक विशेष फेरी जिसका नाम द्वीप दर्शन: हेरिटेज हार्बर क्रूज था जिसका यात्रा समय लगभग चार घंटा था एवं इस चार घंटे के सफ़र के दौरान चाथम द्वीप, वाइपर द्वीप और नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप जैसे ऐतिहासिक स्थलों को देखने का अवसर मिलता था। मैंने इसकी भी टिकट ले ली।

दोपहर तक सभी अग्रिम टिकटिंग का कार्य पूर्ण हो गया| इसके बाद इसके समीप स्थित एक बंगाली होटल में बंगाली शैली की मछली-चावल का स्वाद लिया। तबतक गर्मी भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी फिर से मैं वापस अपने अतिथि गृह चला गया एवं वहां थोडा विश्राम किया| फिर शाम के लिए मैंने एक स्कूटी किराए पर ली और अपने मित्र, जो इसी शहर में पदस्थापित थे उनके साथ वंडूर बीच की ओर निकल पड़ा। वंडूर बीच महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार है और अपनी शांत सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान अंदमान द्वीपसमूह में श्रीविजयपुरम से लगभग 30 किलोमीटर दूर स्थित है। इसकी स्थापना 1983 में समुद्री जैव विविधता, प्रवाल भितियों एवं अन्य समुद्री जीवों की रक्षा के उद्येश्य से किया गया था। वंडूर बीच अपने शांत और सुंदर समुद्र तट के लिए मशहूर है| परन्तु यहाँ मगरमच्छों के खतरे की चेतावनी वाले बोर्ड भी लगे हैं जिसने मुझे सतर्क कर दिया।

इसके बाद हम वंदुर बीच से चिड़ियाटापू के लिए निकल पड़े और जंगलों और समुद्र तटों से होते हुए चिड़ियाटापू पहुँचे। चिड़ियाटापू में पहले मैं वहाँ स्थित जैविक उद्यान का भ्रमण किया। भ्रमण के क्रम में मैंने जैविक उद्यान में मगरमच्छ और जंगली सुअर जैसे जीव देखने को मिले। यहाँ मुझे कई तरह के पक्षी एवं पेड़ भी देखने को मिले जिनकी जानकारी भी वहाँ प्रदान की गई थी।फिर मुंडा पहाड़ और चिड़ियाटापू बीच पर मनमोहक सूर्यास्त का

अद्भुत दृश्य देखा। वापसी के रास्ते में कई अन्य सुंदर बीच दिखे, लेकिन अंधेरा और सुरक्षा कारणों से हमने रुकना उचित नहीं समझा। अंततः हम अतिथि गृह लौट आए।

तीसरे दिन की शुरुआत तड़के तीन बजे हुई। इस दिन की यात्रा बाराटांग के लिए बहुत जल्दी शुरू होनी थी, इसलिए अंधेरे में ही अतिथि गृह से निकलना पड़ा। करीब आधे घंटे बाद मैं बस अड्डा पहुँचा, जहाँ सुबह चार बजे एसी बस निर्धारित थी और ठीक चार बजे एसी बस श्रीविजयपुरम से बाराटांग के लिए प्रस्थान की। लगभग एक घंटे बाद हम जारवा संरक्षित वन के चेकपोस्ट से पहले पहुँचे। वहाँ वाहन कुछ देर रुका, क्योंकि आगे का रास्ता पुलिस वाहन के काफिले के साथ तय करना था कुछ कागजी प्रक्रिया भी वहाँ हुई फिर थोड़ी देर बाद बस घने जंगलों के बीच आगे बढ़ी। यह क्षेत्र जारवा आरक्षित वन का हिस्सा है। जारवा जनजाति अंडमान में पाई जाने वाली अति प्राचीन जनजाति है जो आज भी बाहरी दुनिया से अलग थलग है। अंडमान प्रशासन ने उनकी संस्कृति की रक्षा हेतु उनके लिए इस क्षेत्र को आरक्षित किया है। संकरी, घुमावदार सड़कें और चारों ओर फैली हरियाली इस सफर को रहस्यमयी और रोचक बना रही थीं।

रास्ते में हमें सड़क के तरफ ही जारवा जनजाति के कुछ सदस्यों की झलक देखने को मिली। मुझे एक वक़्त ऐसा लगा मानो ये बच्चों एवं वयस्कों का समूह मेरे से कुछ मांग रहा परन्तु चालक ने उनकी ओर इशारा करते हुए मुझे बताया कि यही जारवा लोग हैं इनकी फोटो लेना या इनको किसी प्रकार का कोई भी खाद्य पदार्थ देना सख्त मना है। इसी निदेश का पालन करते हुए हमने कोई फोटो नहीं लिया और न ही किसी तरह का संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया, क्योंकि यह सख्त रूप से प्रतिबंधित है। यह अनुभव अनोखा था, लेकिन साथ ही बहुत संवेदनशील और ज्ञानवर्धक भी।

जंगल को पार करने के बाद हम बाराटांग पहुँचे। यहाँ से यात्रा नाव के माध्यम से आगे करनी थी। यात्रियों को दो समूहों में बाँटा गया और पहले हमें समंदर के दूसरी तरफ एक छोटे से फेरी में ले जाया गया फिर वहाँ से अलग-अलग नावों में बैठाया गया। इस नाव यात्रा के लिए लगभग 900 रुपये का टिकट लिया गया और लाइफ जैकेट दिए गए एवं सुरक्षा कारणों से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी करवाए गए। नाव जैसे ही मैंग्रोव के घने जंगलों में आगे बढ़ी, शांत जल, पेड़ों की जड़ें और संकरी जलधाराएँ इस सफर को बेहद रोमांचक एवं आनंददायक बना रही थीं।

नाव से उतरने के बाद लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर का पैदल सफर तय करना पड़ा। रास्ता कच्चा था, लेकिन मंग्रोव वन के प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर। हमने इस सफर को और ज्ञानवर्धक बनाने के लिए एक स्थानीय गाइड भी साथ लिया, जिसने रास्ते भर जंगल और क्षेत्र की विशेषताओं एवं चूनापत्थर गुफा जाने वाले रास्ते के बारे में रोचक जानकारी दी। इससे यात्रा और भी ज्ञानवर्धक बन गई।

कुछ देर बाद हम लाइम स्टोन केव (चूना पत्थर की गुफा) पहुँचे। गुफा के भीतर गहरा अँधेरा था और वातावरण ठंडा एवं पानी की लटकती बूंदें नजर आ रही थीं। लेकिन जैसे ही मोबाइल का प्रकाश या गाइड द्वारा प्रयोग किए जा रहे टोर्च का प्रकाश चट्टानों पर पड़ रहा था, वे सोने जैसी चमक रही थीं। इस गुफा की संरचना के बारे में गाइड ने बताया कि ये संरचनाएँ हजारों वर्षों में बनी हैं। ऊपर से बनने वाली(दूसरे अर्थों में ऊपर से लटकी हुई) संरचनाओं को स्टैलेक्टाइट्स और नीचे से बनने वाली संरचनाओं को स्टैलेग्माइट्स कहा जाता है।

इसी दौरान एक छोटा-सा अनुभव भी हुआ—मैं असंतुलित होकर गलती से गुफा की दीवार से छू गया। गाइड ने तुरंत समझाया कि ऐसा करने से इन संरचनाओं की प्राकृतिक वृद्धि प्रभावित हो सकती है, क्योंकि हाथों की

नमी और तेल उनके निर्माण में बाधा डालते हैं। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गया कि प्रकृति को समझना जितना ज़रूरी है, उसका सम्मान करना उससे भी अधिक आवश्यक है।

निष्कर्ष: सात दिनों की इस सम्पूर्ण यात्रा का यह हिस्सा प्रारंभिक तीन दिनों का विवरण है जो अपने आप में उत्साह, रोमांच और आत्मिक संतोष का सुंदर संगम है। रेल एवं हवाई यात्रा, सुंदर समुद्र तट, सेल्युलर जेल और बाराटांग की प्राकृतिक अनुभूतियों ने इन आरंभिक भाग को बेहद यादगार बना दिया।

‘ग’ क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन की कठिनाइयाँ और उनके समाधान: ऐप, एल्गॉरिथ्म और मेमोरी टूल्स की भूमिका

डॉ कल्पना वर्मा
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तेलंगाना

भारत की पहचान उसकी भाषायी विविधता में निहित है। यहाँ भाषा केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं, बल्कि संस्कृति, इतिहास और सामाजिक चेतना की संवाहक है। भारतीय संविधान ने इस विविधता को स्वीकार करते हुए बहुभाषिक ढाँचे को अपनाया और हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान के अनुच्छेद 343 में यह स्पष्ट किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी तथा लिपि देवनागरी किंतु संविधान निर्माताओं ने यह भी भली-भाँति समझा कि भाषा का प्रश्न केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि संवेदनशील सामाजिक प्रश्न है। इसी कारण हिंदी के कार्यान्वयन के लिए क्रमिक, लचीली और सहमति-आधारित नीति अपनाई गई।

राजभाषा हिंदी के प्रयोग और प्रसार के संदर्भ में भारत को ‘क’, ‘ख’ और ‘ग’ क्षेत्रों में विभाजित किया गया। जहाँ ‘क’ और ‘ख’ क्षेत्रों में हिंदी का प्रयोग अपेक्षाकृत सहज रहा, वहीं ‘ग’ क्षेत्रों में हिंदी का कार्यान्वयन एक जटिल और विवादास्पद प्रक्रिया सिद्ध हुआ। ‘ग’ क्षेत्र वे भूभाग हैं जहाँ हिंदी न तो मातृभाषा है और न ही सामान्य जनजीवन की भाषा। ऐसे क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग से जुड़ी समस्याएँ केवल भाषा तक सीमित नहीं रहतीं, बल्कि वे पहचान, राजनीति, शिक्षा और सांस्कृतिक अस्मिता से भी जुड़ जाती हैं।

यह लेख ‘ग’ क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन से उत्पन्न कठिनाइयों का समग्र अध्ययन करता है और यह स्पष्ट करने का प्रयास करता है कि किस प्रकार संतुलित दृष्टिकोण, संवैधानिक भावना और सामाजिक संवेदनशीलता के माध्यम से इन समस्याओं का समाधान संभव है।

‘ग’ क्षेत्रों की भाषायी और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि

‘ग’ क्षेत्रों में आने वाले राज्य जैसे तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम तथा पूर्वोत्तर के अन्य राज्य भाषायी दृष्टि से अत्यंत समृद्ध हैं। इन क्षेत्रों की भाषाएँ तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, बंगाली, उड़िया, असमिया, अंग्रेजी, कश्मीरी, तथा अन्य पूर्वोत्तर भाषाएँ हजारों वर्षों की साहित्यिक परंपरा की वाहक रही हैं। ऐसे में जब हिंदी को इन क्षेत्रों में लागू करने की बात की जाती है, तो यह स्वाभाविक है कि स्थानीय समाज इसे केवल एक नई भाषा के रूप में नहीं, बल्कि अपनी सांस्कृतिक अस्मिता से जुड़े प्रश्न के रूप में देखता है। भाषा यहाँ भावनात्मक चेतना से जुड़ी होती है।

हिंदी के कार्यान्वयन का संवैधानिक उद्देश्य

संविधान निर्माताओं का उद्देश्य हिंदी को किसी क्षेत्रीय भाषा के विकल्प के रूप में स्थापित करना नहीं था। डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में स्पष्ट कहा था कि हिंदी का प्रयोग संघ के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए किया जा रहा है, न कि राज्यों की भाषायी स्वतंत्रता को सीमित करने के लिए। संविधान के अनुच्छेद 351 में

यह निर्देश दिया गया है कि हिंदी का विकास इस प्रकार किया जाए कि वह भारत की विविध भाषाओं की आत्मा को समाहित कर सके।

'ग' क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन की सबसे बड़ी कठिनाई भाषायी अस्मिता से जुड़ी है। कई क्षेत्रों में यह धारणा विकसित हो गई है कि हिंदी का प्रसार स्थानीय भाषाओं के अस्तित्व के लिए खतरा है। विशेषकर तमिलनाडु में हिंदी विरोधी आंदोलनों का इतिहास इस मानसिकता को गहराई प्रदान करता है।

प्रशासनिक कठिनाइयाँ और व्यावहारिक समस्याएँ

'ग' क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन की एक बड़ी बाधा प्रशासनिक स्तर पर दिखाई देती है। अनेक सरकारी कार्यालयों में हिंदी में कार्य करने की वास्तविक क्षमता सीमित होती है। हिंदी जानने वाले कर्मचारियों की कमी, प्रभावी अनुवाद व्यवस्था का अभाव और तकनीकी शब्दावली की जटिलता प्रशासन को अंग्रेज़ी पर निर्भर बनाए रखती है। राजभाषा आयोग की विभिन्न रिपोर्टों में यह स्वीकार किया गया है कि हिंदी का प्रयोग कई बार केवल औपचारिकता भर रह जाता है।

इसके अतिरिक्त, प्रशासनिक कार्यों में प्रयुक्त हिंदी अक्सर इतनी क्लिष्ट और संस्कृतनिष्ठ होती है कि वह सामान्य जन के लिए सहज नहीं रह जाती। प्रसिद्ध लेखक हरिशंकर परसाई ने व्यंग्यात्मक रूप से कहा था कि "सरकारी हिंदी जनता से संवाद नहीं करती, उसे डराती है।" यह कथन हिंदी के व्यावहारिक उपयोग की समस्या को उजागर करता है।

शिक्षा व्यवस्था और हिंदी

'ग' क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था भी हिंदी के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकांश विद्यालयों में हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है, जिसका उद्देश्य केवल परीक्षा उत्तीर्ण करना रह जाता है। विद्यार्थियों को हिंदी के माध्यम से संवाद करने या व्यावहारिक जीवन में उसका प्रयोग करने का अवसर नहीं मिल पाता। शिक्षा आयोगों की रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि भाषा शिक्षण तब तक प्रभावी नहीं हो सकता, जब तक उसे जीवन और रोजगार से नहीं जोड़ा जाए।

हिंदी शिक्षण की पद्धतियाँ भी कई बार यांत्रिक होती हैं, जिससे विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि विकसित नहीं हो पाती। परिणामस्वरूप हिंदी उनके लिए बोझ बन जाती है, संवाद का माध्यम नहीं।

तकनीकी युग में हिंदी की चुनौतियाँ

डिजिटल युग में भाषा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है और यह केवल संचार का माध्यम नहीं रहकर ज्ञान, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और संस्कृति से जुड़ा एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। लेकिन जैसा कि पहले चर्चा हुई थी, 'ग' क्षेत्रों में हिंदी की तकनीकी उपस्थिति अभी भी सीमित है और अधिकांश प्रशासनिक प्लेटफ़ॉर्म, सॉफ्टवेयर और प्रशिक्षण अंग्रेज़ी-केंद्रित बने हुए हैं। इस समस्या का सामना इसलिए करना पड़ता है क्योंकि तकनीकी साधनों में हिंदी का सहज, उपयोगकर्ता-अनुकूल और आधुनिक संदर्भ से जुड़ा होना अभी तक पर्याप्त रूप से सुनिश्चित नहीं किया गया है। तकनीकी विशेषज्ञों के अनुसार, हिंदी को तब तक वास्तविक डिजिटल शक्ति नहीं कहा जा सकता जब तक वह डिजिटल प्रक्रियाओं में स्वाभाविक रूप से, बिना अतिरिक्त प्रयास के प्रयोग में न आए। इसी कठिनाई को ध्यान में रखते हुए सरकार और तकनीकी समुदाय ने कई अभिनव उपाय विकसित किए हैं, जिनके माध्यम से हिंदी को डिजिटल यंत्रों और सेवाओं का अभिन्न हिस्सा बनाया जा सकता है, और नीचे हम इन्हीं समाधानों पर एक विस्तृत विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं।

सबसे प्रभावशाली और व्यापक तकनीकी समाधान **भाषिणी (Bhashini)** है, जिसे भारत सरकार के **डिजिटल इंडिया कार्यक्रम** के अंतर्गत राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन के रूप में विकसित किया गया है। भाषिणी एक एआई-आधारित भाषा प्लेटफ़ॉर्म है जो भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद, बोलचाल की आवाज़ से टेक्स्ट में रूपांतरण (Speech-to-Text), टेक्स्ट-टू-स्पीच और ऑपटिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन (OCR) जैसी अत्याधुनिक तकनीकों की सहायता प्रदान करता है। यह मंच 22 अनुसूचित भाषाओं में वास्तविक समय में अनुवाद और संवाद की सुविधा उपलब्ध कराता है, जिससे भारतीय नागरिक अपनी भाषा में डिजिटल सेवाओं और सरकारी सूचनाओं तक पहुँच सकते हैं। उदाहरण के लिए, e-Shram पोर्टल अब 22 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिसका लक्ष्य रोजगार और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की पहुँच को भाषा बाधा के बिना सुनिश्चित करना है; यह सभी विवरण भाषिणी के बहुभाषी अनुवाद उपकरण के द्वारा संभव हुआ है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा भी इस पर विशेष कदम उठाए गए हैं। अब ई-ऑफिस में भाषिणी एक इन-बिल्ट प्रावधान के रूप में उपलब्ध है जिससे 'ग' क्षेत्रों के अधिकारियों को अत्यधिक सुविधा प्राप्त हुई है। इस प्रकार का एक समावेशी डिजिटल यंत्र भारतीय नागरिकों को भाषा की परिधि से मुक्त कर, प्रशासनिक सेवाओं तक सरल पहुँच प्रदान करता है।

भाषिणी का लाभ केवल अनुवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े अन्य उपकरण जैसे **अनुवादिनी (Anuvadini)** ने शिक्षा और शोध के क्षेत्र में क्रांति का उद्घोष किया है। अनुवादिनी एक एआई-आधारित बहुभाषी अनुवाद टूल है, जिसका हजारों शैक्षिक और तकनीकी पुस्तकों का अनुवाद करने में उपयोग किया जा चुका है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी मातृभाषा में गुणवत्ता-पूर्ण अध्ययन सामग्री उपलब्ध हो रही है। यह टूल अंग्रेज़ी में उपलब्ध जटिल पाठ्यक्रमों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में बदलकर सीखने की प्रक्रिया को सरल बनाता है और इससे शैक्षिक असमानताओं को कम करने में मदद मिलती है। इससे यह लाभ भी होता है कि 'ग' क्षेत्रों में हिंदी शिक्षण को लागू करने की कठिनाइयाँ कम होती हैं, क्योंकि अध्ययन सामग्री स्थानीय भाषा और हिंदी दोनों में उपलब्ध हो जाती है।

इसी प्रकार**, भारती ट्रांसलेशन टूल** भारत में विकसित एक महत्वपूर्ण भाषा प्रौद्योगिकी उपकरण है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ अडवांस्ड कम्प्यूटिंग (Centre for Development of Advanced Computing - सीडैक) द्वारा विकसित किया गया है। भारती ट्रांसलेशन टूल का मुख्य उद्देश्य विभिन्न भारतीय भाषाओं (कुल 15) और अंग्रेज़ी के बीच अनुवाद को सरल और तेज़ बनाना है। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएँ और बोलियाँ बोली जाती हैं। इस विविधता के कारण अलग-अलग भाषाओं के लोगों के बीच जानकारी साझा करना कई बार कठिन हो जाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए सी-डैक ने उन्नत कंप्यूटर तकनीकों का उपयोग करते हुए यह अनुवाद प्रणाली विकसित की। यह टूल मशीन ट्रांसलेशन तकनीक पर आधारित है, जिसमें कंप्यूटर स्वतः एक भाषा के वाक्य को समझकर दूसरी भाषा में उसका अर्थपूर्ण अनुवाद करने की कोशिश करता है।

हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच शब्द और अर्थ की पहुँच को सरल करने के लिए **ई-शब्दकोश (e-Shabdkosh)** जैसे डिजिटल शब्दकोश और संदर्भ प्लेटफ़ॉर्म का भी उपयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है। सरल शब्दों, वाक्यों, उदाहरणों और उच्चारणों के साथ दिये गए शब्दकोश व्याकरण और संवाद कौशल को मज़बूत करते हैं। इंटरनेट पर उपलब्ध शब्दकोश मंचों से लोग आसानी से हिंदी और अन्य भाषाओं के बीच पारस्परिक समझ विकसित कर सकते हैं, जिससे भाषा सीखने और उपयोग की प्रक्रिया अधिक प्रासंगिक एवं व्यवहारिक बनती है।

सिर्फ शब्दार्थ और अनुवाद ही पर्याप्त नहीं हैं, भाषा को स्वाभाविक रूप से समझने और प्रयोग करने की क्षमता विकसित करने के लिए व्याकरण और वाक्य संरचना की समझ भी जरूरी है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए **ई-वाक्यांश (e-Vaakyansh)** जैसे टूल अत्यंत उपयोगी साबित होते हैं, जो वाक्यों के सही प्रयोग, अर्थ और संरचना को समझने में सहायता करते हैं। ये टूल उपयोगकर्ताओं को वाक्यों के निर्माण, अर्थ और अनुवाद को बेहतर तरीके से समझने का अवसर देते हैं, जिससे हिंदी को सरल और प्राकृतिक रूप में तकनीकी संदर्भों से जोड़ना आसान हो जाता है। हालांकि इनमें से हर टूल का महत्व अलग-अलग परिप्रेक्ष्य में है, परन्तु इनके संयुक्त प्रयोग से भाषा सीखने, अनुवाद करने और संवाद स्थापित करने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होती है।

भाषा सीखने की प्रक्रिया को और भी सहज और रोचक बनाने के लिए **लीला (LILA-Rajbhasha)** जैसे मोबाइल आधारित स्व-शिक्षण अनुप्रयोग विकसित किए गए हैं। लीला नामक यह मल्टीमीडिया आधारित ऐप भारतीय भाषाओं के माध्यम से हिंदी सीखने के लिए एक छोटा-बड़ा, चरणबद्ध और उपयोगकर्ता-अनुकूल पैकेज प्रदान करता है जिसमें शुरुआती से लेकर उन्नत स्तर तक के पाठ्यक्रम शामिल हैं। लीला ऐप में हिंदी को धीरे-धीरे सीखने के लिए ‘प्रबोध’, ‘प्रवीण’ और ‘प्राज्ञ’ जैसे स्तरों के जरिये सीखने वाले को शब्द, वाक्य संरचना और संवाद कौशल सिखाये जाते हैं और साथ ही यह ऐप विभिन्न भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे किसी भी भाषा-बोलने वाले व्यक्ति के लिए हिंदी सीखना सरल हो जाता है।

इन सभी तकनीकी टूल्स का एकीकृत उद्देश्य यही है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं को डिजिटल प्रक्रियाओं में सहज, त्वरित और समावेशी रूप से शामिल किया जाए, जिससे भाषा की बाधा डिजिटल पहुँच को सीमित न करे। इसके अलावा, इन सभी उपायों से यह भी सुनिश्चित होता है कि सरकारी सेवाएँ, शैक्षिक सामग्री, रोजगार-सम्बंधी जानकारी और डिजिटल प्रशासन नागरिकों को उनकी अपनी भाषा में उपलब्ध हो, जिससे वे अधिक सशक्त, सक्षम और आत्मनिर्भर बनें। इसके परिणामस्वरूप सी क्षेत्रों में हिंदी की उपस्थिति सिर्फ तकनीकी रूप से नहीं बढ़ेगी, बल्कि सामाजिक और व्यावहारिक स्तर पर भी हिंदी के प्रयोग को मजबूती मिलेगी, जिससे भाषा के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा।

इस प्रकार, आधुनिक तकनीकी समाधान जैसे भाषिणी, अनुवादिनी, ई-शब्दकोश, ई-वाक्यांश और लीला ऐप न केवल भाषा की बाधाओं को दूर करते हैं, बल्कि भारतीय भाषायी विविधता को डिजिटल समावेशन के केन्द्र में रखते हैं और भाषा को लोकप्रिय, उपयोगी और व्यवहारिक बनाते हैं, जो भविष्य में हिंदी से जुड़े सभी उपयोगकर्ताओं, शिक्षण संस्थानों और प्रशासनिक प्रणाली के लिए अत्यंत लाभदायक सिद्ध होंगे।

समाधान की दिशा: सहमति और सहयोग

‘ग’ क्षेत्रों में हिंदी के कार्यान्वयन का समाधान किसी एक नीति या आदेश में निहित नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि हिंदी को प्रभुत्व की भाषा नहीं, बल्कि संवाद की भाषा के रूप में प्रस्तुत किया जाए। स्थानीय भाषाओं के साथ सहअस्तित्व की भावना विकसित की जाए और यह स्पष्ट किया जाए कि हिंदी का उद्देश्य जोड़ना है, हटाना नहीं।

प्रशासनिक स्तर पर द्विभाषी और त्रिभाषी व्यवस्था को वास्तविक रूप से लागू किया जाना चाहिए। हिंदी को सरल, बोलचाल की भाषा के निकट लाया जाए ताकि वह आम नागरिक के लिए सहज बन सके। शिक्षा में हिंदी को रोजगार, मीडिया और तकनीक से जोड़कर प्रस्तुत किया जाए, जिससे उसका व्यावहारिक मूल्य स्पष्ट हो।

निष्कर्ष

'ग' क्षेत्रों में हिंदी का कार्यान्वयन एक संवेदनशील सामाजिक प्रक्रिया है, जिसे केवल संवैधानिक प्रावधानों या प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से सफल नहीं बनाया जा सकता। इसके लिए आवश्यक है कि भाषा को सम्मान, संवाद और सहभागिता के साथ आगे बढ़ाया जाए। जब हिंदी को 'ग' क्षेत्रीय भाषा की प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि उसकी सहचरी के रूप में स्वीकार किया जाएगा, तभी वह वास्तव में राष्ट्रीय संपर्क भाषा की भूमिका निभा सकेगी।

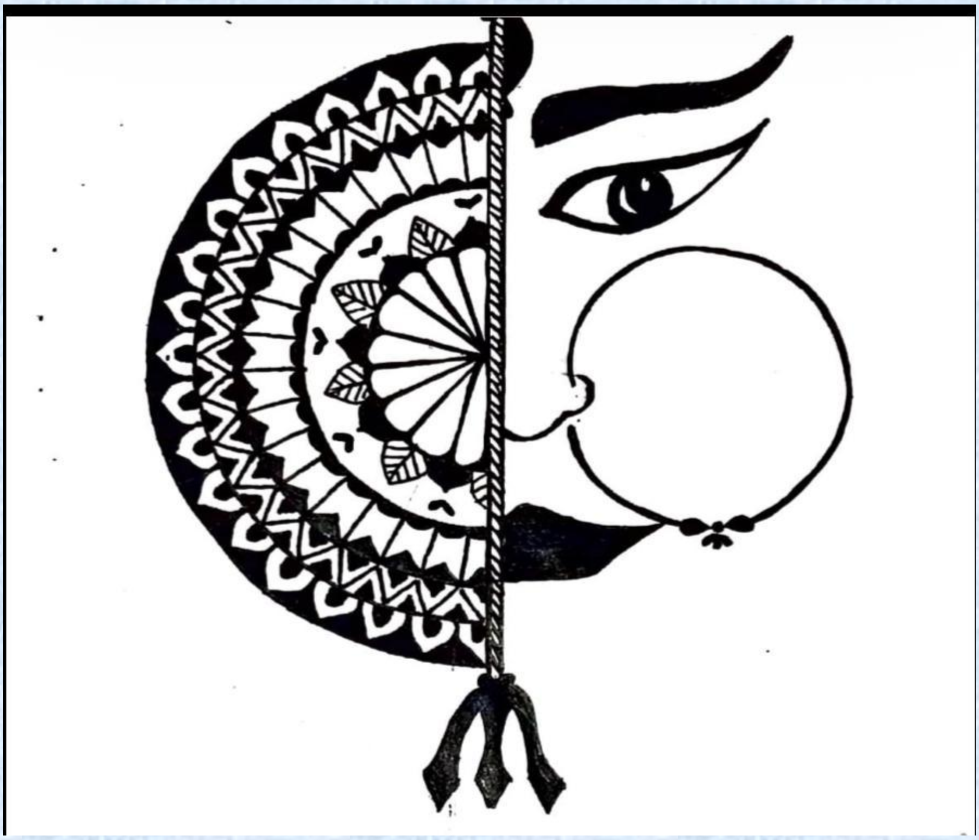

मंडला कला

<u>गिरगिटासुर</u>

शिवम् लिल्होरी “बानगी”
लेखाकार,
कार्यालय महालेखाकार (ले. एवं हक़), उत्तराखंड

वो बरसात ही क्या, जो बचपन के दिन न याद दिला दे। वो पेड़ों से ढका नानी का घर। घर में लम्बा बरामदा और बरामदे में लगे बड़े-बड़े लोहे की जाली के दरवाजे। बरामदे से बाहर दो सीढ़ियाँ और सीढ़ियों के बीच में स्कूटर साइकिल चढ़ाने को बनी फिसलपट्टी। जिसपर हमारी साइकिल कम और हम बच्चे ज़्यादा फिसलते थे। सरपट उतर कर बच्चे खेलने भाग जाते थे। सीढ़ियां उतर कर बड़ा सा आँगन। आँगन के बाद घर के चारों तरफ फैला हुआ हरा-भरा बगीचा। जिसमे नानी-नाना के लगाए हुए आम, नीम, अमरुद, अनार, निम्बू, करौंदे, सैजन आदि के पेड़ और फूलों से सजी क्यारियां। बाहर से, बरामदे की दीवार पे चढ़ी मनी प्लांट की बेल। उसकी बड़ी-बड़ी पत्तियों से बारिश की बूँदें कुछ यूँ उतरती थी, जैसे किसी बहुमंज़िला इमारत की कई सारी मंज़िलें।

वही दालान की चौखट पर, बेंत की आराम कुर्सी डाल बैठ जाता था मैं। कुर्सी पर पसर, सिर्फ पैर बाहर निकाले, हवा के झौंकों के साथ आती हुई बूंदों का स्वाद लेते हुए। ठंडी-ठंडी पानी की बूँदें पैरों को धोती जाती थी और मुझे ऐसा लगता था, जैसे ये सारा मायाजाल बादलों ने सिर्फ और सिर्फ मेरे पैर छूने को रचा हो। जैसे नानी की सुनाई हुई कहानी में, कान्हा जी अपने पैर सूप से बाहर लटका देते थे और उन्हें छू कर यमुना जी धन्य हो जाती है। बिलकुल उसी तरह मैंने भी अपने पैर बाहर निकाल दिए थे, जिन्हे छू के ये बारिश अपने को कृतज्ञ महसूस कर रही थी।

वहीँ पसरे हुए नज़र सीधी जाती थी, सामने वाले घर में लगे लम्बे से एक पेड़ पर। नानी कहती थी- "वो देवदार का पेड़ है। जाने कैसे पहाड़ों से पलायन कर वो यहाँ चला आया।" उसके जैसा पेड़ और कहीं नहीं दिखता था। आम, मौलसरी, अमरुद, नीम, पीपल आदि के पेड़ों से कुछ ज़्यादा ही ऊँचा था वो। हर बारिश में मेरी नज़र उसपर ही रहती थी। वो पेड़ मॉनसूनी हवाओं में ऐसा झूमता था की जैसे पहाड़ी ‘झोला चांचरी’ नृत्य कर रहा हो।। पैरों में ज़्यादा हरकत नहीं मगर ऊपरी भाग में अलग ही मस्तानी लयताल। मदमस्त झूमता हुआ, बाकी सभी पेड़ों को मुँह चिढ़ाता हुआ और कहता हुआ कि - "बारिश का आनंद लेना तुम क्या जानो, आम बाबू? ये देखो ऐसे झूमते है इन पछुआओं में। पहाड़ों पर मै होता, तो न जाने कब का उड़ जाता इन हवाओं के साथ।"

उसको, उसकी मस्ती में छोड़, मै फिर नीचे नानी के बाग़ को समुंदर बनता देखने लगा। मन मचला तो छाता उठा के निकल पड़ा बाग़ में घूमने को और उस मेंढक से मुलाकात करने को जो उछल-उछल के लगा था, नाली में बहते पानी की सवारी करने में। मानसून आने पर उसका ‘वाटर पार्क’ जो तैयार था। यूँ तो शाम ढलते ही उसके लिए लंगर की भी व्यस्था होने वाली थी, मगर आज कीट पतंगों की भूख नहीं थी उसको। ना ही था उसे डर, मेरे द्वारा मारे जाने का। मैंने भी मन ही मन सोचा - "जा मेंढक जा, जी ले अपनी ज़िन्दगी। आज तुझे जीवनदान दिया। किसी और दिन मेरे सामने आया तो छोडूंगा नहीं।" और आगे बढ़ गया। वो भी मेरी तरह बस निकल पड़ा था, इस बारिश में सब कुछ भुला के सिर्फ आनंद लेने को। बारिश में मुझे भी अलग ही आनंद आता है। एक अलग ही तरह की संतुष्टि होती है। मेरा भी मन वैसा ही महसूस करता था, जैसे भीषण गर्मी से त्रस्त हो कर छोटे-छोटे पौधे, पानी

में गोता लगा कर अपनी तृष्णा को शांत कर महसूस करते होंगे I या फिर गमले के नीचे दबी कुचली हुई दूब, गमले से टपकती हर एक बूँद को सोख कर अपनी देह को फिर से हरा भरा करके महसूस करती होगी।

आगे बड़े तो फूलों की क्यारियो में अलग ही आनंद व्याप्त था। आज फूलों को तंग करने वाले भवरें नहीं मंडरा रहे थे और चूस-चूस कर रस चुरा ले जाने वाली मधुमक्खियाँ भी नदारद थी। फिर भी आज फूल अपना रस बचा नहीं रहे थे I बल्कि वो तो आज भी लुटा रहे थे अपना रस। बाकी दिनों से कहीं ज़्यादा। मानो क्यारियों में 'छबील' लगी हो। फूल पानी में मिला-मिला कर अपना रस बहा रहे हो और कह रहे हों कि -"लो, आज इस बरसात में पूरी क़ायनात को मुफ्त में 'रूहअफज़ा' के लुत्फ़ उठाने दो।"

थोड़ा और आगे बढ़े, तो देखा की बगीचे में बनी हौदी में भी पानी लबालब भर गया था। मेरा मन मचला और मै छाता संभाले बढ़ गया उस ओर। हौज़ के बगल में था अमरुद और अमरुद के बगल में सैजन का पेड़। सैजन के पेड़ को देख लगता था, इस तूफानी बारिश ने उसकी लूटी-पुटी रियासत में और कोहराम मचा दिया था। नानी के पैरों में जब दर्द होता था और पड़ोस वाली आंटी कहती थी की सैजन की पत्तियाँ हल्दी, सेंधा नमक और तेल के साथ गरम करके बाँध लो, तो कैसे अकड़ में रहता था ये 'सैजन'। मजाल है कि एक भी पत्ती, मुझसे बिना पिटे और डालियाँ तुड़वाएं दी हो इसने। अभी भी मेरे बदन पर और उसके ठूंठ पर उस जंग के निशान मौजूद है और आज देखो कैसे तूफ़ान ने ऊपर से नीचे तक नोच डाली हैं इसकी पत्तियां। मंद-मंद मुस्काते हुए मैंने सोचा - "सही किया तूफ़ान ने, सैजन अब तू नहीं बन पायेगा किसी का साजन। "

तभी कुछ अमरुद, शाखों से टूट कर मेरे पैरों में आकर गिर पड़े। यूँ लगा आज तो हमारा ख़ौफ़ पूरे शबाब पर है। गाँव वाले सारी रसद खुद-ब-खुद गब्बर के पास ला रहे हैं। हमने भी अपनी नज़रें इनायत अमरुद के पेड़ पर की और अकड़ के पूछा - "क्या हाल हैं रे, ठाकुर?" अमरुद के पेड़ ने पहले सड़ा सा मुँह बनाते हुए सोचा -"उफ़ फिर आ गयी ये गोल मटोल आफत।" फिर बोला- "शैतान के नाती, बिन मशक्कत अमरुद इसलिए दे दिये क्यूंकि अगर तू इतनी बारिश में मुझ पर चढ़ेगा, तो पक्का फिसल कर मेरी टहनियाँ और अपनी हड्डियाँ तोड़ेगा।" मैंने भी टेढ़ी नज़र से पेड़ को देखा और सोचा - "मेरे नाना को शैतान बोलता है। इसी दिन के लिए तुझे नाना ने यहां रौंपा था -"एहसान फरामोश।" मगर बात तो ठाकुर और नाना के बीच की थी और फिर ठाकुर की दी हुई रिश्वत भी मेरे हाथों में थी। तो मैंने भी कंधे उचकाते हुए सोचा - "साणू की? असी तो अमरूदों दा आनंद लैणा सी।"

और ये सोच के हमने अपने 'चरण कमल' हौदी के पानी में डुबोते हुए उसके किनारे पे तशरीफ़ सजा दी। बारिश में भीगते हुए लाल-लाल इलाहाबादी अमरुदों के मजे ही अलग थे। एक मिनट - "इलाहाबादी नहीं, ना जी ना, बिलकुल नहीं। "प्रयागराजी" अमरुद के मजे ही अलग थे। हाँ जी, उलटे पुल्टे प्रदेश में था हमारा ननिहाल। अब तो आप समझ ही गए होंगे, पुराना नाम लिखते वक़्त किस के खौफ से हमारे हाथ काँप गए? आप भी किसी से ज़िक्र न करना कि हमने पुराना नाम लिख दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं।"

हाँ तो कहाँ थे हम ? हाँ, हौदी पर। बारिश तो काफी तेज़ थी और माहौल भी गरम था। महाराजाधिराज की तरह हम अपनी रियासत में बैठे थे, पानी में पैर छपाक-छपाक हिलाते हुए। मुंह में अमरुद चबाते हुए, खुराफ़ाती मन में दूरदर्शन पे प्रसारित, "श्री कृष्णा" धारावाहिक का, रविवार वाला एडिसोड दुबारा "प्ले" हो गया। हमने भी हौदी के पानी को कहा- "लो कान्हा ने सूप से अपने चरण बाहर लटका दिए हैं, जाओ जाकर यमुना को धन्य कर दो।" पीछे से अमरुद के पेड़ की आवाज़ आई -"बंद बुद्धि, इस शहर में नवाब ना ला पाए गंगा-जमुना, सिर्फ तहज़ीब से काम चलाते रहे। तू कहां से लाएगा जमुना यहां। गोमती बोल गोमती।" हमने खिसियाते हुए अमरुद के पेड़ को घूर के कहा - "हाँ ठाकुर... वई-वई। " ठाकुर बोला-"वई-वई नहीं, वही-वही होता

है, बौड़म।" हमने हाथ जोड़ के कहा- "जी उस्ताद जी। ऐसे तो 'जमुना' भी नहीं होता है, यमुना होता है। अब आपकी आज्ञा हो तो लीला आगे बढ़ाएं।" ठाकुर ने भी हमे मुँह बिरा के अपनी आँखें मूँद ली। पलट के हमने पानी को आदेश दिया-"लो कान्हा ने सूप से अपने चरण बाहर लटका दिए हैं, जाओ जाकर गोमती को धन्य कर दो।" पानी भी "जो आज्ञा महाराज" बोल कर अपने रास्ते चल दिया।

अमरुद पेट में जाते ही अलग किस्म की रवानगी दौड़ गई नसों में। अब हमे ज़रुरत महसूस हुई किसी के साथ की। ऐसे में हमे याद आई अपने सेनापति की। यानी के अपने एकलौते यार "जैकी" की। हमने आवाज़ लगाई - "जैकी - जैकी" यूँ तो हमारी आवाज़ बारिश और बादलों के शोर में दब गई। मगर चीते की चाल, बाज़ की उड़ान, बाजीराव की तलवार और हमारे "जैकी दादा" के कान पर संदेह नहीं कर सकते हैं I वो कभी भी मात नहीं खाते। सो जैकी दादा ने सुन लिया और दूर से ही "भौ-भौ" करके हमे मना भी कर दिया। यूँ तो मन उसका भी था हमारे पास आने का। अपने महाराज को कैसे मना कर सकता था वो। मगर किसी ज़माने में उसके खानदान के किसी "महा-कुक्कुर" ने सालों के शोध के बाद ये बताया था कि पानी में ज़हर होता है, इसलिए कुक्कुर ज़ात को हमेशा पानी से दूरी बनाये रखनी चाहिए। ना नहाओ ना मस्ती करो, सिर्फ प्यास लगने पे पानी पीओ। वो भी सूंघ कर अच्छे से चेक करने के बाद। बस अपने इसी खानदानी इल्म को मानते हुए, वो पानी में आने से झिझकता था। हमारे, दुबारा इशारा करने पर बरामदे के किनारे पर भौकते हुए और मिमियाते हुए, उसने हौदी तक आने में असहमति जताई और पूँछ हिलाते हुए मन मसोस के बैठ गया।

उसे उसके हाल पे छोड़ हमारी नज़र गई, "कागज़ी" नींबू के पेड़ों के नीचे। हमारे यहाँ दो नींबू के पेड़ थे। नींबू भी बड़े-बड़े लगते थे उन पर और छिलका एकदम महीन होता था। जैसे कागज में नींबू का रस लपेट के टांग दिया हो। इसलिए उसकी प्रजाति का नाम "कागज़ी" नींबू था। बड़ा घेराव था उन पेड़ो का, ज़मीन तक डालें झुकी रहती थी। क्रिकेट खेलते समय गर उनकी छावनी में गेंद चली जाए और उसके पीछे-पीछे हम I तो बाहर निकलते वक़्त बेदर्दी से दो- तीन कांटें हमारी तशरीफ में चुभोने की रिवायत कभी नहीं भूलते थे, वो पेड़। शायद हमे परेशान करने में अलग लुत्फ़ आता था, उन पेड़ो को। इसलिए हमारा छत्तीस का आंकड़ा भी था उनके साथ। यूँ तो उस वक्त पूरा पेड़ नींबुओं से लदा था। हम नींबुओं के वालिदान का तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे मगर उसके नवाबज़ादों की तशरीफ निचोड़ने में हमे अलग ही रूहानी सुकून मिलता था। निम्बू-पानी बना कर उन चुभे हुए काँटों का बदला ले लेते थे हम।

अमरुद ख़त्म हुआ तो शहंशाह-ए-इलाही को निम्बू पानी पीने की इच्छा हुई। छाता लेकर हम गए बड़े नींबुओं के झुरमुट की तरफ। हमारी काली नजर पड़ते ही, उसके दो नालायक बेटे ज़मीन पे लुढ़क गए। झुकी हुई टहनियों के बीच अंदर की तरफ दोनों निम्बू पड़े थे,मानो पेड़ ने अपने दोनों बेटों को हमसे बचाने के लिए अपनी गोद में सहेज लिया हो। अब हमे उन्ही नीम्बुओं की बलि चढ़ा के अपने बदले की प्यास पूरी करनी थी। सो लग गए हम जंग की तैयारी में। हमने एक नज़र देख के, गुणा भाग किया और इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर तीस डिग्री के कोण पर झुक के घुटनो के बल आगे बड़े और पहले सर फिर कमर को झुकाये, तो इस बार निम्बू के नश्तर हमारे पिछवाड़े को छू भी नहीं पाएंगे। अपनी अक्ल पे गुरूर करते हुए हमने नींबुओं से कहा- "अब देख बेटा, तू तो गया।" हम घुटनो पर आकर मोर्चा संभाला और अपनी सोच को अमली जामा पहनाते हुए अंदर बढ़े । जैसे ही आगे बढ़ते हुए हमने अपने घुटने नीचे टिकाये, हमारी चीख निकल गई। ऐसा लगा मानो नींबू ने "लैंडमाइंस" बिछा रखी हो अपनी सुरक्षा में। मिट्टी में दबा एक नुकीला पत्थर, हमारे घुटने में चुभा। "ऊई मम्मी, मर गया।" बोलते हुए हम वापस बाहर आ गए।

घुटने को सहलाते हुए हमने सोचा अब वक्त है अपनी रणनीति बदलने का। एक बार फिर गौर फरमाया, दिमाग चलाया और इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर तशरीफ को ऊपर उठा के, बिना घुटना टिकाए, पंजों के बल चला जाए, तो लैंडमाइंस, यानी के छोटे-छोटे पत्थर हमारा कुछ नहीं बिगाड सकते। और क्या बात, ऐसा करते ही एक-एक चाल सही बैठती गई और हमारी गोटी अपने ठिकाने तक पहुंचती गई। हमने झट से हाथ बढ़ा के दोनों नींबुओं को अपने शिकंजे में लेते हुए गुरूर से ऊपर पेड़ की तरफ देखा और सोचा कि-"आज की जंग के शेरशाह तो हम ही हैं। जा रे जा नींबुओं के हुमायूं, तू भी क्या याद करेगा।" मगर जिसे हम भगौड़ा हुमायूं समझे थे वो निकला चपल चालाक “शिवाजी महाराज”। गुरिल्ला युद्ध में माहिर। उसने ठीक हमारे ऊपर की डाल पर अपना एक सिपाही छोड़ रखा था।

"गिरगिटासुर" नामक वो सिपाही भी धुरंधर था। टहनी के रंग में रंगा हुआ, हमारी नज़रों से ओझल। जैसे ही हमने घमंड में नजरें उठाई, गिरगिटासुर ने हमसे नजरें मिलाई । नजर मिलते ही मानो उसने हमारी ओर "हर हर महादेव, जय वीर मराठा" बोलते हुए छलांग लगा दी। डर के हम भी पीछे की ओर झटके। उसको ऊपर से अपनी तरफ गिरता देख के पहले तो हमारी आँखों की पुतलियाँ फटी और फिर काँटों में उलझ कर हमारी “निक्कर”। गिरगिटासुर हमारे सामने धरती पर गिरा। नींबुओं की पीली सूखी पत्तियों पर पैर पड़ते ही उसका रंग कुछ पीला सा, कुछ नारंगी सा हो गया। अब तो एकदम वीर मराठा सैनिक की तरह संभलते हुए, वो वापस आक्रमण करने को लपका। हम ठहरे बेचारे औरंगज़ेब की निरीह, हारती सेना के पैदल सिपाही। जिसको अपनी जान पे बनता देख, उलटे पैर भागने की सूझी। जिस मुद्रा में हम अंदर घुसे थे, उसी मुद्रा में घुटनों के बल पीछे की ओर खिसक लिए। बाहर निकलते-निकलते तीन लैंडमाइंस ने हमारे घुटने चीरे और चार नींबूई भाले हमारी तशरीफ में घुस चुके थे। कुछ भालों ने हमारी बाज़ुओं पर भी वार किया था। बाहर निकल के हम जैसे तैसे खड़े हुए। खरोंचों से हल्का-हल्का खून रिस रहा था। निक्कर पीछे से लाल था या पीला, वो हम देख पाने के काबिल नहीं थे। गिरगिटासुर भी हमारी डब-डबाई आंखों से कही नज़र नहीं आ रहा था। शायद निहत्थे पर वार करने की परंपरा नहीं रही होगी मराठाओं की। सिर्फ डराने का मक़सद रहा होगा और भाईजान अपना मक़सद तो कतई नहीं भूले थे। खैर, जान बची तो लाखों पाए, लौट के “गोल्डी” घर को आये।

घर में हम घुसे तो जैकी ने हमारी दशा देख के हमसे सहानुभूति जताई और आँखों-आँखों में ही बोला- "देखा, हम कह रहे थे पानी में ज़हर होता है? चढ़ गया सुरूर और करा ली अपनी छीछालेद्दर।" उसकी बात को अनसुना कर हमने पीछे मुड़ कर नींबू के पेड़ों को देखा। दोनों पेड़ चित्तौड़ के “गोरा-बादल” की तरह खड़े थे और हम अलाउद्दीन खिलजी के सैनिकों की तरह। मगर अलाउद्दीन की फ़ौज भी तो उसकी तरह चंट थी। हम भी चंट ! हँसते हुए पेड़ों को अपने हाथ में फँसे दोनों निम्बू दिखाए और इशारे से नीम्बुओं को दबाते हुए कहा कि - "सारी कायनात भी अगर साज़िश करले, तो भी इन दो नीम्बुओं की बलि चढ़ने से आज नहीं रोक सकती।" ये कहते हुए खुन्नस से हम चौके में गए। इधर-उधर ढूंढते हुए आखिर हमे खंजर मिल ही गया। चाक़ू उठाया और खुन्नस में निम्बू के दोनों साहबज़ादों की बलि चढ़ा दी। फिर एक गिलास में चीनी और काले नमक का घोल बना, वापस बरामदे में आकर अपने सिंहासन पर विराजमान हुए। निम्बू के पेड़ों को दिखाते हुए हमने उसके दोनों बेटो की तशरीफ निचोड़ कर उन्हें ख़ाक-ए-सुपुर्द किया। गिलास में दो उंगलियां घुमा के हमने निम्बू और पानी को मिलाया। फिर उंगलियों से ही कुछ छींटे धरती माता के सम्मान में न्यौछावर कर, हमने निम्बू पानी का घूँट भरा। घूँट लेते ही हमारी रूह को सुकून न मिला क्यूंकि दो नींबुओं से पानी ज़्यादा खट्टा हो गया था। अजीब सा मुँह बनाते हुए हमारी नज़र निम्बू के पेड़ों पर पड़ी और यूँ लगा मानो हमारे इस काण्ड से उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ा । बल्कि वो तो उल्टा छाती पीटते-पीटते कह रहे हों कि - "सरफ़रोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाज़ू-ए-क़ातिल में है"

उनकी इस हिमाक़त पे हमें बड़ा ज़ोर का गुस्सा आया और हमने दूसरी जंग के लिए चौखट से जो ही पैर बाहर निकाला, हम फिसल गए। हुआ यूं कि बारिश के पानी से चिकनी हुई फिसलपट्टी पे हमारा पैर पड़ते ही हम धड़ाम से नीचे गिरे और पहले से दुखती अपनी तशरीफ पर एक और झटका न सह सके। हमारे मुँह से चीख निकल गई। हमारी चीख से अंदर टी. वी. पर सत्संग सुनती हमारी “नानी-जाँ” के भी कान खड़े हो गए। उन्होंने ज़ोर से आवाज़ लगाई - "क्या हुआ?" हमने अपने दर्द को सहते हुए और आवाज़ को दुरुस्त करते हुए बोला - "कुछ नहीं बस पैर फिसल गया। " नानी गरियाते हुए बोली- "अंदर आओ और कपडे बदल के पढ़ने बैठो।"

लंगड़ाते हुए और अपनी ‘तशरीफ’ सहलाते हुए हम दालान में दाखिल हुए और गुसलखाने की तरफ बड़े। रास्ते में जंगले के अंदर से निम्बू के पेड़ो को देख रहे थे और कानो में सत्संग की आवाज़ पड़ रही थी, जहाँ गुरूजी कह रहे थे की - "कुरुक्षेत्र में अपना रौद्र रूप दिखाते हुए देवकीनंदन कहते हैं कि - हे पार्थ ! दम्भ, घमंड, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान- ये सब आसुरी सम्पदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं...."

सच्ची घुमक्कड़ी: मंजिलों का नहीं, यादों के रंगों का नाम

ज्योति कुमारी
(लेखापरीक्षक)
प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा, चण्डीगढ़

मंजिलें तो मिल ही जाएंगी भटकते ही सही,
गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं।
सफर वो है जो रूह को नए रंगों से भर दे,
सिर्फ फासले तय करना कोई सफर तो नहीं।

अक्सर लोग समझते हैं कि यात्रा का अर्थ है—एक शहर से दूसरे शहर जाना, कुछ प्रसिद्ध स्मारकों के सामने खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाना और सोशल मीडिया पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना। लेकिन क्या वाकई यह यात्रा है?

यात्रा का असली उद्देश्य केवल भूगोल बदलना नहीं, बल्कि खुद के भीतर एक नए व्यक्तित्व को तलाशना है। यह उन एहसासों को जीने का नाम है जिन्हें हम ताउम्र अपनी रूह में संजो कर रखते हैं। यात्रा वास्तव में एक एहसास है जिसे जिया जाता है। जब आप अपने घर की चौखट लांघते हैं, तो आप केवल एक भौगोलिक सीमा पार नहीं करते, बल्कि अपने 'कम्फर्ट ज़ोन' को पीछे छोड़ते हैं। सच्ची घुमक्कड़ी वह है, जो लौटते समय आपको वह इंसान न रहने दे जो आप जाते वक्त थे। यात्रा आपकी दृष्टि को व्यापक बनाती है और आपके हृदय को दुनिया भर की कहानियों के लिए एक संग्रहालय बना देती है।

1. मिट्टी की खुशबू और स्थानीय बसेरा

कहाँ मिलता है वो सुकून महलों के बंद कमरों में,
जो बात छिपी है मिट्टी के घरों और छप्परों में।
एक रात गुजारो जो कुदरत की पनाहों में तुम,
खुदा खुद नज़र आएगा फिर तुम्हें मंजरों में।

जब भी आप किसी नई जगह जाएँ, तो वहाँ के पारंपरिक रहन-सहन को महसूस करें। श्रीनगर की डल झील में हाउसबोट की रात हो या हिमाचल के दूरदराज गांवों में जब आप लकड़ी और पत्थरों से बने 'काठ-कुनी' घरों में रुकते हैं, तो आपको पता चलता है कि सादगी में कितनी गर्माहट होती है। ऋषिकेश में गंगा किनारे टेंट का सुकून, अंडमान के नीले अथाह सागर के बीच पर बने हट्स, राजस्थान की पुरानी हवेलियां सिर्फ दीवारें नहीं हैं, वे इतिहास के जीवित दस्तावेज हैं। उनकी झरोखों से झांकती धूप आपको बीते ज़माने की दास्तां सुनाती है। और कच्छ के 'भुंगा' घरों की बनावट हमें उस ज़मीन की संस्कृति से जोड़ती है—ये अनुभव आलीशान होटलों में नहीं मिलते। होटल आपको सुविधा दे सकते हैं, लेकिन स्थानीय बसेरे आपको उस ज़मीन की आत्मा से मिलाते हैं। ये सब ठहरने के साधन मात्र नहीं हैं, बल्कि ये उस भूगोल और संस्कृति के प्रतिनिधि हैं। जब आप इनमें ठहरते हैं, तो आप एक दर्शक नहीं, बल्कि एक सहभागी बन जाते हैं।

2. जैसा देश, वैसा भेष

हम अक्सर अपनी पहचान को अपने साथ ढोते हैं। हम चाहते हैं कि हम जहाँ भी जाएं, अपनी सुविधा और अपने ढर्रे को न छोड़ें। लेकिन घुमक्कड़ी का एक बड़ा सिद्धांत है—'अनुकूलन' (Adaptation)।

लिबास बदल कर देखो, अंदाज़ बदल जाएगा,

मिट्टी का हर रंग तुम्हें खुद में अपनाएगा।

जब ओढ़ोगे तुम वहां की संस्कृति की चादर,

अजनबी शहर भी तुम्हें अपना घर नज़र आएगा।

किसी संस्कृति के साथ एकाकार होने का सबसे सरल और सुंदर माध्यम है वहाँ का पहनावा। जब आप कश्मीर की वादियों में 'फिरन' पहनते हैं, तो वह केवल ठंड से बचाव नहीं है, बल्कि वह उस ज़मीन की नज़ाकत को महसूस करना है। गुजरात की 'बांधनी' के चटख रंग उत्सव का प्रतीक हैं, जबकि पश्चिम बंगाल की 'कांथा' कढ़ाई वहां की महिलाओं के धैर्य और कला की कहानी कहती है। पंजाब की फुलकारी, मध्य प्रदेश के बाग प्रिंट, तमिलनाडु की कांजीवरम रेशमी साड़ियाँ या मणिपुर का 'फनेक'—ये सब वस्त्र नहीं, बल्कि उस मिट्टी के 'सिग्नेचर' हैं। जब आप इन्हें पहनकर वहाँ के बाज़ारों में निकलते हैं, तो स्थानीय लोगों की आँखों में आपके लिए एक अलग ही आदर और अपनापन जाग उठता है। आप उनके लिए एक 'विदेशी' या 'बाहरी' व्यक्ति से बदलकर उनके अपने बन जाते हैं। यह पहनावा आपको उस समाज की रूह के करीब ले जाता है।

3. ज़ायका, जो जिज्ञासा जगा दे

स्वाद में छुपा होता है उस सरज़मीं का मिज़ाज,

पकवानों में ही बसता है वहाँ का असली राज।

हर निवाले में चखो उस शहर की आब-ओ-हवा,

वरना अधूरा रहेगा तुम्हारा ये सफरनामा आज।

अगर आप यात्रा के दौरान भी वही रोज़ाना का खाना तलाशते हैं, तो आपने उस जगह का असली जायका खो दिया। भोजन वहाँ की जलवायु, पर्यावरण और खेती का आइना होता है। कश्मीर की 'नदिर यखनी' (कमल ककड़ी का व्यंजन) आपको डल झील की गहराइयों से जोड़ती है। राजस्थान की 'कैर सांगरी' और 'राबोड़ी' बताती है कि कैसे एक रेगिस्तानी समाज ने अभाव में भी स्वाद का खजाना खोज लिया।

वहीं गुजरात में उंधियू, हांडवो, मुठिया, हिमाचल में सिड्डू , चना मदरा (दही-आधारित ग्रेवी), सेपू बड़ी (उड़द दाल की बड़ी), और मिट्ठा (मीठे चावल), आंध्र प्रदेश में गुट्टी वंकाया कूरा (भरवां बैंगन), पेसारट्टू (मूँग दाल डोसा), पुलिहोरा (इमली चावल), और गोंगूरा पच्चड़ी (खट्टी चटनी) , महाराष्ट्र में वड़ा पाव पूरन पोली, भरली वांगी (भरवा बैंगन), कोथिंबीर वड़ी, थालीपीठ तक, हर स्वाद में एक कहानी छिपी है। यदि आप वहाँ की कोई स्थानीय रेसिपी सीखकर अपने साथ लाते हैं, तो आप उस सफ़र का एक हिस्सा हमेशा के लिए अपने साथ ले आते हैं। फिर जब भी आपकी रसोई में वह पकवान बनेगा, उसकी खुशबू आपको मीलों दूर उस वादी या उस शहर की गलियों में वापस ले जाएगी।

4. शब्दों से दिल का जुड़ाव

एक प्रसिद्ध कहावत है—"यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो वह उसके दिमाग तक पहुँचती है। यदि आप उससे उसकी अपनी भाषा में बात करते हैं, तो वह उसके दिल तक पहुँचती है।"

जुबां से निकले दो बोल भी रिश्ते बना देते हैं,

अनजान चेहरों को भी अपना बना देते हैं।

सीख लो जो तुम वहां की बोलियों के चंद लफ्ज़,

वो दिल के बंद दरवाजों की चाबी थमा देते हैं।

स्थानीय भाषा के चंद शब्द भी आपके लिए संस्कृति के बंद दरवाज़े खोल सकते है। झारखंड के आदिवासियों के बीच जब आप 'जोहार' कहते हैं, तो आप केवल नमस्ते नहीं कह रहे होते, बल्कि आप उनकी प्रकृति-पूजक संस्कृति को नमन कर रहे होते हैं। लद्दाख की बर्फीली ऊंचाइयों पर 'जुले' कहना वहां के लोगों के चेहरों पर जो मुस्कान लाता है, वह किसी भी उपहार से बड़ी है। वहीं कश्मीर में ‘मइज’ कहकर मां को पुकारना उस रिश्ते की कोमलता को और भी सुंदर बना देता है। राजस्थान में ‘टाबर’ कहकर बच्चों को पुकारना, हरियाणा में बहन को ‘बेबे’ कहकर पुकारना हो या मणिपुर में ‘थगत्वरी’ कहकर शुक्रिया अदा करना, कई बार यही छोटे-छोटे शब्द आपको उन कहानियों तक ले जाते हैं, जो किसी यात्रावृत्त में नहीं मिलतीं। एक सच्चा घुमक्कड़ सिर्फ तस्वीरें नहीं, बल्कि वहां की आवाज़ें और लहजे भी अपनी यादों के एल्बम में कैद करके लाता है।

निष्कर्ष: अनुभवों का संचय ही असली कमाई है

सफ़र के अंत में जब आप घर लौटते हैं, तो आपके पास क्या बचता है? क्या केवल कुछ स्मृति चिन्ह (Souvenirs) या मोबाइल की गैलरी में भरी हज़ारों तस्वीरें? नहीं। असली कमाई वह बदलाव है जो आपके भीतर आया है।

सच्ची घुमक्कड़ी का मकसद खुद को 'खाली' करना है ताकि आप नए अनुभवों से 'भर' सकें। यह हमें सिखाती है कि दुनिया बहुत बड़ी है और हमारी परेशानियां कितनी छोटी। यह हमें विनम्र बनाती है क्योंकि हम देखते हैं कि लोग कितने कम साधनों में भी कितने खुश हैं। यह हमें सहिष्णु बनाती है क्योंकि हम अलग-अलग विचारधाराओं और जीवन शैलियों से रू-ब-रू होते हैं।

तो अगली बार जब आप बैग उठाएं, तो केवल जगह बदलने के लिए न निकलें। नए रंग समेटने के लिए निकलें। ऐसी यात्रा पर निकलें जहाँ आप नक्शे पर कम और अपने दिल की धड़कनों पर ज़्यादा भरोसा करें। क्योंकि अंत में, हम वही हैं जो हमने महसूस किया है।

यात्रा कोई दौड़ नहीं, एक गहरा एहसास है,

हर अजनबी मोड़ पर छिपा कोई खास है।

नए रंगों को समेट लो अपनी रूह में तुम,

तभी तो कह पाएंगे—ये घुमक्कड़ी लाजवाब है!

मेरे बांके बिहारी

नमिता सिंह
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली

यूँ तो आप सभी ने वृन्दावन की महिमा, वहाँ विराजमान श्री बांके बिहारी जी, श्री राधावल्लभ जी एवं श्री राधारमण जी की अनेक कथाएँ सुनी होंगी। लेकिन जब बात श्रीकृष्ण की होती है, तो मन जैसे स्वयं ही उनके प्रेम में बह निकलता है। शब्द कम पड़ जाते हैं, भाव उमड़ आते हैं... और दिल बार-बार यही चाहता है कि उनके बारे में कहती ही जाऊँ—भले ही सामने वाला सब पहले से जानता हो। मुझे भी नहीं पता कि मैं उनके बारे में कितना जानती हूँ... पर इतना अवश्य जानती हूँ कि उनके नाम मात्र से जो शांति मिलती है, वह कहीं और नहीं।

"बांके बिहारी" — यह नाम ही जैसे मन के हर कोने को सुकून से भर देता है।

श्री बांके बिहारी जी के प्राकट्य की अद्भुत कथा।

वृंदावन की पावन भूमि, जहाँ प्रत्येक कण में राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला की सुगंध बसती है, सदियों से भक्तों के हृदय को आकर्षित करती आई है। इसी दिव्य भूमि में स्थित है प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर, जहाँ विराजमान हैं ठाकुर श्री बांके बिहारी जी—एक ऐसे स्वरूप में जो भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को जीवंत कर देता है। बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा अत्यंत रहस्यमयी, भावपूर्ण और भक्ति से ओत-प्रोत है।

यह कथा १६वीं शताब्दी में हुए एक महान भक्त और संगीत सम्राट स्वामी हरिदास जी से जुड़ी है। स्वामी हरिदास जी, जो कि तानसेन के गुरु भी माने जाते हैं, वृंदावन के निधिवन में साधना किया करते थे। स्वामी हरिदास जी, श्री बाँके बिहारी के अनन्य भक्त थे, कलयुग में भी वे भक्ति और साधना की प्रतिमूर्ति माने जाते हैं। वे वृन्दावन के निधिवन में तपस्या और भजन में लीन रहते थे। उनके जीवन का केवल एक ही उद्देश्य था—अपने आराध्य श्रीकृष्ण और राधा रानी के साक्षात् दर्शन। स्वामी हरिदास भगवान श्रीकृष्ण के परम भक्त थे। निधिवन की कुंज गलियों में स्वामी हरिदास जी दिन-रात अपने प्रभु का ध्यान करते थे। उनकी साधना इतनी गहन थी कि वे बाहरी संसार से पूर्णतः अनभिज्ञ रहते थे। वे दिन-रात उनका नाम जप और भजन करते रहते थे। उनका जीवन अत्यंत सरल, तपस्वी और पूर्णतः भक्ति में लीन एवं भगवान श्रीकृष्ण की आराधना में समर्पित था। स्वामी हरिदास जी का हृदय इतना निर्मल और प्रेममय था कि वे अपने प्रभु को केवल पूजते ही नहीं थे, बल्कि उनसे साक्षात संवाद भी करते थे। स्वामी हरिदास जी का भजन इतना मधुर, इतना भावपूर्ण था तथा उनकी भक्ति में ऐसा आकर्षण था कि कहा जाता

है—स्वयं श्रीकृष्ण और राधा रानी उनके भजनों को सुनने के लिए प्रकट होते थे। परन्तु यह दिव्य दृश्य केवल स्वामी जी ही देख पाते थे।

एक दिन उनके कुछ शिष्यों ने विनती की—"गुरुदेव! हमें भी अपने आराध्य के दर्शन कराइए।"

स्वामी जी ने मुस्कराकर कहा—"यह मेरे बस की बात नहीं, यह तो उनकी कृपा है... अगर वे चाहेंगे, तभी संभव है।" उस दिन वृन्दावन की शांत रात्रि थी... चाँदनी यमुना के जल पर झिलमिला रही थी... कुंजों में मद्धिम हवा बह रही थी... स्वामी हरिदास जी अपने शिष्यों के साथ भजन कर रहे थे। उनका भजन इतना मधुर और भावपूर्ण था कि वातावरण स्वयं दिव्यता से भर उठा। और उसी पावन स्थल निधिवन में स्वामी हरिदास अपने प्रभु को पुकार रहे थे—

स्वामी हरिदास जी ने अत्यंत भाव-विभोर होकर एक पद गाया। उनका हृदय पूरी तरह प्रेम में डूब चुका था। जैसे ही उनके भजन की ध्वनि वातावरण में गूँजी, निधिवन का हर कण जैसे झूम उठा। और फिर ... वह अद्भुत क्षण आया। श्री राधा और श्रीकृष्ण साक्षात् प्रकट हो गए। उनके सौंदर्य, उनकी दिव्यता का वर्णन शब्दों में संभव नहीं। शिष्य विस्मित थे, स्तब्ध थे— जैसे मानो समय थम सा गया हो। यह दृश्य इतना अद्भुत था कि वहाँ उपस्थित सभी लोग भाव-विभोर हो गए।

स्वामी हरिदास जी ने विनम्र भाव से प्रार्थना की—"हे प्रभु! आप दोनों इस रूप में सदैव यहाँ विराजमान रहें ताकि हर भक्त आपके दर्शन कर सके।" उनकी प्रार्थना स्वीकार करते हुए राधा-कृष्ण युगल स्वरूप में आ गए—राधा और कृष्ण का संयुक्त स्वरूप एक अद्वितीय मूर्ति में परिवर्तित हो गया। यही स्वरूप आज "बांके बिहारी जी" के नाम से पूजित है।

"बांके" का अर्थ होता है त्रिभंग मुद्रा में खड़े—अर्थात तीन स्थानों से मुड़े हुए। "बिहारी" का अर्थ है लीला करने वाले। इस प्रकार बांके बिहारी का अर्थ हुआ—वह जो मोहक त्रिभंग मुद्रा में खड़े होकर अपनी लीलाओं से भक्तों को आनंदित करते हैं। स्वामी हरिदास जी द्वारा प्रकट की गई इस दिव्य मूर्ति को प्रारंभ में निधिवन में ही रखा गया। बाद में भक्तों की सुविधा के लिए इसे एक मंदिर में स्थापित किया गया, जो आज 'बांके बिहारी' मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है।

बांके बिहारी जी का मंदिर इस दिव्यता का केंद्र है, जहाँ भक्त अपने सभी दुखों को भूलकर केवल प्रेम और आनंद का अनुभव करते हैं। यह मंदिर न केवल भारत में बल्कि विश्वभर में कृष्ण भक्तों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। यहाँ प्रतिदिन हजारों भक्त दर्शन के लिए आते हैं।

बांके बिहारी मंदिर की सबसे अनोखी परंपराओं में से एक है "झलक दर्शन", जो इसे अन्य मंदिरों से बिल्कुल अलग बनाती है। यहाँ भगवान के दर्शन लगातार नहीं होते, बल्कि मंदिर में लगे पर्दे को बार-बार खोला और बंद किया जाता है—इसे ही "झलक दर्शन" कहा जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि- बांके बिहारी जी अपने भक्तों के प्रेम में इतने बंध जाते हैं कि अगर कोई भक्त उन्हें लगातार देखता रहे, या करुणा से रुदन करने लगता है तो भगवान उस भक्त के प्रेम के अधीन हो के स्वयं उसके साथ जाने को तैयार हो सकते हैं।

बांके बिहारी जी की कथा केवल एक धार्मिक घटना नहीं है, बल्कि यह भक्ति, प्रेम और समर्पण का प्रतीक है।

बांके बिहारी जी के प्रकट होने की कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है, भगवान को पाने के लिए बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे हृदय और निष्कपट प्रेम की आवश्यकता होती है। स्वामी हरिदास जी की साधना और प्रेम ने स्वयं भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया।

आज भी जब कोई भक्त सच्चे मन से बांके बिहारी जी के चरणों में जाता है, तो उसे वही प्रेम, वही करुणा और वही दिव्यता अनुभव होती है, जो सदियों पहले स्वामी हरिदास जी ने अनुभव की थी।

वृंदावन केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक भाव है—एक ऐसा भाव जहाँ हर व्यक्ति अपने भीतर भगवान का अनुभव कर सकता है। यहाँ की गलियों में घूमते हुए ऐसा लगता है मानो हर दिशा से “राधे-राधे” की ध्वनि सुनाई दे रही हो। “राधे राधे” की पुकार और बांके बिहारी जी की मधुर मुस्कान, यही वृंदावन की आत्मा है और यही इस कथा का सार है।

वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत रहस्यमयी और पवित्र स्थान है। मान्यता है कि आज भी यहाँ रात्रि में राधा-कृष्ण रास रचाते हैं। यही वह स्थान है जहाँ स्वामी हरिदास जी तपस्या करते थे।

बाँके बिहारी जी केवल कृष्ण नहीं हैं...वे राधा और कृष्ण — दोनों का प्रेममय एकत्व हैं...

नैतिक शिक्षा

संदीप
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली

आज अखबारों में, मैगजीन में, खबरों में, सोशल मीडिया में जब हम प्रतिदिन मारपीट, झगड़ा, कत्ल, हत्या, लूट-खसोट, बलात्कार आदि की घटनायें देखते हैं या पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आज की पीढ़ी को क्या हो गया है, या आज के मानव को क्या हो गया है । क्या संवेदनायें बिल्कुल खत्म हो गई हैं। क्या पैसा ही सब कुछ बन कर रह गया है। क्या मानवता, भावनायें, मानव कल्याण, भरोसा आदि सब भूतकाल बन कर रह गया है। क्योंकि जब मनुष्य इन सब भावनाओं के साथ सोचता है या काम करता है तो उपरोक्त आपराधिक घटनाओं को अंजाम देना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जब हम गहराई से सोचते हैं तो इन सब के पीछे कही न कही नैतिक शिक्षा का अभाव या नैतिक भावना का न होना पाया जाता है। वैसे तो कोई भी माता-पिता या परिवार अपने बच्चों को गलत शिक्षा नहीं देते हैं, न हि कोई चाहता है कि हमारा बच्चा अपराधी बने। तो आखिरकार कमी कहां रह जाती है। कही न कही अभाव रहता है तो नैतिक शिक्षा का। आज हम विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में भाषा, व्याकरण, गणित, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, कम्प्यूटर आदि की शिक्षा तो देते हैं लेकिन इस विकास या प्रगति के दौर में बच्चों को नैतिक शिक्षा देना भूल जाते हैं।

अगर हम थोड़ा पीछे के समय में जाकर सोचते हैं तो देखते हैं कि पहले के समय में आज की तुलना में अपराध की दर कम थी। इतनी कट्टरता भी नहीं थी। मानव संवेदनाओं, भावनाओं को महत्व दिया जाता था लेकिन आज के दौर में सड़क पर दुर्घटना से पीड़ित एक व्यक्ति तड़फ रहा होता है लेकिन ज्यादातर लोग सहायता करने की बजाए वीडियो बनाने की ताक में लगे रहते हैं। किसी भी दुर्घटना के समय लोग यह सोचते हैं कि मेरे को क्या लगी पड़ी है जो मैं इसमें उलझु। लेकिन जब खुद पर बात आती है तो सोचते हैं कि दूसरे मेरी सहायता क्यों नहीं करते हैं। जब तक बात हम पर नहीं आती, तब तक हमें वह दूसरों की समस्या लगती है।

नैतिक शिक्षा मनुष्य के जीवन का वह आधार है जो उसे सही और गलत में अंतर समझने की क्षमता देता है। यह केवल पुस्तकों का ज्ञान नहीं बल्कि व्यवहार, चरित्र और सोच को सही दिशा देने वाली शिक्षा है। आज के आधुनिक और प्रतिस्पर्धी युग में नैतिक शिक्षा का महत्व पहले से कहीं अधिक बढ़ गया है, क्योंकि केवल बुद्धिमत्ता ही नहीं बल्कि अच्छे संस्कार भी एक सफल और सम्मानित व्यक्ति बनने के लिए आवश्यक हैं।

नैतिक शिक्षा का अर्थ है ऐसी शिक्षा जो हमें सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, अनुशासन, परोपकार, सहानुभूति और कर्तव्यपरायणता जैसे गुणों को अपनाने की प्रेरणा दे। यह हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है। नैतिक शिक्षा के बिना व्यक्ति का ज्ञान अधूरा है, क्योंकि केवल विद्या ही मनुष्य को महान नहीं बनाती, बल्कि उसके सद्गुण उसे श्रेष्ठ बनाते हैं।

किसी भी काम में निपुण होने के लिए निरंतर अभ्यास की आवश्यकता होती है। कुछ समय पहले तक हमारी प्राथमिक शिक्षा में नैतिक शिक्षा को सम्मिलित किया जाता था। बच्चे को शिक्षा के आरंभिक पड़ाव पर ही नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाता था। कुछ चीजे ऐसी होती है जोकि कानूनी तौर पर गलत नहीं होती है लेकिन सामाजिक

तौर पर गलत होती है। जैसे झूठ बोलना कानूनी तौर पर गलत नहीं है जब तक किसी का नुकशान नहीं किया हो या कानून का उल्लंघन नहीं किया हो लेकिन झूठे व्यक्ति को समाज में उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करना कानूनी तौर पर अनिवार्य नहीं है लेकिन बड़े बुजुर्गों का सम्मान न करने वालों को समाज घृणित दृष्टि से देखता है। ऐसे ही दूसरों की सहायता करने , पर्यावरण को संरक्षित करना, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करना, भगवान में आस्था रखना, अपने से छोटों के प्रति स्नेह की भावना रखना, घर में शांति बनाये रखना, योग करना, समय का सदुपयोग करना, आदि बातें ऐसी हैं जोकि कानूनी तौर पर गलत नहीं है लेकिन सामाजिक तौर पर हमें उनका पालन करना पड़ता है। उन सबको कानून के भय या डर से लागू नहीं किया जा सकता है उन्हें सिर्फ शैक्षणिक पाठ्यक्रम मे शामिल करके ही लागू किया जा सकता है। जब तक किसी भी देश के नागरिकों का चरित्र अच्छा नहीं होता है तो उस देश का चहुंमुखी विकास अर्थात शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक , सांस्कृतिक विकास होना असंभव है। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी देश के विकास में चरित्रवान व्यक्ति ही योगदान दे सकते हैं।

इन सब बातों को किसी व्यक्ति के अंदर तभी विकसित किया जा सकता है जब शुरू से ही उसका ध्यान इन बातों की ओर दिलाया गया हो। अगर हम हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सम्मिलित करने की शुरुआत करेगें तो शायद आने वाली पीढ़ियां में कुछ बदलाव देख पायेंगें। बचपन से ही स्कूली स्तर पर बच्चों को बतायेंगें और पढायेंगें कि झूठ बोलना गलत है तो शायद आगामी समय में इसे गलत मानते हुए झूठ नहीं बोलेंगें।

नैतिक शिक्षा वह प्रक्रिया है जो व्यक्ति को ईमानदारी, करुणा, सम्मान और सही-गलत का ज्ञान कराकर चरित्र निर्माण करती है। यह समाज में सामाजिक मूल्यों, अनुशासन और उत्तरदायित्व का संचार करती है। यह शिक्षा केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है, जो घर और स्कूल दोनों से सीखी जा सकती है। इसका उद्देश्य बेहतर समाज बनाना और चारित्रिक पतन को रोकना है। नैतिक शिक्षा से अभिप्राय उस शिक्षा से है, जो हमारे जीवन को प्रशस्त बनाती है और हमें संस्कृति से जोड़े रखती है। शिक्षा में नैतिकता का समावेश होने पर ही समाज में व्याप्त चारित्रिक पतन से मुक्ति मिल सकती है। नैतिक शिक्षा का परीक्षण पुस्तकों में न रहकर जीवन के आचरण में होता है समाज में शिक्षक की भूमिका अधिक महत्त्वपूर्ण है। बच्चों के भविष्य को सुंदर और सुदृढ़ बनाने की सारी ज़िम्मेदारी शिक्षकों की होती है। कहा भी जाता है कि शिक्षक द्वारा दिए गए ज्ञान को ही छात्र अधिक महत्त्व देते हैं। शिक्षकों की भूमिका को कबीर तथा तुलसी ने भी सराहा है। गुरु ज्ञान के द्वार होते हैं।

वे ही अपने शिष्यों को सही शिक्षा देकर समाज और राष्ट्र के हितार्थ नागरिकों को तैयार करते हैं। ऐसे में नैतिक मूल्यों के उत्थान में शिक्षकों की भूमिका सबसे कारगर और प्रभावी मानी जाती है। शिक्षक ही अपने छात्रों के जीवन में ईमानदारी, सदाचार, चरित्र निर्माण तथा कर्तव्यनिष्ठा का बीजारोपण करते हैं। माँ तो केवल उँगलियाँ पकड़कर चलना सीखाती है, लेकिन गुरु प्रारंभिक शिक्षा से उच्चतर शिक्षा तक उसके साथ रहकर उसे सही राह दिखाता है।

बिना गुरु के ज्ञान की अवधारणा ही व्यर्थ है। छोटे-छोटे बच्चों को झूठ न बोलने, चोरी न करने, बड़ों का आदर करने, सभ्यता को अपनाने तथा संस्कृति से प्यार करने की शिक्षा भी तो शिक्षक ही देते हैं। बच्चों का चरित्र-निर्माण शिक्षकों के द्वारा ही होता है। बड़े-बड़े महापुरुषों ने अपने निर्माण में शिक्षकों की भूमिका को ही सर्वोपरि माना है।

नैतिक शिक्षा के मुख्य उद्देश्य:

- **चरित्र निर्माण:** ईमानदारी, सहयोग और अनुशासन जैसे गुणों का विकास।
- **सही-गलत की समझ:** व्यक्ति को नैतिक निर्णय लेने में सक्षम बनाना।
- **सामाजिक जिम्मेदारी:** दूसरों के प्रति सम्मान और करुणा का भाव विकसित करना।
- **नकारात्मकता का अंत:** मदिरापान, वृद्धाश्रम जैसी कुरीतियों और देश की बर्बादी को रोकना।

नैतिक शिक्षा का महत्व:

- **व्यक्तिगत विकास:** यह छात्रों में आत्मविश्वास और नैतिक दिशा-निर्देश पैदा करती है।
- **सुदृढ़ समाज:** यह समाज में शांति, सौहार्द और न्याय को बढ़ावा देती है।
- **सांस्कृतिक जुड़ाव:** यह हमें अपनी संस्कृति और मूल मूल्यों से जोड़े रखती है।
- **सामाजिक विकासः** यह संपूर्ण समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

नैतिक शिक्षा के स्रोत- नैतिक शिक्षा हमें कई माध्यमों से प्राप्त होती है—

- **परिवार** – बच्चों की पहली पाठशाला।
- **विद्यालय** – अनुशासन और मूल्यों की शिक्षा देता है।
- **समाज** – व्यवहारिक सीख प्रदान करता है।
- **धार्मिक और प्रेरणादायक पुस्तकें** – जीवन मूल्यों की समझ बढ़ाती हैं।
- **मीडिया और इंटरनेट** – सही उपयोग पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं।

आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है, जो पूरे समाज और देश में नैतिकता उत्पन्न कर सके। यह नैतिकता नैतिक शिक्षा के द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। किसी भी काम को दबाव से करवाने की बजाय भावनात्मक रूप से अनुरोध करने या समझाने से जल्दी करवाया जा सकता है। अतः नैतिक शिक्षा पाठ्यक्रम को आरंभिक तौर से विद्यार्थी के पठन पाठ्यक्रम में सम्मिलित करके बच्चों के चरित्र को उत्तम बनाया जा सकता है। आज के युग में विज्ञान और तकनीक ने अद्भुत प्रगति की है। मनुष्य चाँद और मंगल तक पहुँच गया है, परंतु समाज में भ्रष्टाचार, हिंसा, झूठ और स्वार्थ बढ़ता जा रहा है। लोग अपने लाभ के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकिचाते। ऐसी स्थिति में नैतिक शिक्षा ही वह माध्यम है जो समाज को सही दिशा दे सकती है।

यदि बच्चों को बचपन से ही अच्छे संस्कार दिए जाएँ, तो वे बड़े होकर जिम्मेदार और ईमानदार नागरिक बनेंगे। इसलिए विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को विशेष स्थान मिलना चाहिए। हमें अपने जीवन में सत्य, ईमानदारी और अनुशासन जैसे नैतिक मूल्यों को अपनाना चाहिए। परिवार, विद्यालय और समाज को मिलकर नैतिक शिक्षा का प्रसार करना चाहिए। यही एक आदर्श और विकसित राष्ट्र की सच्ची नींव है।

आयुर्वेद एक जीवन विज्ञान

कुसुम लता
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली

जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को उन स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में परिभाषित किया जाता है जो जीवनशैली में बदलाव के कारण उत्पन्न होती हैं। बढ़ती गतिहीन जीवनशैली, नौकरी की आवश्यकताओं और प्रतिस्पर्धी जीवन के कारण जीवनशैली में आए बदलाव स्वस्थ जीवन के लिए मुख्य बाधा हैं। जीवनशैली से जुड़ी बीमारियाँ आजकल अधिक आम होती जा रही हैं और अधिकांश आबादी को प्रभावित कर रही हैं। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, डिस्लिपिडेमिया और हृदय रोगों से जुड़े अधिक वजन/मोटापे जैसी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। हृदय संबंधी विकार विश्व स्तर पर होने वाली सभी मौतों में से लगभग 30% के लिए जिम्मेदार हैं और मृत्यु का प्रमुख कारण बने हुए हैं। मूलतः, किसी व्यक्ति की जीवनशैली उसकी शारीरिक क्षमता और मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणाली का संयुक्त परिणाम होती है, जो बचपन से प्राप्त प्रशिक्षण और माता-पिता, भाई-बहन, सहपाठियों आदि से सीखे गए अनुकरण के आधार पर आदतों, व्यवहार, खान-पान और जीवनशैली में प्रकट होती है। इस प्रकार, इसमें शारीरिक और संवेदी गतिविधियों पर विशुद्ध मनोवैज्ञानिक और सहज नियंत्रण शामिल होता है। जब यह नियंत्रण और समन्वय बाधित होता है, तो जीवनशैली में गड़बड़ी उत्पन्न होती है और जीवनशैली संबंधी विकार उत्पन्न हो जाता है। आयुर्वेद को जीवन विज्ञान के रूप में मान्यता प्राप्त है और यह जीवनशैली संबंधी विकारों की रोकथाम और प्रबंधन के तरीके बताता है, इसलिए दुनिया इसकी क्षमता की ओर आकर्षित हो रही है। आयुर्वेद एक समग्र विज्ञान है। इसका प्राथमिक उद्देश्य स्वस्थ व्यक्तियों में स्वस्थ जीवन को बनाए रखना और द्वितीयक उद्देश्य रोगग्रस्त व्यक्तियों में रोग का उपचार करना है ("स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणं, आतुरस्य विकार प्रशमनं च")।

आयुर्वेद क्यों?

1. परंपरागत चिकित्सा के पास स्वास्थ्य संबंधी सभी जरूरतों का समाधान नहीं है, विशेष रूप से बहुआयामी जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों सम्बन्धी।

2. आयुर्वेद अधिक व्यक्तिगत देखभाल और अनुकूलित उपचार विकल्प प्रदान करता है।

आयुर्वेद के माध्यम से रोकथाम-

आयुर्वेद उचित आहार प्रबंधन (आहार), जीवनशैली संबंधी सलाह (दिनचर्या और ऋतुचर्या), पंचकर्म जैसे विषहरण और जैव शुद्धिकरण प्रक्रियाएं, औषधियां (औषध), और कायाकल्प चिकित्सा (रसायन) के रूप में बेहतर समाधान प्रदान करता है। आयुर्वेद का समग्र दृष्टिकोण, जिसमें रोगी का संपूर्ण उपचार किया जाता है, यानि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को लक्षित करके उपचार करना, जीवनशैली संबंधी विकारों के लिए इस विज्ञान को एक बेहतरीन विकल्प बनाता है। आयुर्वेद में त्रय-उपस्तम्भ का वर्णन है, जिसके अनुसार स्वस्थ जीवन के तीन स्तंभ हैं: आहार (उचित आहार), निद्रा (पर्याप्त नींद) और ब्रह्मचर्य (संयम)।

आहार - वैदिक काल से ही आहार को सर्वोपरि महत्व दिया गया है। उपनिषदों में इसे ब्रह्म माना गया है। आचार्य कश्यप ने इसे महाभैषज नाम दिया है। आयुर्वेद में आहार को प्राण (जीवन का आधार) माना जाता है। हित-आहार

(संपूर्ण आहार) का सेवन स्वास्थ्य और दीर्घायु को बढ़ावा देता है, जबकि अहित-आहार (असंपूर्ण आहार) विभिन्न विकारों को जन्म देता है। दुर्भाग्यवश, आधुनिक युग में हित-आहार की अवधारणा को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है, जिससे जीवनशैली संबंधी विकार उत्पन्न हो रहे हैं। आयुर्वेद में अठारह प्रकार के आहार संबंधी असंगतताओं (विरुद्ध आहार) का भी वर्णन किया गया है, जिनसे स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाए रखने के लिए बचना चाहिए।

दिनचर्या :- दिनचर्या में जैविक घड़ी को बनाए रखने के लिए सामान्य सर्केडियन रिदम बहुत महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद के अनुसार, दैनिक आदतों की शुरुआत जागरूकता के साथ करनी चाहिए, जैसे जल्दी उठना, प्राकृतिक इच्छाओं को दबाना नहीं चाहिए और आवश्यकतानुसार अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना, दांतों और त्वचा को साफ रखना, नियमित रूप से मालिश (अभ्यंग) करना, नियमित स्नान करना (स्नान भूख बढ़ाता है और दीर्घायु को बढ़ावा देता है), और भूख और चयापचय संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार उपयुक्त और पौष्टिक आहार का सेवन करना, क्योंकि यह जीवन का आधार है और दैनिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।

पंचकर्मा :- पंचकर्मा जैव-शुद्धिकरण की पाँच प्रमुख प्रक्रियाओं या तकनीकों को संदर्भित करने वाला एक सामूहिक शब्द है। इन प्रक्रियाओं का उपयोग शरीर के चैनलों को शुद्ध करने, शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने और जैव-दोषों (त्रिदोष यानी वात, पित्त, कफ और मनसा दोष यानी रज और तम) में सामंजस्य स्थापित करने के लिए किया जाता है, जिससे दीर्घकालिक लाभकारी प्रभाव प्राप्त होते हैं। इसके परिणामस्वरूप जैव-प्रणाली के भीतर रासायनिक संतुलन स्थापित होता है और इस प्रकार मस्तिष्क में सामान्य रासायनिक और विद्युत वातावरण प्रदान होता है और अंततः समस्थिति बहाल होती है।

ऋतुचर्या :- विभिन्न विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत ऋतुएँ शरीर और पर्यावरण पर अलग-अलग प्रभाव डालती हैं। आयुर्वेद में आहार और जीवनशैली से संबंधित कई नियम और विधियाँ बताई गई हैं, जिनसे शरीर के संतुलन को बिगाड़े बिना मौसमी परिवर्तनों को आसानी से आत्मसात किया जा सकता है। आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली का मुख्य उद्देश्य निवारक पहलू है, जिसे जलवायु परिस्थितियों में परिवर्तन के अनुसार आहार और जीवनशैली में संशोधन करके प्राप्त किया जा सकता है।

रसायनों का उपयोग उनके विभिन्न प्रकारों के आधार पर पोषण पूरक और औषधि दोनों के रूप में किया जा सकता है। अधिकांश रसायन अग्निबल (पाचन शक्ति) को बढ़ावा देकर, प्रत्यक्ष पोषक तत्वों के रूप में कार्य करके और स्रोतो-प्रसादन (शरीर की नलिकाओं का शुद्धिकरण) के माध्यम से अपना पोषण और कायाकल्प प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप पोषण की स्थिति में सुधार होता है और आगे चलकर धातुओं या शरीर के ऊतकों की गुणवत्ता में भी सुधार होता है। रसायन औषधियाँ एक सामान्य श्रेणी की पुनर्स्थापना और कायाकल्प करने वाली औषधियाँ हैं, फिर भी कई रसायन विशिष्ट ऊतकों और अंगों के लिए विशिष्ट हो सकती हैं, जैसे मस्तिष्क के लिए मेध्य रसायन, हृदय के लिए हृदय रसायन, त्वचा के लिए त्वच्य रसायन इत्यादि। रसायन औषधियों पर किए गए विभिन्न अध्ययनों से इनके कई कार्यों का पता चलता है, जैसे प्रतिरक्षामापक, अनुकूलनकारी, एंटीऑक्सीडेंट, तंत्रिका-पोषक और तनाव-रोधी।

इसलिए, आयुर्वेद रोग के मूल कारण पर जोर देते हुए उसके उपचार में श्रेष्ठता रखता है। आयुर्वेदिक चिकित्सक का ध्यान स्वास्थ्य संवर्धन, रोग निवारण और प्रबंधन के आयुर्वेद के उद्देश्य को प्राप्त करने पर केंद्रित होता है, ताकि पीड़ित समाज का जीवन स्वस्थ और सुखी व्यतीत हो सके।

<u>महिला सशक्तिकरण</u>

सखी कपूर
लेखापरीक्षक
महानिदेशक लेखापरीक्षा (आयुध निर्माणियाँ)
कोलकाता

"स्त्री शक्ति राष्ट्र शक्ति का अभिन्न अंग होती है जिसे सशक्त और शामिल किए बिना कोई भी राष्ट्र शक्तिशाली नहीं हो सकता"।

महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता देने के क्रम में वर्तमान भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा महिलाओं को पुरुषो के बराबर अवसर प्रदान करने का प्रयास किया है जो सुरक्षा के पाँच पहलुओं पर आधारित एक व्यापक मिशन है। यह पाँच पहलू हैं – माँ एवं शिशु की स्वास्थ्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, वित्तीय सुरक्षा, शैक्षणिक एवं वित्तीय कार्यक्रमों के माध्यम से भविष्य की सुरक्षा तथा महिलाओं की सलामती। इस प्रकार हम पाते हैं कि जब भी राष्ट्र को सशक्त करने की बात आती है तो महिला सशक्तिकरण के पहलू को अनदेखा नहीं किया जा सकता। किसी संस्कृति को अगर समझना है तो सबसे आसान तरीका है कि उसे संस्कृति में नारी के हालात को समझने की कोशिश की जाए। भारतीय संस्कृति में नारी की महत्ता से कौन परिचित नहीं है। भारतीय संस्कृति में भगवान शिव का नाम अर्धनारीश्वर बताया गया है। यह पौराणिक प्रतिपादन समग्र समाज में महिलाओं की पुरुषों के साथ बराबरी की भागीदारी की मान्यता, भावना एवं सिद्धांत की पुष्टि करता है। श्रेष्ठ कार्य के समय महिला को पुरुष के दाहिनी ओर बैठाने की परंपरा के पीछे भी महिलाओं को श्रेष्ठ कार्यों में प्राथमिकता देने के विचार ही निहित है। समग्र विकास में महिलाओं की अनिवार्य भागीदारी की आवश्यकता पर यह तथ्य बल देते हैं। एक-दूसरे के पूरक होते हुए नर एवं नारी की समाज में महत्वपूर्ण भागीदारी है। किसी भी देश के विकास संबंधित सूचकांक को निर्धारित करने हेतु उद्योग व्यापार, खाद्यान्न उपलब्धता, शिक्षा इत्यादि के स्तर के साथ ही इस देश की महिलाओं की स्थिति का भी अध्ययन किया जाता है। नारी की सुदृढ़ एवं सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मजबूत समाज की घोतक है।

वर्तमान में नारियाँ प्रत्येक क्षेत्र में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। शिक्षा एवं आर्थिक स्वतंत्रता ने महिलाओं में नवीन चेतना भर दी है। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि हो रही है। आज महिलाएँ राजनीति, बिज़नेस, कला तथा खेल सहित रक्षा क्षेत्र में भी नए आयाम गढ़ रहे हैं। सेना जैसे संवेदनशील क्षेत्र में भी महिलाएँ अपनी भूमिका पुरुषों के साथ कदम मिलाकर निर्वहन कर रही हैं। हाल ही में अवनी चतुर्वेदी सहित तीन लड़कियों को वायुसेना में फाइटर प्लेन उड़ने की अनुमति प्रदान की गई है। यह उनकी कार्यक्षमता का घोतक है, क्योंकि शारीरिक रूप से प्रायः कमजोर समझी जाने वाली महिलाएँ आज कठिन माने जाने वाले क्षेत्रों में भी अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर रही है। गांधी जी ने कहा था कि "महिलाएं पुरुषों से बेहतर सैनिक साबित हो सकती हैं, बस उनको अवसर देने की जरूरत है"। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, अवनी चतुर्वेदी जैसी अनेक नारियाँ आज समाज में महिलाओं की मजबूत छवि प्रस्तुत कर रही है। "अग्नि-पंचम" मिसाइल के विकास में प्रमुख भूमिका निभाने वाली टेसी थॉमस को 'मिसाइल वुमन' के नाम से जाना जाता है। शीर्ष क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी सफलता की कहानी दुनिया के सामने रखी है। आर्थिक अधिकारों की प्राप्ति तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने के कारण महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। देश के कई आर्थिक संस्थानों के शीर्ष पदों पर महिलाएँ कार्यभार संभाल रही है तथा देश के विकास में अपना योगदान दे रही है। अरुंधति महाचार्य, शिखा शर्मा, नैनालाल किदवई, सावित्री जिंदल आदि आर्थिक क्षेत्र में शीर्ष पदों पर काबिज हैं।

भारत के संबंध में कई बार वर्ल्ड बैंक ग्रुप आदि ने कहा है कि अगर यहाँ पर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी में वृद्धि की जाए तो भारत की विकास दर में तीव्र वृद्धि हो सकती है। गौरतलब है कि 1994 से 2012 के मध्य कई लाख भारतीय गरीबी रेखा से बाहर निकल चुके हैं। इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी होती अगर कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में और इजाफ़ा होता। 2012 से सिर्फ 27% वयस्क भारतीय महिलाएं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थीं। चिंता की बात यह है कि भारत के तीव्र शहरीकरण ने कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी में कोई वृद्धि नहीं की है। कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी के मामले में भारत की रैंकिंग विभिन्न देशों के मध्य निम्न है परंतु लिंग आधारित हिंसा के दर के मामले में काफी उच्च है। देश के कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी 2016 के 37% से नीचे गिरकर 2019 में 18% रह गई है एवं जेंडर गैप के मामले में 23% पर आ गई है। यह माना जाता है कि कार्यबल में महिलाओं के प्रवेश को सुनिश्चित करने और उनकी भागीदारी बढ़ाने में जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जेंडर सेंसिटिव इंफ्रास्ट्रक्चर के तहत बच्चों हेतु पूर्वकालिक शिशुगृह, कार्यशील महिलाओं हेतु वहनीय एवं सुरक्षित हॉस्टल एवं आधारभूत सार्वजनिक सुविधाएँ शामिल हैं।इन सबके बावजूद सिक्के का एक अन्य पहलू यह भी है कि आज भी महिला कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा अन्याय एवं शोषण का शिकार होता है। भारत में आज भी कई कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण होता है। 'मी टू' अभियान यह सिद्ध करता है कि महिलाएँ किस प्रकार कार्यस्थल पर प्रताड़ित की जाती हैं। परंतु सभी सामाजिक वर्जनाओं को तोड़ते हुए उन्होंने इसके खिलाफ अपनी आवाज़ भी बुलंद की है। महिलाओं को अपने स्वतंत्र अस्तित्व का निर्माण करने और उसे कायम रखने हेतु स्वावलंबी और आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी है। साथ ही जो समाज और रिवाज़ स्त्रियों के विकास को उचित नहीं समझता उसे बदल देना आवश्यक है।

वैश्वीकरण के इस अर्थ प्रधान युग में एक ओर जहां स्त्रियाँ वर्जनाओं को तोड़ते हुए नित सफलता के नए सोपान पर चढ़ती जा रही हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें भोग की वस्तु के रूप में प्रचारित और प्रसारित भी किया जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के उत्पादों के विज्ञापनों में इसकी झलक बड़ी आसानी से देखी जा सकती है। चाहे वह फिल्म इंडस्ट्री की शोषित कोई स्त्री कलाकार हो या विज्ञापनों में बड़े ही शर्मसार तरीके से चित्रित की गई कोई नारी हो। इसका यह नतीजा हुआ कि स्त्री आज भी उसी चौराहे पर खड़ी है और खुद से अनेक प्रश्न पूछती है कि क्या वह मंजिल है जिसे वह हासिल करना चाहती थी या फिर इस मुकाम तक पहुँच कर भी लोगों की मानसिकता में कोई परिवर्तन क्यों नहीं दिखता? अगर एक ऊंचे ओहदे पर स्थित स्त्री की हालत ऐसी है तो एक साधारण स्त्री की स्थिति क्या होगी? स्त्री को उसके देह से अलग एक स्त्री के रूप में देखने की आदत में परिवर्तन लाने की किसी की मजबूरी को किसी का व्यवसाय बनाने से रोकना होगा एवं नग्नता और शालीनता के मध्य की बारीक रेखा को समझना होगा जिसका निर्माता भी समाज होता है एवं जिसका विध्वंसक भी यही समाज होता है। उचित- अनुचित, न्याय-अन्याय, विवेकपूर्ण-अविवेकपूर्ण, स्वाधीनता एवं उच्छृंखलता, दायित्व और दायित्वहीनता, शालीनता और अश्लीलता के मध्य विद्यमान धुँधलके को स्पष्ट करना होगा। स्त्री की आज़ादी पूर्ण तभी मानी जाएगी जब उसकी प्रतिभा को स्वीकार्यता मिले ना कि उसके दैहिक सौंदर्य को।

यह सत्य है कि वर्तमान में स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आया है। सामरिक क्षेत्र तक पहुँच उनकी क्षमता का घोतक है, फिर भी स्त्रियां अनेक स्थानों पर पुरुष प्रधान मानसिकता से पीड़ित रहती हैं।

आर्थिक एवं सामारिक क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक कदम –

- महिलाओं के विकास हेतु सकारात्मक आर्थिक और सामाजिक नीतियों का निर्माण।

- पुरुषों के साथ महिलाओं को राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नागरिक क्षेत्र में वैधानिक एवं समान अवसर प्रदान करना।
- देश के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की समान भागीदारी।
- स्वास्थ्य, गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा, रोजगार के समान पारिश्रमिक,सामाजिक सुरक्षा आदि तक समान पहुँच।
- महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन का प्रयास।
- विकास प्रक्रिया में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करना।
- महिलाओं और बालिकाओं के प्रति सभी प्रकार की हिंसा का उन्मूलन।
- नागरिक समाज विशेषकर महिला संगठनों के साथ भागीदारी का निर्माण एवं उन्हें सुदृढ़ करना।

हम पाते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एवं रक्षा क्षेत्र में महिलाएँ अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। अगर हाल-फिलहाल की भारत की आर्थिक स्थिति को छोड़ दें, जो कोविड-19 से प्रभावित है, तो भारत की विकास दर पिछले कुछ समय से उच्च बनी हुई है जिसका कारण बचत और पूंजी निर्माण की उच्च दर बताई जाती है। इन आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बचत, उपभोग-अभिवृत्ति एवं पुनर्चक्रण-प्रवृत्ति के मामले में भारत की अर्थव्यवस्था महिला केंद्रित मानी गई है। साथ ही हाल-फिलहाल में रक्षा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि कर सरकार महिलाओं को इस क्षेत्र में भी मुख्य भूमिका निभाने का मौका देना चाह रही है। अतः महिलाओं की असीमित क्षमता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि इन्हें आर्थिक एवं सामरिक क्षेत्र के केंद्र में रखा जाए ताकि देश विकास के नए आयाम स्थापित कर सके।

महिला सुरक्षाः कितनी विधिक और कितनी वास्तविक

सुदेश कुमारी
सहायक निदेशक (राजभाषा)
महानिदेशक लेखापरीक्षा,रेलवे
नई दिल्ली,शाखा कार्यालय, जयपुर

किसी भी समाज की प्रगति और सभ्यता का वास्तविक पैमाना उसके भौतिक विकास, आधुनिक कानूनों की संख्या या ऊँचे इमारती ढाँचों में नहीं, बल्कि इस बात में निहित होता है कि वहाँ का मानव कितना सुरक्षित है और उसमें भी महिलाएँ कितनी सुरक्षित, सम्मानित और स्वतंत्र जीवन जी पा रही हैं। इतिहास साक्षी है कि जिन सभ्यताओं में महिलाओं को समान अधिकार, गरिमा और सुरक्षा प्रदान की, वो समाज अधिक संतुलित, संवेदनशील और दीर्घकालीन रूप से विकसित बने।

भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर संवैधानिक और विधायी स्तर पर गंभीर प्रयास किए गए हैं। संविधान द्वारा समानता की गारंटी, संसद में बनाए गए अनेक विशेष विधियाँ, महिला हेल्पलाइन, विशेष न्यायालय और विभिन्न सरकारी योजनाएँ यह संकेत देती हैं कि महिलाओं की सुरक्षा राज्य की प्राथमिकताओं में शामिल है। काग़ज़ों पर यह समूची व्यवस्था एक आश्वस्त करने वाली तस्वीर प्रस्तुत करती है और यह विश्वास भी जगाती है कि समाज न्यायपूर्ण दिशा में अग्रसर है।

परंतु जब इन्हीं विधियों एवं योजनाओं को रोज़मर्रा की ज़मीनी हकीकत के धरातल पर परखा जाता है, तो एक गहरी विडंबना सामने आती है। अख़बारों की सुर्खियाँ, सामाजिक अनुभव और उपलब्ध आँकड़े एक भिन्न ही सच्चाई उजागर करते हैं—जहाँ महिलाएँ आज भी घर की चार दीवारों के भीतर, सड़कों पर, कार्यस्थलों और डिजिटल माध्यमों में असुरक्षा, भय और उत्पीड़न का सामना कर रही हैं। कानून और यथार्थ के बीच का यही अंतर एक मूलभूत प्रश्न को जन्म देता है—**क्या समस्या विधियों की कमी की है, या उनकी प्रभावी क्रियान्वन और समाज की मानसिकता में बदलाव के अभाव की?**

विधियों का जंगल, लेकिन रास्ता स्पष्ट नहीं

महिलाओं को "शक्ति", "दुर्गा" और "लक्ष्मी" के रूप में पूजनीय माने जाने वाले भारत देश में, वही महिलाएँ भेदभाव, हिंसा और शोषण का शिकार होती हैं। यह दोहरी मानसिकता महिलाओं की सुरक्षा को और जटिल बना देती है।

सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास की रीढ़ महिलाएँ जनसंख्या का आधा हिस्सा हैं। असुरक्षित महिलाओं का व्यक्तिगत विकास बाधित होता है, जिससे पूरे समाज की प्रगति भी रुक जाती है। इसलिए अनिवार्य है कि महिलाओं की सुरक्षा को केवल महिला मुद्दा नहीं अपितु **राष्ट्रीय और सामाजिक विकास के मुद्दे** के रूप में देखा जाए।

भारत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानूनी ढांचा विस्तृत है। घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम कानून, दहेज निषेध अधिनियम, बलात्कार और छेड़छाड़ से संबंधित दंडात्मक प्रावधान—ये सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर गढ़ते हैं, जिसमें महिला न्याय और संरक्षण की हकदार है।

लेकिन यही कानून जब ज़मीनी स्तर पर पहुँचते हैं, तो अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। पुलिस थाने में दर्ज होने वाली शिकायत, अदालतों में वर्षों तक चलने वाले मुकदमे और सामाजिक दबाव—ये सभी कानून की प्रभावशीलता को सीमित कर देते हैं। काग़ज़ पर संरक्षित महिला व्यवहार में अपने संघर्ष में अकेली होती है।

महिलाओं की सुरक्षा हेतु संवैधानिक और कानूनी प्रावधान

भारत का संविधान महिलाओं को समानता और सुरक्षा की गारंटी देता है।

- **अनुच्छेद 14** – कानून के समक्ष समानता
- **अनुच्छेद 15** – लिंग के आधार पर भेदभाव निषेध
- **अनुच्छेद 21** – जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता

इन संवैधानिक प्रावधानों के अलावा, समय-समय पर कई विशेष कानून बनाए गए, जैसे—

- भारतीय दंड संहिता की धाराएँ (354, 376 आदि)
- घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
- दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961
- कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (PoSH Act)
- मानव तस्करी, बाल विवाह और साइबर अपराध से संबंधित कानून 2023 की धारा 143-144,
- बाल विवाह के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 , और POCSO Act 2012

क़ानूनों का यह ढाँचा देखने में सशक्त और व्यापक है। ऐसा लगता है कि महिलाएँ पूर्णतया सुरक्षित हैं।

कानून बनाम ज़मीनी हकीकत का अंतर

महिलाओं से संबंधित कानूनों के कार्यान्वयन में आने वाली समस्याओं को समझना होगाः

पहली समस्या है **शिकायत दर्ज कराने में झिझक**। सामाजिक बदनामी, परिवार का दबाव, और "लोग क्या कहेंगे" जैसी सोच महिलाओं को चुप रहने पर मजबूर कर देती है। इस प्रकार के दबाव महिला को अपने हक अथना न्याय के लिए बोलने से रोकते हैं।

दूसरी समस्या है **पुलिस और प्रशासन की संवेदनशीलता की कमी**। कई मामलों में पीड़िता को ही संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। शिकायत करने वाली महिला से अक्सर सवाल पूछे जाते हैं—"आप उस समय वहाँ क्यों थीं?", "आपके कपड़े कैसे थे?", "आपने पहले शोर क्यों नहीं मचाया?" जैसे तर्कहीन प्रश्न पीड़िता की रही सही हिम्मत को भी तोड़ देते हैं। यही वह क्षण है जहाँ कानून की आत्मा दम तोड़ देती है और समाज की पिछड़ी मानसिकता जीत जाती है।

तीसरी समस्या है कि समाज एवं पुलिस और प्रशासन की सब बाधाओं को पार कर या किस्मत से सहयोगी रवैया मिलने से जो महिलाएं आगे आने की हिम्मत कर लेती हैं उन्हें **लंबी एवं जटिल न्यायिक प्रक्रिया** का सामना करना पड़ता है जो पीड़िता के मानसिक और आर्थिक संसाधनों को तोड़ देती है। विडंबना ये है कि इन सब कारणों से कानून का भय अपराधी के मन में पैदा होना चाहिए, पर होता महिलाओं के मन में है जिससे वे खुद को असहाय महसूस करती हैं। सामाजिक बदनामी, परिवार की 'इज़्ज़त', रिश्तों के टूटने का भय—ये ऐसे कारण हैं जो पीड़िता को चुप रहने पर मजबूर तो करते ही हैं साथ ही उनके साथ हुए अपराध की रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करने देते ।

क़ानूनों की मौजूदगी के बावजूद महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की घटनाएँ कम होने के बजाय निरंतर चर्चा में रहती हैं। ऐसी घटनाएं किसी क्षेत्र विशेष में ही नहीं होती, चाहे शहर हो या गांव, सब जगह इस प्रकार की दुर्घटनाएं देखने सुनने को मिल ही जाती हैं। इनका संबंध किसी आयु विशेष की महिलाओं से हो ये भी आवश्यक नहीं है। किसी भी आयु वर्ग की महिला इस का शिकार हो सकती है। इसका सबसे बड़ा कारण है—**कानून और उनके क्रियान्वयन के बीच की खाई।**

घर: सबसे सुरक्षित स्थान या सबसे खामोश जेल?

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा केवल सार्वजनिक स्थानों तक सीमित नहीं है। घर—जो सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है—अक्सर महिलाओं के लिए असुरक्षा का केंद्र बन जाता है।

- शारीरिक हिंसा
- मानसिक उत्पीड़न
- आर्थिक शोषण

घरेलू हिंसा के कई मामले रिपोर्ट ही नहीं होते, क्योंकि पीड़िता अपने परिवार को टूटने से बचाने या सामाजिक दबाव के कारण चुप रह जाती है। कानून होने के बावजूद, ज़मीनी स्तर पर सहायता तंत्र का अभाव इस समस्या को और गंभीर बना देता है।

महिला असुरक्षा केवल सार्वजनिक स्थलों तक सीमित नहीं है। घरेलू हिंसा एक ऐसी सच्चाई है जो अक्सर घर की चार दीवारों में दफन रह जाती है। परिवार का ही कोई सगा संबंधी इस प्रकार की घटना को अंजाम देता है, जो शारीरिक हिंसा के साथ-साथ मानसिक हिंसा का भी कारण बनती है। मानसिक भावनात्मक हिंसा—अपमान, नियंत्रण, आर्थिक निर्भरता और भय होती है

घरेलू हिंसा में शिकायत न करने का एक मुख्य कारण परिवार को जोड़े रखना भी है। यदि महिलाएं अपना मुँह खोलती है तो उन्हें ही दोषी ठहराया जाता है। आर्थिक रूप से अक्षम महिलाएं ही नहीं, अपितु आर्थिक रूप से सक्षम महिलाएं भी घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। कानून है, लेकिन शिकायत करने के बाद महिला कहाँ जाएगी? क्या उसके पास आर्थिक स्वतंत्रता है? क्या समाज उसका साथ देगा या 'समझौता' करने की सलाह?

जैसे सवाल महिला की सोच एवं उसके सामर्थ्य को प्रभावित करते हैं। जिस कारण वह अपने लिए बने कानूनों का उपयोग नहीं कर पाती। अक्सर कानून की मौजूदगी के बावजूद समाधान सामाजिक दबावों के नीचे दबकर रह जाता है।

कार्यस्थल पर चुप्पी

महिलाओं की बढ़ती कार्यभागीदारी आर्थिक विकास का संकेत है, लेकिन इसके साथ कार्यस्थलों पर नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक ऐसी समस्या है जो कई बार खुले तौर पर दिखाई नहीं देती। यौन उत्पीड़न के मामलों में POSH (**Prevention of Sexual Harassment at Workplace) अर्थात कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न रोकथाम जैसे कानून बनाए गए हैं। जो कि** एक महत्वपूर्ण कदम है, परंतु वास्तविकता यह है कि कई संस्थानों में यह कानून केवल फाइलों तक सीमित रह गया है। केवल खानापूर्ति कर ली जाती है।

नौकरी जाने का डर, करियर पर नकारात्मक प्रभाव की आशंका, और सीनियर्स की पावर—ये सब मिलकर महिला को चुप रहने के लिए मजबूर करते हैं। शिकायत तंत्र होते हुए भी भरोसे की कमी सबसे बड़ा रोड़ा बन जाती है। ये भरोसा कि पीड़ित महिला के साथ कौन होगा ? एवं कौन उसे न्याय दिलवाने में सहायक होगा?, का अभाव

महिला को पीछे खींचता है। ऐसी परिस्थितियों में महिला के परिवार वाले भी महिलाओं को काम करने से रोकते हैं न कि उनके साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत में उनका साथ दें।

डिजिटल युग और महिलाओं के सामने नई चुनौतियाँ

डिजिटल युग ने समाज को सूचना, संचार और अवसरों के अभूतपूर्व आयाम दिए हैं। विशेष रूप से महिलाओं के लिए स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने अभिव्यक्ति, आत्मनिर्भरता और रोजगार के नए रास्ते खोले हैं। लेकिन इसी डिजिटल क्रांति के साथ कुछ ऐसी चुनौतियाँ भी उभरी हैं, जो महिलाओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। तकनीकी ज्ञान की कमी के कारण अनेक महिलाएँ शिकायत दर्ज ही नहीं कर पातीं। परिणामस्वरूप अपराध दबा रह जाता है और अपराधियों का मनोबल बढ़ता है।

महिलाओं के विरुद्ध उभरती डिजिटल हिंसा

तकनीक ने जहाँ अवसर दिए हैं, वहीं उसने हिंसा के नए रूप भी पैदा किए हैं, जैसे—

- साइबर स्टॉकिंग: लगातार ऑनलाइन निगरानी, पीछा करना और डराने-धमकाने का व्यवहार
- ऑनलाइन धमकी और ट्रोलिंग: सोशल मीडिया पर अपमान, अश्लील टिप्पणियाँ और हिंसा की धमकियाँ
- छवि और निजता का दुरुपयोग: निजी तस्वीरों या वीडियो का बिना अनुमति साझा किया जाना

ये सभी अपराध कानून की दृष्टि में दंडनीय हैं, लेकिन उनकी पहचान, जांच और सज़ा की प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है । डिजिटल दुनिया में होने वाली हिंसा को समाज अभी भी पूरी गंभीरता से नहीं समझ पाया है। अक्सर पीड़ित महिलाओं को यह कहकर चुप करा दिया जाता है कि *"इसे नज़रअंदाज़ कर दो"* या *"ऑनलाइन ही तो है"*। जबकि सच्चाई यह है कि ऑनलाइन उत्पीड़न का मानसिक और भावनात्मक प्रभाव बेहद गहरा और दीर्घकालिक हो सकता है—जो चिंता, अवसाद और आत्मविश्वास की कमी तक का कारण बन सकता है।

डिजिटल हिंसा से निपटने के लिए केवल कानून ही नहीं, बल्कि डिजिटल साक्षरता, संवेदनशील पुलिस व्यवस्था और सामाजिक जागरूकता भी आवश्यक है। महिलाओं को यह जानना जरूरी है कि ऑनलाइन हिंसा भी वास्तविक हिंसा है और इसके खिलाफ आवाज़ उठाना उनका अधिकार है।

असली समस्या कानून नहीं, सोच मूल समस्या की जड़

महिला असुरक्षा का मूल कारण केवल कानून की कमी नहीं है, बल्कि समाज की पितृसत्तात्मक सोच है। जब तक लड़कियों को 'संभलकर रहने' की हिदायत दी जाती रहेगी और लड़कों को खुले व्यवहार की छूट मिलती रहेगी, तब तक सुरक्षा अधूरी रहेगी।

पीड़िता को दोष देना

- महिलाओं की स्वतंत्रता को संदेह की नज़र से देखना
- पुरुष वर्चस्व को सामान्य मानना

जब तक समाज की यह मानसिकता नहीं बदलेगी, तब तक कोई भी कानून अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। कानून बाहरी नियंत्रण है, लेकिन मानसिकता आंतरिक अनुशासन। । जब समाज की सोच नहीं बदलेगी, तब तक हर नया कानून एक अस्थायी मरहम भर बनकर रह जाएगा।

शिक्षा और संवेदनशीलता: स्थायी समाधान की कुंजी

महिलाओं की सुरक्षा का स्थायी समाधान थानों या अदालतों से नहीं, कक्षाओं और परिवारों से निकलता है। शिक्षा महिलाओं की सुरक्षा की सबसे मजबूत नींव है लैंगिक समानता की शिक्षा, आपसी सम्मान की भावना और संवेदनशील व्यवहार—ये वे बीज हैं जो सुरक्षित समाज का निर्माण करते हैं। पुरुषों की भूमिका यहाँ निर्णायक है। लड़को को भी शुरूआत से ही महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाना एक परिवार का कर्तव्य है। लड़के को महिलाओं का सम्मान करना बचपन से ही सिखाना होगा ताकि वो आगे जाकर एक समझदार पुरूष, बने जो महिलाओं को सम्मान दे तथा उनके हक की लड़ाई में उनका साथ भी दे महिला सुरक्षा को 'महिलाओं की समस्या' नहीं, बल्कि **मानवीय और सामाजिक जिम्मेदारी** के रूप में स्वीकार करना होगा। केवल महिलाओं को नहीं, बल्कि पुरुषों और समाज के हर वर्ग को भी संवेदनशील बनाना आवश्यक है।

समाधान की दिशा: क़ानून से आगे की सोच

महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें तीन स्तरों पर एक साथ काम करना होगा—

1. कानूनी स्तर पर कानूनों का त्वरित और निष्पक्ष क्रियान्वयन
2. प्रशासनिक स्तर पर पुलिस और न्यायिक व्यवस्था में प्रशिक्षण और जवाबदेही एवं पीड़िता-केंद्रित सहायता तंत्र
3. सामाजिक स्तर पर सामाजिक सोच में परिवर्तन पुरुषों की सक्रिय भागीदारी

महिलाओं की सुरक्षा केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जहाँ महिला को शिकायत करते समय डर न लगे, और न्याय की राह अकेले न चलनी पड़े।

उपसंहार

महिलाओं की सुरक्षा का सवाल केवल नीतियों, कानूनों या प्रशासनिक सुधारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे सामूहिक विवेक और सामाजिक चरित्र की गहरी कसौटी है। कानून यदि समाज की चेतना से जुड़ जाए, तो वह केवल दंड का औज़ार नहीं रहता, बल्कि विश्वास और न्याय का आधार बन जाता है। जब कोई महिला बिना भय के घर से बाहर निकल सके, जब उसकी आवाज़ का उपहास न किया जाए, और जब न्याय उसकी सहनशक्ति की परीक्षा लेने के बजाय उसके साथ खड़ा हो—तभी यह कहा जा सकेगा कि कानून और ज़मीनी हकीकत के बीच की दूरी वास्तव में कम हुई है।

वास्तविक सुरक्षा तभी संभव है जब महिला को न्याय की लड़ाई अकेले न लड़नी पड़े, जब कानून किताबों और फाइलों से निकलकर उसके जीवन में सुरक्षा का जीवंत अनुभव कराए। यह आवश्यक है कि कानून, व्यवस्था और समाज—तीनों एक साथ, समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य करें। तभी महिलाओं की सुरक्षा एक आदर्श या नारा भर नहीं रहेगी, बल्कि एक सजीव, विश्वसनीय और अनुभव की जा सकने वाली वास्तविकता बन सकेगी।

‘राष्ट्रीय युवा दिवसः’ युवाओं के लिए राष्ट्र निर्माण का प्रेरणास्रोत

डॉ. लाखा राम
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हरियाणा,
चण्डीगढ।

युवाओं के प्रेरणास्रोत स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। भारत सरकार ने सन 1984 में घोषणा की थी कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती का दिन (12 जनवरी) राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देशभर में सर्वत्र मनाया जाए और राष्ट्रीय युवा दिवस का सबसे पहला आयोजन 12 जनवरी 1985 को किया गया। इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1999 में प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को 'अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस' के रूप मनाने का निर्णय लिया, जो पहली बार 2000 में मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस (12 जनवरी) केवल एक तिथि नहीं, बल्कि युवा चेतना को जगाने का पर्व है जो युवाओं को राष्ट्र निर्माण, आत्ममंथन और आत्मनिर्भरता के लिए प्रेरित करता है।

राष्ट्रीय युवा दिवस का मुख्य उद्देश्य स्वामी जी के ओजस्वी विचारों के माध्यम से युवाओं में आत्मविश्वास, चरित्र-बल और देश सेवा की भावना को जागृत करना है। स्वामी जी के विचार केवल शब्द नहीं, बल्कि जीवन जीने का मार्ग हैं। उनका मानना था कि किसी भी राष्ट्र की असली शक्ति वहां के युवाओं के चरित्र और उनके संकल्पों में निहित होती है। भारतीय ज्ञान परंपरा, दर्शन व अध्यात्म से देश के युवाओं को जोड़ने और इसकी व्याप्ति विश्व मंचों तक पहुंचाने वाले स्वामी विवेकानंद जी ने युवाओं की एक ऐसी पीढ़ी की कल्पना की थी जो निडर, निस्वार्थ और मानवता की सेवा के लिए प्रतिबद्ध हो। उनके लिए बेसहारा लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची सेवा थी। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व और ‘उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक मत रुको’ का आह्वान आज भी करोड़ों भारतीयों, विशेषकर युवा शक्ति, को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। वे वास्तव में आधुनिक मानव के आदर्श प्रतिनिधि हैं।

स्वामी जी ने ही पश्चिम को भारत की सनातन संस्कृति की महानता का अनुभव कराया था। 1893 में शिकागो विश्व धर्म संसद में दिए गए उनके ऐतिहासिक भाषण “बहनों और भाइयों...” ने पूरी दुनिया को भारतीय अध्यात्म और वेदांत का परिचय कराया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और मानव सेवा के क्षेत्र में कार्यरत है। उनके विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 19वीं सदी में थे। उन्होंने युवाओं को भारत और दुनिया के उत्थान के पीछे प्रेरक शक्ति के रूप में जाना। उनका मानना था कि युवाओं के भीतर छिपी शक्ति का यदि उपयोग किया जाए और उसे महान आदर्शों की ओर निर्देशित किया जाए, तो समाज में गहरा परिवर्तन आ सकता है।

12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती मनाई गई। इस वर्ष (2026) की थीम है “स्वयं को जगाएं, दुनिया को प्रभावित करें” (Ignite the Self, Impact the World), जिसका मुख्य लक्ष्य युवाओं का सशक्तिकरण और विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करना है।

युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है जो उसके भविष्य को बदल सकती है। हमारे युवाओं का जोश और जज्बा ही हमारी असली पूंजी है। वे समाज और राष्ट्र के कर्णधार, देश के विकास और प्रगति के मुख्य स्तंभ, परिवर्तन एवं क्रांति के दूत हैं। आज का युवा केवल सपने देखने वाला नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने की क्षमता भी रखता है। भारत की आत्मा उसकी युवा शक्ति में बसती है। यह वही वर्ग है जो ऊर्जा, नवाचार और साहस से भरा हुआ है। शिक्षा, खेल, विज्ञान और राजनीति में युवाओं की भागीदारी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को मजबूत बनाती है। इनका उद्देश्य युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, रोजगार के अवसर बढ़ाना और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करना है।

युवा वर्ग की शक्ति को उचित राह मिल जाए तो वे परिवार, समाज अथवा राष्ट्र को नई ऊंचाइयां तक ले जा सकते हैं और संपूर्ण विश्व को आदर्श रूप दे सकते हैं। इतिहास साक्षी है कि युवाओं ने कई बार समाज और राष्ट्र को नई दिशा दी है। कंस के अत्याचारों से दुखी मथुरावासियों के कष्टों का निवारण करने के लिए युवा कृष्ण ने ही उसका वध किया था। इससे पूर्व त्रेता युग में युवा राम ने दुराचारी रावण का वध किया। राजसी ऐश्वर्य का त्याग कर निर्वाण का संदेश देने वाले महात्मा बुद्ध युवा ही थे। ऐसे ही महावीर स्वामी, ध्रुव, प्रहलाद, लव, कुश, खुदीराम बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्ला खां आदि युवा ही थे। स्वामी विवेकानंद जी ने भी युवावस्था में ही आध्यात्मिक जगत में भारत का मस्तक ऊंचा किया था।

युवा की परिभाषा भी सरल सुगम नहीं। युवा में असीम साहस होता है, उफनता जोश होता है, उसकी आंखों में आत्मविश्वास झलकता है, उसकी हंसी बादलों की गर्जना को मात देती है। उसका लक्ष्य अचूक होता है। स्थितियों को वह अपने अनुकूल बना लेने की क्षमता रखता है। एक मजबूत राष्ट्र निर्माण के लिए युवाओं में एक फौलादी जिगर, दृढ़ इच्छा शक्ति, पराक्रम, धैर्य, संयम की जबरजस्त मांग होती है। स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि "युवाओ को बीते कल से सीख लेनी होगी, आज के लिए जीना होगा और आने वाले कल पर आशाएं बनाई रखनी होगी।"

स्वामी जी ने कहा था, "युवा वह है जिसे मुस्कुराने के लिए किसी कारण की आवश्यकता नहीं होती।" उनका यह संदेश केवल आयु से नहीं, बल्कि सोच और कर्म से युवापन को परिभाषित करता है। आज आवश्यकता इस बात की है कि युवा केवल उम्र में ही नहीं, बल्कि विचारों में भी नवीन हों और उनके कर्म सकारात्मक दिशा में प्रवाहित हों। तकनीक, मीडिया और इंटरनेट के युग में युवाओं का मन, सोच और दृष्टिकोण बाहरी प्रभावों से तेजी से प्रभावित हो रहा है। ऐसी स्थिति में स्वामी विवेकानंद, डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम जैसे आदर्शों की ओर लौटना आवश्यक है। राष्ट्रभक्ति, सेवा और निडरता को आत्मसात कर युवा राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सकते हैं। इसलिए यदि यह आधी आबादी काम पर या राष्ट्र निर्माण में लग जाए तो भारत को दूसरे देशों से आगे निकलने में देर नहीं लगेगी।

देश में युवाओं के सशक्तीकरण के लिए जो प्रयास हुए हैं, उन्होंने भारत की युवा शक्ति को आत्मविश्वास, कौशल और अवसर प्रदान किए हैं। युवा नवाचार, तकनीक और नए विचारों के माध्यम से न केवल अपने लिए रोजगार सृजित कर रहे हैं, बल्कि दूसरों को भी रोजगार दे रहे हैं। ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई-गवर्नेंस और स्टार्टअप संस्कृति ने युवाओं के लिए नए अवसर खोले हैं। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया ने देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, नवाचार और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को नई दिशा दी है। नवाचार उन्मुख माहौल से एआइ, फिनटेक, फूडटेक, एडटेक, हेल्थटेक, इलेक्ट्रिक व्हीकल और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि हुई है। इससे रोजगार के अवसर बढ़े और विदेशी निवेशक व वेंचर कैपिटल भारत में आए। डिफेंस फार्मा और स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को मजबूती मिली। आधार, डिजिलॉकर, ई-गवर्नेंस और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ने पारदर्शिता बढ़ाई। इससे लाभ सीधे नागरिकों तक पहुंचना संभव हुआ है। देश तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्रों में आत्मनर्भर बन रहा है। रक्षा क्षेत्र में तेजस लड़ाकू विमान, आकाश मिसाइल भारत की ताकत बनकर उभरे हैं। कृषि और ऊर्जा क्षेत्र में भी देश प्रगति पथ पर अग्रसर है। सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस मटीरियल, स्पेस टेक्नोलाजी, साइबर सिक्योरिटी आदि क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति हो रही है। यह सब युवाओं की सक्रिय भागीदारी से ही संभव हुआ है।

निस्संदेह, भारत का भविष्य युवा है। हम युवाओं को अधिक से अधिक अवसर देकर ही देश को शिखर पर पहुंचा पाएंगे। ऐसे में जरूरी है कि काम की तलाश में विदेश जा रही हमारी युवा पीढ़ी को देश में ही राष्ट्र निर्माण में लगाया जाए। आज का युवा वर्ग ही राष्ट्र का सच्चा उत्तराधिकारी और संचालक है और हमें उन्हें देश के भविष्य की कहानी लिखने के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। इसी युवाशक्ति के सामर्थ्य, संकल्प और परिश्रम के बल पर हम आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित भारत का निर्माण कर पाएंगे।

युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में उच्चकोटि की शिक्षा की आवश्यकता है जो बदलती स्थितियों के अनुरूप जीवन मूल्यों का सृजन कर सकें। युवाओं को अपना व्यक्तित्व प्रभावशाली बनाने के लिए अनुशासित रहना भी आवश्यक है। आज आवश्यकता है नैतिक शिक्षा की जिसका बीजारोपण प्राथमिक शिक्षा के समय से ही किया जाना चाहिए। शिक्षा ऐसी हो जो उनमें नैतिक एवं मानवीय मूल्यों का संचार कर सके और उन्हें जीवन के लक्ष्य का बोध कराए। शिक्षा रोजगारपरक हो ताकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी युवाओं में भविष्य को लेकर असुरक्षा की भावना न हो। युवा शक्ति का उपयोग राष्ट्र निर्माण में हो, इसके लिए देश के नीति निर्माताओं से अपेक्षा है कि वे दूरदर्शिता से काम लेते हुए युवाओं के प्रति स्नेह, संयम, सहानुभूति तथा प्रोत्साहन दर्शाएं।

आईए, हम सब मिलकर स्वामी जी की शिक्षाओं और सिद्धांतों के सार (राष्ट्रीय भावना, देशभक्ति, विविधता में एकता, समावेशिता और पवित्रता) को आत्मसात करते हुए विकसित भारत के निर्माण की दिशा में कार्य करने का संकल्प लें।

गाँव की छुट्टियाँ और बचपन की स्मृतियाँ

राहुल
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
जम्मू एवं कश्मीर

गाँव की वे हल्की सर्द सुबहें आज भी स्मृतियों में उसी तरह जीवित हैं, जैसे ओस की बूँदें खेतों की पत्तियों पर ठहरी रहती हैं। गर्मियों की छुट्टियों में जब हम अपने गाँव जाया करते, तब पिता जी के लिए वह उनका घर होता था, पर हमारे लिए वह केवल "दादी का घर" था — अपनापन, स्नेह और बचपन की अनगिनत यादों से भरा हुआ।

जहाँ शहरों में सुबह की शुरुआत चाय की प्याली और ब्रेड इत्यादि से होती, वहीं गाँव में मिट्टी के चूल्हे पर सिकती मोटी-मोटी चूनी (दाल दलने के उपरांत बची हुई दाल का चूरा) की रोटियों की सोंधी महक और नेनुआ (तोरी की एक प्रजाती) की चटनी हमारा इंतज़ार करती। साथ में होता था ताज़ा माठा (मठ्टा/ लस्सी), जिसकी शीतलता पूरे तन-मन को तृप्त कर देती थी।

चूनी की रोटी हाथ में लिए हम पुराने मिट्टी के घर के आँगन की ओर दौड़ पड़ते, जहाँ हमारी अम्मा — यानी दादी — अपने मजबूत हाथों से माठा मथा करती थीं। वो मथानी की "खल-खल" की मधुर ध्वनि आज भी कानों में एक संगीत की तरह ही गूंजती है। अम्मा बड़े स्नेह से गिलास भर-भरकर माठा पिलातीं और मैं अपने भाइयों से होड़ लगाकर कई-कई गिलास माठा पी जाया करता।

आज भी जब उन दिनों को याद करता हूँ, तो अम्मा का वह झुर्रियों से ढला, पर तेज और ममता से भरा चेहरा आँखों के सामने उभर आता है। वह अक्सर मुस्कुराकर कहती थीं— "बाबू, सबके पाछे माठा पीया करा, काहे की सबसे नीचे वाले माठा में साढ़ी (मलाई) ज्यादा होत है"।

जब भी हम पिता जी के साथ गर्मियों की छुट्टियों में गाँव जाया करते थे, तो सीधे घर पहुँच जाना हमारी परंपरा नहीं थी। गाँव के बाहर स्थित हमारे ग्राम देवता — डीह स्थान — पर रुकना अनिवार्य होता। वहीं से घर पर संदेश भेजा जाता कि "सहरउवा लोग आ गए हैं।"

कुछ ही देर में अम्मा अपने तेज कदमों से वहाँ पहुँच जातीं। उनके हाथ में जल से भरा लोटा होता, साथ में लौंग और पूजा की कुछ छोटी-मोटी सामग्री होती। वह बड़े स्नेह और श्रद्धा से जल उवारतीं, मानो शहर से लौटे अपने बच्चों को गाँव की मिट्टी और देवता का आशीर्वाद दे रही हों। सारी बुरी बलाय इत्यादि को ग्राम देवता हर लिया करते। उसके बाद ही हम सब अम्मा के साथ घर की ओर बढ़ते।

पिताजी दिल्ली से लाई मिठाइयाँ अम्मा को सौंप देते। अम्मा उन मिठाइयों को बड़े प्रेम से बच्चों और बड़ों में समान रूप से बाँटतीं। उस समय उनके चेहरे पर जो संतोष और अपनापन होता था, वह किसी त्यौहार की खुशी से कम नहीं लगता था।

सच कहूँ, वही मिठाई जो दिल्ली में साधारण लगती थी, गाँव पहुँचते ही जाने क्यों बेहद स्वादिष्ट हो जाती। शायद उसमें अम्मा के हाथों का प्रेम और स्नेह घुल जाता था।

गाँव पहुँचते ही हम मानो जंगल के उन्मुक्त हिरण हो जाते। दिन भर घर पर टिकना जैसे हमारे स्वभाव में ही नहीं था। पिताजी अपने मित्रों और परिचितों से मिलने में व्यस्त हो जाते, और हम अपने सबसे छोटे चाचा के साथ गाँव के आम के बागों की ओर निकल पड़ते। वहाँ पेड़ों से आम झोरना (तोड़ना) , उन्हें वहीं बैठकर खाना, कभी तालाब पोखर में कूदकर घंटों नहाना — यही हमारी छुट्टियों का असल प्रसाद हुआ करता था।

गाँव के खेलों का आनंद शब्दों में पिरोना कठिन है लेकिन लखनी, चोर-सिपाही और न जाने कितने देसी खेलों में जो सहज खुशी मिलती है, वह शहर के किसी पार्क में कहाँ मिल पाती है। मिट्टी से सने पैर, पसीने से भीगे कपड़े और चेहरे पर खिली हँसी और पिताजी की डांट का डर इन्हीं सबके साथ हम छुट्टियों का मजा लेते।

लेकिन इन सबके बीच सबसे अधिक आनंद बाबा के साथ अपने खेतों में जाने में आता था। बाबा मुझसे बेहद स्नेह करते, हालाँकि स्वभाव से थोड़े सख्त थे। उन्हें खेत में हल चलाते देखना अपने आप में एक अद्भुत अनुभव होता। उनके साथ खेत को समान करने में सहायक हेंगा पर बैठनें में जो आनंद होता वह लिख कर कहां बताया जा सकता है। उनके बैल हीरा और मोती भी परिवार ही के सदस्य थे। बाबा की आवाज़ सुनते ही वे जिस अनुशासन से चलते, उसे देखकर बड़ा कौतुक होता था।

शहरी परिवेश में पले-बढ़े हम बच्चों के लिए बैल, हल और खेतों का वह संसार किसी जीवित लोककथा से कम नहीं था। मिट्टी की सोंधी महक, बैलों की घंटियों की मधुर टन-टन ध्वनि और बाबा का दृढ़ एवं कर्मठ व्यक्तित्व यह सब मिलकर एक ऐसा चित्र बनाते जैसे प्रकृति की आरती उतारी जा रही हो।

दोपहर चढ़ आती तो खेतों पर धूप आग की तरह बरसती, पर हवा में मिट्टी की ऐसी सोंधी गंध घुली रहती कि मन को बड़ी तसल्ली मिलती। तभी दूर पगडंडी पर अम्मा दिखाई देतीं। सिर पर सिकहुला (सींक से बना टोकरा या डोलची) रखे, जिसमें रोटियाँ, साग, प्याज़ और एक डोलची में सुबह का माठा या पानी होता। उनकी चाल तेज थी, मगर चेहरे पर वही सहज ममता बिखरी रहती।

हम लोग उन्हें दूर से ही पहचान लेते और दौड़ पड़ते। अम्मा हँसकर कहतीं — “अरे बाबू, अइसन काहे दौड़त आवत हया? घरे चलि के आराम से खाया, ई धूर-माटी वाला खेत-खार का खाय के जगह हउवे का?”

मेरे चचेरे भाई तो उनकी बात सुन घर की ओर लौट जाते, पर मेरा मन कभी तैयार न होता। मुझे तो बाबा के पास रहने में ही आनंद आता था। खेत के किनारे किसी पेड़ की छाँह में सब लोग बैठ जाते। बाबा पहले अपनी रोटी का टुकड़ा तोड़कर हीरा और मोती के आगे डालते। दोनों बैल भी बड़े प्रेम से उसे चबा जाते उसके पश्चात ही बाबा खाना शुरू करते।

मैं अम्मा और बाबा के साथ वहीं बैठकर खाता। मोटी रोटी सब्जी, साग, प्याज़ और माठा बस यही सामान्य सा भोजन था; मगर उस स्वाद में जो तृप्ति थी, वह शहर के पकवानों में कहाँ!

भोजन के बाद बाबा थोड़ी देर मेड़ पर अंगोछा बिछाकर सुस्ता लेते। मैं खेतों की मेंड़ों पर घूमता, कभी इल्लियों को देखता, तो कभी चींटियों की कतार। उन छोटे-छोटे जीवों में भी मुझे बड़ा कौतुक मालूम होता।

अम्मा कई बार पुकारतीं — “चल बाबू, घरे चल।” पर मैं भला कहां मानता, आखिर जब बाबा हल कंधे पर रखकर बैलों को हाँकते हुए लौटते, तभी मैं उनके पीछे-पीछे घर आता।

खेतों से लौटकर जब मैं घर में घुसता, तो बड़ी चालाकी से मम्मी-पापा जी की नज़रों से बचता हुआ भीतर सरक जाता। दिन भर की धूल-मिट्टी और उधम देखकर डाँट पड़ने का भय जो रहता। फिर आँगन के कोने से सटे नल के ठंडे पानी से हाथ-पैर धोकर या कभी नहा कर सीधा मिट्टी के चूल्हे के पास जा बैठता।

वहाँ कभी चाची रोटी सेंक रही होतीं, कभी बहनें सब्ज़ी में छौंक लगा रही होतीं। मैं बड़े कौतूहल से एक के बाद एक प्रश्न किए जाता — “इसमें यह क्यों डाला?”, “इसमें मसाला क्यों नहीं पड़ता?”, “दाल इतनी पतली क्यों बनाई?”

मेरे इन सवालों से दीदी अक्सर हंस पड़ती, कभी झुंझलाकर कहती — “बहुत सही सहरी खानसामा!” पर जब तक दो-चार बार डाँट न पड़ती, तब तक मैं वहाँ से ना हटता।

संध्या ढलते-ढलते घर के बाहर हम सभी खाटें और पलंग बिछाने लगते। गर्मी के दिनों में पहले उन पर पानी छिड़कते, जिससे उनमें ठंडक उतर आए। फिर बड़े जतन से खाटों पर मच्छरदानियाँ टाँगी जातीं। उस आँगन में पूरा परिवार एक साथ रात के विश्राम की तैयारी करता।

रात्रि भोजन का दौर शुरू होता तो शहरों की तरह अलग-अलग तश्तरियां नहीं, बल्कि बड़ी-बड़ी थालियों में सबके लिए भोजन परोसा जाता। मोटी रोटियाँ, दाल, भात, सब्ज़ी और कभी अचार, दिन भर की भाग-दौड़ और शरारतों के बाद वही साधारण भोजन अमृत-सा लगता।

भोजन करके हम अपने-अपने बिस्तरों पर ऐसे गिरते, मानो बरसों से थके हों। फिर आँखें ऊपर उठतीं और तारों से भरा आकाश दिखाई देता। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने यह फिर सियार के हुँआनें की आवाज़, पास मच्छरों की बेसुरी गुनगुनाहट और बीच-बीच में हवा के हल्के मीठे झोंके… इन्हीं सबके बीच कब आँख लग जाती और कब सुबह हो जाती, इसका पता ही नहीं चलता था।

जब तक हम लोग घर पर रहते तो रिश्तेदारों का आना-जाना बढ़ जाता। उनमें सबसे पहले और सबसे अधिक उत्साह से मिलने आने वाली हमारी बुआ होती थीं।

बुआ अपने बड़े से पुराने थैले में अक्सर मूँगफली भरकर लातीं। रास्ते भर वो खुद भी फाँकती आतीं और उसी थैले में हाथ डाल-डालकर हमें भी खिलाती जातीं। हमारे लिए विशेष रूप से वह संतरे के क्रीम वाले बिस्कुट लाती, उनके आने से घर में जैसे एक अलग ही चहल-पहल भर जाती। लेकिन पिताजी और बाबा को देखते ही उनकी आँखें भर आतीं। वह उनको देखते ही रो पड़तीं और अपने दुख-दर्द सुनाने लगतीं। पिताजी चुपचाप उनका हाल सुनते और फिर बड़े स्नेह से उनके सिर पर हाथ रख देते। उस क्षण घर का सारा वातावरण कुछ देर के लिए भारी हो जाता। लगता, जैसे वर्षों का संचित दुःख उन आँसुओं में बह निकला हो।

पर ग्रामीण स्त्रियों का मन भी बड़ा अद्भुत होता है। थोड़ी ही देर में वही बुआ, अम्मा और चाची रसोई में जुट जातीं। फिर आँगन में उनके ठहाके गूँजने लगते। चूल्हे पर कुछ विशेष पकने लगता, करारी पूड़ियाँ सिकती और तरीदार तरकारी बनती और खीर बनाने में बुआ माहिर थी सो वह तो उनसे ही बनवाई जाती। उस दिन का भोजन जैसे और भी स्वादिष्ट हो जाता। शायद उसमें रिश्तों की गरमी, अपनापन और बरसों बाद मिलने की खुशी घुल जाती थी। आज सोचता हूँ, तो लगता है कि गाँव का असली स्वाद भोजन में नहीं, उन लोगों के प्रेम और हँसी में बसता था।

इन सब हँसी-खुशी और उधम के बीच छुट्टियों का अंत कब सिर पर आ खड़ा होता, इसका पता ही नहीं चलता था। लेकिन जिस दिन दिल्ली लौटने का समय आता, उस दिन पूरे घर पर जैसे उदासी की एक चादर-सी फैल जाती।

अम्मा सुबह से ही दिल्ली भेजने का सामान बाँधने में लग जातीं। अपने खेतों का देसी लहसुन, सरसों का तेल, सतुआ, अजवाइन और न जाने क्या-क्या छोटे-छोटे गठरों में सहेजकर रखतीं। एक ओर अरवा चावल की बोरी

भी तैयार रहती। पिताजी कई बार कहते — “इतना सब ले जाने की क्या जरूरत है?” मगर बाबा कहाँ मानने वाले थे। उनके लिए यह मात्र सामान नहीं, उनका स्नेह था, जिसे वे हमारे साथ भेजना चाहते थे।

छोटे चाचा की आँखें तो विदा के समय अक्सर भर आती थीं। वे बार-बार इधर-उधर हो जाते, ताकि कोई उनका रोना न देख ले परंतु गाँव का प्रेम ऐसा ही होता है, जितना सीधा, उतना ही गहरा। चाहकर भी रुकना संभव नहीं था, लौटना तो पड़ता ही है।

अम्मा अपने उसी पुराने अंदाज़ में हाथ में लोटे में जल, लौंग और पूजा की सामग्री लिए हमें विदा करने गाँव के बाहर स्थित डीह स्थान तक छोड़ने आतीं। घर से सीधे गाड़ी में बैठ जाने की परंपरा आज भी नहीं है। पहले ग्राम देवता के स्थान पर पूजा होती, जल उवारा जाता, और अम्मा देवताओं से हमारी तरक्की, सुख और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करतीं।

उस समय वहाँ खड़े हर चेहरे पर उदासी उतर आती। किसी की आँखें नम होतीं, कोई चुपचाप आसमान की ओर देखने लगता। विदाई के वे क्षण इतने भारी होते कि बच्चे तक शांत हो जाते थे और फिर, जब हम गाड़ी में बैठने लगते, तो अम्मा चुपके से हमारी जेब में कुछ पैसे डाल देतीं। वह रकम भले छोटी होती, मगर उसमें उनका सारा आशीर्वाद, सारा प्रेम बँधा होता। बड़े भारी मन से हम सब दिल्ली की ओर लौटते। गाड़ी आगे बढ़ती जाती और पीछे छूटता जाता गाँव, उसका आँगन, वो मिट्टी की महक, अम्मा का स्नेह और बाबा की कड़क आवाज़। रास्ते भर मन जैसे उसी गाँव की पगडंडियों और पोखर तालाब में अटका रहता।

लेकिन दिल्ली पहुँचते ही जीवन फिर अपनी पुरानी रफ़्तार पकड़ लेता। वही भाग-दौड़, वही शोर, वही रोज़मर्रा की व्यस्तताएँ, ये सब हमें फिर से अपने घेरे में बाँध लेतीं। स्कूल, काम और शहर की आपाधापी के बीच धीरे-धीरे गाँव की स्मृतियाँ धुंधली पड़ने लगतीं।

हम फिर दिल्ली के जीवन में रम जाते, मानो वहीं के होकर रह गए हों। पर मन के किसी शांत कोने में यह विश्वास हमेशा जीवित रहता कि अगली गर्मियों में फिर गाँव जाना है, उसी मिट्टी में, उन्हीं लोगों के बीच, जहाँ जीवन थोड़ा धीमा था, पर प्रेम बहुत गहरा।

समय बीतते देर कहाँ लगती है। देखते-देखते अम्मा और बाबा के स्वर्गवास हुए कई वर्ष हो गए। गाँव अब भी जाना होता है, घर अब भी वहीं खड़ा है, वही आँगन, वही खेत, वही पगडंडियाँ... लोग भी हैं, रिश्ते भी हैं, पर न जाने क्यों अब वहाँ पहुँचकर वह अपनापन नहीं मिलता, जो कभी मन को आत्मीयता से भर देता था।

अब सुबह-सुबह मथानी की वह मधुर “खल-खल” सुनाई नहीं देती है, ना ही चूनी की रोटियों की सुगंध, न बाबा के हल की रेखाएँ खेतों पर उभरती दिखाई देती हैं, और न ही हीरा-मोती की घंटियों की वह मधुर टन-टन। समय की दौड़ में हम इतने आगे निकल आए कि जाने कितना कुछ पीछे छूट गया- और जो पीछे छूटा, वही तो सबसे अनमोल था।

गाँव तो आज भी जाता हूँ, पर अब वह केवल एक स्थान भर लगता है। कभी जो मिट्टी मुझे अपनी लगती थी, अब वही अनजान-सी प्रतीत होती है। घर है, लोग हैं, रिश्तेदार हैं, पर जिन्हें मेरा मन सचमुच खोजता है, अब वे वहाँ नहीं हैं।

शायद इसी कारण अब मेरे लिए गाँव और शहर में कोई विशेष अंतर नहीं रह गया। क्योंकि गाँव केवल खेतों, घरों और पगडंडियों से नहीं बनता था — गाँव तो अम्मा की ममता, बाबा के स्नेह और उनके होने से बसता था।

और अब... वहाँ मेरे अम्मा-बाबा नहीं हैं।

<u>मध्यम वर्ग : मौन में जीता हुआ संघर्ष</u>

विनोद कुमार यादव
(ले.प.)
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय,
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग, नई दिल्ली।

भारतीय समाज का सबसे व्यापक, सबसे स्थिर और सबसे कम चर्चित वर्ग यदि कोई है, तो वह मध्यम वर्ग है। यह वह वर्ग है जो न तो अभाव की पराकाष्ठा में जीता है और न ही वैभव की चकाचौंध में। मध्यम वर्ग का जीवन नाटकीय नहीं होता, पर अत्यंत गहन होता है। उसकी कहानी अख़बारों की सुर्खियों में नहीं आती, फिर भी देश की असली कहानी उसी के घरों, दफ्तरों और गलियों में रोज़ लिखी जाती है।

"न अमीरी का शोर है इसमें,
न गरीबी की चीख,
यह मध्यम वर्ग है साहब,
जो हर रोज़
ख़ुद से ही लड़ता है चुपचाप।"

मध्यम वर्ग की पहचान उसके सपनों से नहीं, उसकी ज़िम्मेदारियों से होती है। उसके सपने होते अवश्य हैं, पर वे प्राथमिकता नहीं बन पाते। प्राथमिकता बनती है—परिवार, बच्चों की शिक्षा, माता-पिता की दवाइयाँ, घर का किराया, बिजली का बिल और भविष्य की अनिश्चितताएँ। वह अपने आज को सीमित रखकर कल को सुरक्षित करने का प्रयास करता है।

"सपने यहाँ
ईएमआई में बँटे होते हैं,
और इच्छाएँ
अगले महीने पर टल जाती हैं।
नई कार का ख़्वाब
पुराने स्कूटर पर बैठकर
दफन कर दिया जाता है।"

मध्यम वर्ग का व्यक्ति सुबह उठते ही जीवन से कोई बड़ा सवाल नहीं पूछता। वह यह नहीं सोचता कि उसे इतिहास में कैसे याद किया जाएगा, बल्कि यह सोचता है कि महीने के अंत तक सब ठीक से कैसे चलेगा। उसका संघर्ष अदृश्य होता है—न वह रोता है, न शिकायत करता है। वह बस हर दिन थोड़ा-सा और मजबूत होकर उठता है।

"सुबह की चाय में
अख़बार के साथ
महँगाई घुली होती है,
और बच्चों की फीस
नींद से पहले
आँखें खोल देती है।"

इस वर्ग की सबसे बड़ी विशेषता उसकी व्यावहारिक समझ है। वह जानता है कि इच्छाएँ अनंत हैं, पर साधन सीमित। इसलिए वह इच्छाओं को नहीं, स्वयं को नियंत्रित करता है। नया मोबाइल लेने से पहले वह सौ बार सोचता है, छुट्टियाँ मनाने से पहले सौ योजनाएँ बनाता है और किसी भी बड़े निर्णय से पहले परिवार की ज़रूरतों को तौलता है। यही संतुलन उसे समाज का सबसे जिम्मेदार वर्ग बनाता है।

मध्यम वर्ग का जीवन त्यागों से भरा होता है, पर इन त्यागों का ढिंढोरा नहीं पीटा जाता। पिता अपने सपनों को बच्चों के भविष्य में बदल देता है, माँ अपनी इच्छाओं को घर की आवश्यकताओं में समर्पित कर देती है। यहाँ बलिदान कोई महान घटना नहीं, बल्कि रोज़मर्रा की आदत होती है।

"पिता अपने सपनों को
फ़ाइलों में बंद कर देता है,
माँ अपनी इच्छाओं को
रसोई की अलमारी में रख देती है,
और बच्चे उन्हीं अधूरे सपनों से
पूरा भविष्य बुनते हैं।"

यह वर्ग नैतिकता और ईमानदारी को आज भी मूल्य मानता है। वह जानता है कि शॉर्टकट हैं, पर वह लंबे रास्ते को ही चुनता है। वह नियमों का पालन करता है, कर चुकाता है, कतार में खड़ा रहता है और फिर भी अक्सर खुद को उपेक्षित पाता है। योजनाएँ बनती हैं तो गरीब और अमीर के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बस यह मान लिया जाता है कि वह "समझदार" है और समायोजन कर लेगा।मध्यम वर्ग की विडंबना यही है कि वह हर व्यवस्था का आधार है, पर हर व्यवस्था में सबसे कम प्राथमिकता पाता है। वह न सहायता का पात्र माना जाता है, न विशेष सुविधाओं का। फिर भी वही वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को चलाता है, प्रशासन को संभालता है और सामाजिक मर्यादाओं को जीवित रखता है।

"न इसकी थकान
किसी रिपोर्ट में दर्ज होती है,
न इसकी ईमानदारी
किसी इनाम में बदलती है,
फिर भी
देश की रीढ़
इसी की कमर से जुड़ी होती है।"

त्योहारों और खुशियों में भी मध्यम वर्ग का संयम दिखाई देता है। यहाँ उत्सव दिखावे के लिए नहीं, आत्मीयता के लिए होते हैं। सीमित साधनों में भी वह गरिमा बनाए रखता है। शादी हो या पर्व, वह उधार लेकर शान नहीं दिखाता। उसकी खुशी सादगी में होती है और यही सादगी समाज को संतुलन देती है।

आज का मध्यम वर्ग बदल रहा है। वह अब प्रश्न पूछ रहा है, अपने अधिकारों को पहचान रहा है और बेहतर जीवन की माँग कर रहा है। फिर भी वह अपनी जड़ों से कटना नहीं चाहता। आधुनिकता और संस्कार के बीच संतुलन बनाए रखना उसकी सबसे बड़ी चुनौती है। वह चाहता है कि उसके बच्चे आगे बढ़ें, पर अपने मूल्यों को न भूलें।

मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी शक्ति उसकी सहनशीलता है। वह संकटों से टूटता नहीं, बस थोड़ा झुक जाता है। महँगाई बढ़े, नौकरी अस्थिर हो, स्वास्थ्य डगमगाए—वह हर बार खुद को संभाल लेता है। यह सहनशीलता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक दृढ़ता का प्रमाण है।

"यह वर्ग
न सरकार से उम्मीद छोड़ता है,
न हालात से समझौता करता है,
बस हर बजट में
अपने हिस्से की
कटौती चुपचाप सह लेता है।"

इतिहास शायद मध्यम वर्ग को नायक की तरह याद न रखे, लेकिन समाज की निरंतरता इसी वर्ग के कंधों पर टिकी है। यदि गरीब वर्ग उम्मीद है और संपन्न वर्ग अवसर, तो मध्यम वर्ग संतुलन है। वह दोनों के बीच पुल बनकर खड़ा है—शांत, स्थिर और भरोसेमंद।

अंततः मध्यम वर्ग केवल एक आर्थिक श्रेणी नहीं, बल्कि एक जीवन-दर्शन है। यह वह दृष्टि है जो सीमाओं में रहकर भी संभावनाओं को जीवित रखती है। यह वह वर्ग है जो शोर नहीं करता, पर समाज को आगे बढ़ाने का काम चुपचाप करता रहता है।

"मध्यम वर्ग कोई वर्ग नहीं—
यह वह आधार है जिस पर खड़े होकर
सब आगे बढ़ते हैं, और जो खुद
पीछे रह जाता है मुस्कराता हुआ।"

परंपरा, संस्कृति,रीति-रिवाज एवं त्योहारों की सांस्कृतिक आत्मा "बिहार"

समीर कुमार साव
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा, केन्द्रीय व्यय,
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग
नई दिल्ली

"बिहार की धरती ने देश को ज्ञान, त्याग और सेवा की प्रेरणा दी है।"

- डॉ. राजेन्द्र प्रसाद (भारत के प्रथम राष्ट्रपति)

भारत की सांस्कृतिक धरोहर में बिहार का स्थान अत्यंत विशिष्ट है। ज्ञान, अध्यात्म, लोकसंस्कृति और सामाजिक परंपराओं की दृष्टि से यह भूमि प्राचीन काल से ही समृद्ध रही है।

इसी बिहार की उत्तरी धरती पर अवस्थित मिथिला अपनी विशिष्ट प्रथाओं, रीति-रिवाजों, लोककलाओं और पर्व-त्योहारों के कारण विशेष पहचान रखती है। यहाँ की संस्कृति में आस्था, प्रकृति, परिवार और लोकजीवन का गहरा समन्वय दिखाई देता है।

"***राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शब्दों में (चंपारण सत्याग्रह के संदर्भ में) 'मिथिला ने मुझे भारत को समझने की दिशा दी।"***

मिथिला की सांस्कृतिक पहचान

मिथिला की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि अत्यंत गौरवपूर्ण रही है। प्राचीन ग्रंथों में इसे विद्या और दर्शन की भूमि कहा गया है। यह क्षेत्र **"माता सीता"** की जन्मभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है, जिससे इसकी सांस्कृतिक महत्ता और बढ़ जाती है। यहाँ की भाषा मैथिली है, जिसकी अपनी साहित्यिक परंपरा और समृद्ध लोकगीतों की विरासत है।

"मिथिला की माटी में संस्कृति बसती है, यहाँ हर आँगन में परंपरा हँसती है।"

मिथिला की सामाजिक संरचना में परिवार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। संयुक्त परिवार, बड़ों का सम्मान, अतिथि-सत्कार और धार्मिक आस्था यहाँ के जीवन के मूल आधार हैं। घर-आँगन में लोकगीतों की गूँज और संस्कारों का अनुशासन जीवन को एक विशिष्ट लय प्रदान करता है।

विवाह संस्कार : रीति-रिवाज परंपरा और विधि का संगम

मिथिला का विवाह संस्कार अत्यंत विधिपूर्वक और विस्तृत रीति-रिवाजों के साथ सम्पन्न होता है। इसे केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो परिवारों का मिलन माना जाता है। विवाह से पूर्व "***मधुश्रावणी, हल्दी, मटकोर"*** और "***नचारी"*** जैसे अनुष्ठान होते हैं।

मिथिला विवाह की सबसे विशिष्ट परंपरा "***पंजिका मिलान*** " है, जिसमें वर-वधू की कुंडलियों का विस्तृत अध्ययन किया जाता है। विवाह के समय "***कोहबर"*** की परंपरा अत्यंत महत्वपूर्ण है। कोहबर घर की दीवारों पर पारंपरिक चित्र बनाए जाते हैं, जिनमें प्रकृति, सूर्य, चंद्रमा, बाँस और कमल के प्रतीक उकेरे जाते हैं। ये चित्र वैवाहिक जीवन की समृद्धि और संतति के मंगल की कामना का प्रतीक होते हैं। ***"कोहबर, पाग और पान—मिथिला की पहचान।"*** विवाह समारोह में लोकगीतों का विशेष स्थान है। महिलाएँ पारंपरिक मैथिली गीत गाती हैं, जिनमें हास्य, करुणा और मंगलभाव का सुंदर समन्वय होता है।

मधुबनी चित्रकला : लोककला की जीवंत परंपरा

मिथिला की पहचान विश्वभर में **"मधुबनी चित्रकला"** के कारण है। यह चित्रकला परंपरागत रूप से घर की दीवारों और आँगन में बनाई जाती थी, किंतु आज यह वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित लोककला बन चुकी है। इन चित्रों में देवी-देवताओं, प्रकृति, विवाह प्रसंगों और लोककथाओं का चित्रण किया जाता है। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग और सूक्ष्म रेखांकन इसकी विशेषता है। मधुबनी कला केवल सजावट नहीं, बल्कि सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का माध्यम है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रही है।

प्रमुख पर्व-त्योहार : आस्था और लोकजीवन का उत्सव

बिहार के पर्व-त्योहार यहाँ की सांस्कृतिक आत्मा को अभिव्यक्त करते हैं। इनमें सबसे प्रमुख है **"छठ पूजा"**। यह सूर्य उपासना का महापर्व है, जो अत्यंत अनुशासन और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। चार दिनों तक चलने वाले इस पर्व में व्रती निर्जला उपवास रखकर अस्ताचलगामी और उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करते हैं। नदियों, तालाबों और घाटों पर सामूहिक आस्था का अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। छठ पूजा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और आत्मसंयम का प्रतीक है।

"डूबते सूर्य को अर्घ्य और उगते सूर्य को प्रणाम—यही है छठ की महानता और प्रकृति के प्रति सम्मान।"

इसके अतिरिक्त ***"सामा-चकेवा"*** मिथिला का एक लोकपर्व है, जो भाई-बहन के स्नेह का प्रतीक है। इसमें युवतियाँ मिट्टी की प्रतिमाएँ बनाकर गीत गाती हैं और पारंपरिक अनुष्ठान करती हैं। ***"जीवित्पुत्रिका व्रत (जिउतिया)"*** मातृत्व और संतानों की दीर्घायु के लिए रखा जाने वाला व्रत है। महिलाएँ कठिन उपवास रखकर अपने बच्चों के मंगल की कामना करती हैं। बिहार में "***होली***" भी विशेष उल्लास के साथ मनाई जाती है। यहाँ की होली में फगुआ गीतों की मधुर धुन और सामूहिक आनंद का वातावरण होता है। "***दीपावली, दुर्गा पूजा ,रामनवमी***" भी व्यापक श्रद्धा और उत्साह से मनाए जाते हैं।

लोकगीत और सामाजिक जीवन मिथिला का लोकजीवन गीतों से अनुप्राणित है। जन्म, उपनयन, विवाह और पर्व-त्योहार—हर अवसर पर लोकगीत गाए जाते हैं। ***सोहर* (जन्म गीत), *समदाउन*, *विदाई गीत***, ***कजरी*** जैसे गीत जीवन के विभिन्न भावों को अभिव्यक्त करते हैं।

"केलवा के पात पर, उगेलन सूरज देव..."
(यह पंक्ति छठ के पारंपरिक गीतों में अत्यंत लोकप्रिय है और लोकआस्था का प्रतीक है।) सामाजिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका दिखाई देती है। वे घर-परिवार के साथ-साथ सांस्कृतिक परंपराओं की संरक्षक भी होती हैं। लोककला, गीत और व्रत-उपवास की परंपराएँ उनके माध्यम से ही जीवित रहती हैं।

खान-पान और जीवनशैली

मिथिला और बिहार का भोजन सादगी और स्वाद का सुंदर संयोजन है। चावल, दाल, सब्जी और अचार दैनिक भोजन का हिस्सा हैं। ***"लिट्टी-चोखा"*** राज्य का लोकप्रिय व्यंजन है। पर्व-त्योहारों पर "***ठेकुआ***" और "***खाजा***" जैसे पारंपरिक पकवान बनाए जाते हैं, विशेषकर छठ पूजा के अवसर पर।

शिक्षा और आध्यात्मिक परंपरा

बिहार की धरती प्राचीन शिक्षा केंद्रों के लिए विख्यात रही है। ज्ञान और दर्शन की परंपरा यहाँ के सामाजिक जीवन में गहराई से समाहित है। मिथिला के पंडितों की विद्वता और तर्कशास्त्र की परंपरा ऐतिहासिक रूप से प्रसिद्ध

रही है। धार्मिक सहिष्णुता और सामुदायिक सद्भाव यहाँ के समाज की विशेषता है। विभिन्न समुदाय अपने-अपने पर्व मनाते हुए भी सामाजिक एकता बनाए रखते हैं।

उपसंहार

बिहार की सांस्कृतिक विरासत, विशेषकर मिथिला की प्रथाएँ और रीति-रिवाज, भारतीय परंपरा के अमूल्य अध्याय हैं। यहाँ की विवाह पद्धति, मधुबनी चित्रकला, लोकगीत और पर्व-त्योहार जीवन के प्रत्येक आयाम को आध्यात्मिकता और सामाजिक समरसता से जोड़ते हैं।

"छठ केवल पर्व नहीं, आत्मशुद्धि और प्रकृति-सम्मान का अनुशासन है।"

छठ पूजा की अनुशासित आस्था, सामा-चकेवा का स्नेह, जिउतिया का मातृत्व भाव और विवाह संस्कारों की गरिमा—ये सभी मिलकर मिथिला की सांस्कृतिक पहचान को सुदृढ़ बनाते हैं।

वास्तव में, बिहार और मिथिला की परंपराएँ केवल अतीत की धरोहर नहीं, बल्कि वर्तमान और भविष्य को दिशा देने वाली सांस्कृतिक ऊर्जा हैं। ये रीति-रिवाज समाज को जोड़ते हैं, नैतिक मूल्यों को पुष्ट करते हैं और भारतीय संस्कृति की विविधता में एकता को साकार करते हैं।

‘माँ भंगायणी’ धार्मिक-क्षेत्र महात्म्य

अनुराधा सूद
वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी
प्रधान महालेखाकार का कार्यालय (लेखापरीक्षा),
हिमाचल प्रदेश , शिमला

फ़रवरी माह 2021 में ‘पुलिस अधीक्षक नाहन’ के कार्यालय की अनुपालन लेखापरीक्षा के दौरान, मास के द्वितीय शनिवार के दिन मुझे अपनी टीम सहयोगियों के साथ जिला सिरमौर के मुख्यालय नाहन से लगभग 100 किलोमीटर दूर और समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर बसे एक छोटे से कस्बे ‘हरिपुरधार’ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर बसे शक्ति स्वरूपा देवी ‘माँ भंगायणी’ के पहाड़ी शैली में बने अत्यंत सुंदर मंदिर के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।

ऐसा माना जाता है कि ‘हरिपुरधार’ का नाम यहाँ बने ऐतिहासिक हरिपुर नाम के किले के कारण पड़ा, जिस का निर्माण सिरमौर रियासत के पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा एक ऊंची चोटी पर पड़ोसी राज्यों से सीमाओं की रक्षा के लिए कराया गया था, जिसे 'हरिपुर' नाम दिया गया। यह स्थान एक बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला पर स्थित है जिसे यहां के स्थानीय निवासी 'धार' (पहाड़ी) कहते है अत: किले और धार के नाम को मिलाकर ही इस स्थान को 'हरिपुरधार' कहा जाने लगा।

इस स्थान का ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियों से बहुत महत्व है यह क्षेत्र पहले सिरमौर रियासत के राजाओं की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। अंग्रेजों के जमाने में यह एक अहम प्रशासनिक स्थल और सैनिक चौकी थी। यह चूड़धार ट्रेक चोटी का बेस कैंप भी है। सिरमौर और चौपाल क्षेत्र के स्थानीय लोगों के मुख्य आराध्य देव शिरगुल महाराज जी हैं, जिन्हें चूड़ेश्वर महाराज के नाम से भी जाना जाता हैं तथा भगवान शिव का अवतार माना जाता है। इसके अतिरिक्त इस स्थान की सबसे बड़ी पहचान सिरमौर रियासत की कुलदेवी और जन-जन की आस्था के केंद्र ‘माँ भंगायणी’ के प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर से है। सिखों के लिए भी यह स्थान ऐतिहासिक महत्व रखता है। गुरु गोबिंद सिंह ने यहाँ कई पहाड़ी रियासतों के राजाओं से युद्ध किया और उन पर विजय प्राप्त की थी।

वैसे तो पूरा हिमाचल प्रदेश देवभूमि के नाम से जाना जाता है, यहां के लोगों का शिव-शक्ति व देवताओं पर अटूट विश्वास व श्रद्धा है। इस सुरम्य प्रदेश के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में शिव-शक्ति, नाग, सिद्ध, पीर पैगम्बर और आस्था के प्रकाश पुंज देवी-देवताओं के असंख्य मंदिर विराजमान हैं। अपने परिवार और पशुधन आदि के रक्षार्थ यहां अनेक ग्राम्य देवताओं को मनाने व विधि-विधान से उनकी पूजा करने की प्रथा रही है।

मुझे आज भी 12 फ़रवरी माह 2021 की शाम याद है कि ‘पुलिस अधीक्षक नाहन’ कार्यालय की लेखाकार श्रीमती गीता शर्मा ने कहा कि कल अवकाश है तो आप सभी लोग हरिपुरधार ‘माँ भंगायणी’ के मंदिर अवश्य जाएं, उसके दर्शन करने लोग बड़ी दूर-दूर से आते है। ‘माँ भंगायणी’ के बारे सुना तो बहुत था और दिल में दर्शन करने की लालसा भी थी अत: हमने अगले दिन सुबह 6 बजे जाने का विचार किया। लेखाकार महोदया ने वहां के चौकी प्रभारी को अगले दिन यानि 13 फ़रवरी को हमारे आने की सूचना कर दी।

अगले दिन प्रात: तय समय पर हम हरिपुरधार की ओर निकल पड़े। नाहन से लगभग 40 किलोमीटर दूर हरिपुरधार के रास्ते में 'रेणुका जी' नामक एक स्थान भी आया। पौराणिक कथा अनुसार इस स्थान का और यहाँ बनी हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील का नाम भगवान परशुराम की माता और ऋषि जमदग्नि की पत्नी रेणुका के नाम पर है, माता रेणुका का सिर पिता जमदग्नि के आदेश पर भगवान परशुराम ने काट दिया था। बाद में वरदान

मांगकर उन्होंने माता को जीवित कराया। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद माता रेणुका झील में समा गई थीं। उन्हीं की याद में प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की शुक्ल दशमी से पूर्णमासी तक 5 दिन का अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेला लगता है। पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान यहां अपना कुछ समय बिताया था। फ़िलहाल हम यहाँ नहीं रुके और सीधे हरिपुरधार की ओर निकल गए।

लगभग 3 घंटे की यात्रा के बाद हम जिला सिरमौर की सीमा पर बसे इस सुंदर, शांत, पहाड़ की चोटी पर स्थित स्थान हरिपुरधार पहुंचे। हम पहले वहाँ की पुलिस चौकी पहुँच तत्कालीन चौकी प्रभारी से मिले और मंदिर दर्शन करने को कहा। उसने पहले चाय-नाश्ता करने को कहा, लेकिन मेरे खाली-पेट दर्शन करने की अभिलाषा को जान, हम सब मंदिर की ओर चल पड़े। हमें बताया गया कि माता का मूल मंदिर सिरमौर और इसका कुछ भाग जिला शिमला में पड़ता है, इसी प्रकार मंदिर के पास की एक तरफ़ की दुकाने सिरमौर और दूसरी तरफ़ की जिला शिमला में स्थित है तथा सर्दियों में यहां पर खूब बर्फ पड़ती है। हमारे दौरे के समय शिमला में बर्फ़ का नामोनिशान नहीं था लेकिन यहां मंदिर के रास्ते और बाजार में काफ़ी बर्फ़ जमी थी।

श्रद्धालुओं की आस्था का केन्द्र इस पौराणिक महत्व के मन्दिर की वास्तुकला पारंपरिक पहाड़ी शैली में है, जिसे स्लेटी पत्थरों और लकड़ी पर की गई शानदार नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यहां वर्ष भर भक्तों का आना लगा रहता है परन्तु नवरात्रों और संक्राति में यह आगमन अधिक रहता है। यहां पहुंचने के लिए चारों ओर से सड़क मार्ग हैं। यहां बस अथवा अपने वाहन से पहुंचा जा सकता है। नाहन से हरिपुरधार के लिए नाहन-रेणुका-संगड़ाह तथा शिमला से शिमला-चौपाल-कुपवी मार्ग से भी हरिपुरधार तक पहुंचा जा सकता है। चंडीगढ़ की ओर से आने वाले श्रद्धालु सोलन राजगढ़ नौहराधार मार्ग से भी इस मंदिर तक पहुंच कर माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं।

पुलिस चौकी प्रभारी और मंदिर प्रबंधन कमेटी के एक सदस्य ने हमें माँ के दर्शन करवाए और साथ ही मंदिर के इतिहास से भी परिचित करवाया। इस मंदिर का इतिहास शिरगुल महाराज से जुड़ा है तथा माँ भंगायणी को शिरगुल महाराज जी की धर्म-बहन कहा जाता है। हमें बताया गया कि दुख हरने वाली देवी 'माँ भंगायणी' साक्षात रूप में यहां विराजमान हैं और उसका नाम लेने मात्र से ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होती हैं। अपार शक्ति की स्वामिनी होने के कारण इसकी पिंडी के साक्षात दर्शन करना वर्जित है अत: इसे देवी माता के चरणों के नीचे ढक कर रखा गया है। सद् एवं असद का तत्काल निर्णय करने और दंड देने के कारण इस माता की दूर-दूर तक मान्यता है। इस देवी की न्यायप्रियता से सभी लोग खौफ खाते हैं तथा भूल कर भी इसके पास झूठी गुहार लगाने से डरते हैं इसीलिए इसे न्याय की देवी भी कहा जाता है।

बातचीत के दौरान यह भी पता चला कि यह माता हमेशा सत्य का साथ देती हैं तथा असत्य व दुष्कर्म करने वाले व्यक्ति को तत्काल बहुत कठोर दंड देती हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का शुभ कार्य व त्योहार को सर्वप्रथम 'माँ भंगायणी' को भेंट किए बिना पूर्ण नहीं माना जाता। भूमि, विवाद, आपसी द्वेष व झगड़ों के निपटारे में इस देवी की सहायता ली जाती है। किसी कारणवश यदि देवी माता कुपित हो जाएं तो उन्हें मनाने तथा दोष निवारण के लिए तत्काल शिरगुल महाराज जी की शरण लेनी पड़ती है।

'माँ भंगायणी' के इतिहास बारे ऐसा बताया गया कि एक बार शिरगुल महाराज जी, अपने दल-बल सहित दिल्ली के दौरे पर गए। वहां पर वे अपनी चमत्कारी शक्तियां दिखाने लगे, तब यह बात किसी तरह तत्कालीन मुगल शासक तक पहुँच गई। उसने अपनी सेना को उन्हे पकड़ने के लिए भेजा, लेकिन शिरगुल महाराज जी ने अपने चमत्कार और शक्ति से सेना को परास्त कर दिया। मुगल शासक उनकी अलौकिक शक्तियों से भयभीत हुआ, वह नहीं चाहता था कि शक्ति में कोई भी उससे अधिक बलशाली व श्रेष्ठ हो। उसने धोखे से शिरगुल महाराज जी के ऊपर गाय का

कच्चा चमड़ा डलवाया, जिस कारण उनकी शक्तियां क्षीण हो गई। इसके बाद उन्हें चमड़े की बेड़ियों में जकड़ कर कारागार में डाल दिया गया।

मुगल राजा के डर से कारागार के कर्मचारी चाह कर भी उनकी सहायता नहीं कर पा रहे थे तब कारागार में साफ-सफाई का कार्य करने वाली एक साधारण महिला (भंगिन) जो बाद में माता भंगायणी कहलाई से उनकी दशा देखी नहीं गई, उसने तब राजस्थान (बागड़) के एक प्रमुख वीर योद्धा महाराज गोगा जाहर पीर जी, जिन्होंने गायों की रक्षा और धर्म के लिए कई युद्ध लड़े तथा जिन्हें आज तक हिंदू-मुसलमान दोनों धर्मों के लोग श्रद्धा से नमन करते हैं उन्हें एक गुप्त संदेश भेज कर शिरगुल महाराज के बंदी होने की सूचना पहुंचाई और उन्हें मुक्त करवाने की गुहार लगाई।

महाराज गोगा जाहर पीर जी तुरंत शिरगुल महाराज को मुक्त करवाने के लिए निकल पड़े लेकिन उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि शिरगुल महाराज को कारागार के किस कैदखाने में रखा गया था। तब उस भंगिन ने झाड़ू से उस कैदखाने की ओर कूड़ा इकट्ठा कर उस में उन्हें कैद कर रखने का संकेत दिया। महाराज गोगा पीर ने अपने दांतों से चमड़े की बेड़ियों को काट कर उन्हें कैद से मुक्त कराया। शिरगुल महाराज जी उस भंगिन द्वारा की गई सेवा से प्रभावित तथा इस की गई सहायता के कारण उसके जीवन पर आने वाले संकट को समझ उसे अपनी धर्मबहन बना कर पवन के वेग जैसी चलने वाली अपनी दिव्य-घोड़ी पर बैठा कर अपने साथ ले आए और वापस लौटते समय रास्ते में उन्होंने सनातन मर्यादा के अनुसार अपनी शुद्धि के लिए कुरुक्षेत्र के पास एक पवित्र नदी में स्नान किया, जिस से चमड़े की बेड़ियों के कारण जो उनकी शक्तियां क्षीण हो गई थी वो भी उन्हें पुन: प्राप्त हो गई।

इसके बाद शिरगुल महाराज जी ने सिरमौर के हरिपुरधार की चोटी पर अपनी उस धर्म-बहन को दिव्य शक्तियां प्रदान कर सर्वशक्तिमान होने का वरदान दिया तथा उन्हें यहीं हरिपुरधार की चोटी पर निवास करने तथा शिमला और सिरमौर जिलों की रक्षा करने को कहा और स्वयं चूड़धार पर्वत की चोटी पर अपनी तपस्या में लीन हो गए। महाराज जी के इसी वचन के बाद माता भंगायणी अदृश्य (साक्षात) रूप में उस पहाड़ी पर आकर विराजमान हो गईं।

कालांतर में आस-पास के गांव के ग्वालो को हरिपुरधार की चोटी पर एक पत्थर दिखा जो एक ओर से नुकीला था। खेलने के लिए वे उस पत्थर को जमीन पर गाड़ने लगे। वे उस पत्थर को जमीन में गाड़ते लेकिन कुछ देर बाद वह पत्थर जमीन से बाहर निकल जाता। एक दिन ग्वालो ने इस पत्थर को पहाड़ी के नीचे गिरा दिया लेकिन दूसरे दिन वह पुन: उसी पहाड़ी पर पड़ा मिला तो उनकी हैरानी का ठिकाना न रहा। उन्होंने गांव वालों को आकर सारी बात बताई, गाँव के पुरोहित ने उस स्थान पर शक्ति होने के संदेह जताया और गांव वालों को वहां मंदिर का निर्माण करने की सलाह दी।

गांव वालों ने चोटी पर मंदिर की स्थापना की तथा मंदिर में इस पत्थर को विधि-विधान से पिंडी के रूप में स्थापित किया। तभी से यहाँ सदैव माँ शक्ति रूप में अपने भक्तों की रक्षार्थ उपस्थित रहती है तथा भक्तों की मनोकामना की पूर्ति करती हैं। 1986 तक यह एक देवठी के रुप में पूजा जाता था उसके बाद मंदिर कमेटी द्वारा इस का जीर्णोद्धार कर इसे वर्तमान पहाड़ी शैली में भव्य रुप दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर के जीर्णोद्धार के दौरान इसकी ऊँचाई को बढ़ाने की कोशिश की गई लेकिन 2-3 बार निर्माण के दौरान आकाशीय बिजली गिरने से इसका बढ़ाया हुआ हिस्सा टूट कर गिर गया, जिसे माता का दिया हुआ संकेत समझा गया कि मंदिर की ऊँचाई एक सीमा से अधिक ना बनाया जाए ताकि प्रकृति के साथ संतुलन बना रहे। जिला शिमला की ओर माँ की पीठ और सिरमौर की ओर मुँह है।

मंदिर कमेटी और श्रद्धालुओं के सहयोग से यहाँ भजन-कीर्तन करने के लिए एक बड़ा सत्संग हॉल बनाया गया है तथा सर्दी-बारिश में दूर-दराज से आने वाले भक्तों की सुविधा के लिए यहाँ सराय/यात्री निवास भी बनाया गया

है जिसमें रुकने वाले यात्रियों के लिए सुबह-शाम नि:शुल्क भोजन-चाय की व्यवस्था की गई है। श्रद्धालु अपनी इच्छानुसार यहाँ दान कर सकते है। पहाड़ पर पानी की दिक्कत को देखते हुए टैंकों का इंतजाम किया गया है। मंदिर के पास भी होटल में विश्राम व रात्रि ठहराव की व्यवस्था है।

पहाड़ी क्षेत्रों में इतिहास को लिखित रूप से कम और गीतों व कहानियों के रूप में अधिक संजोया गया है, अत: 'शिरगुल महाराज' और 'माँ भंगायणी' इन दोनों दिव्य शक्तियों की गाथा पीढ़ियों से चली आ रही लोक गाथाओं के माध्यम से पता चलती है। विशेष पूजा 'जागरा' के दौरान पारंपरिक गायकों द्वारा इन की जीवनी गाकर सुनाई जाती है। स्थानीय स्तर पर गाए जाने वाले लोकगीतों में राजा भुकड़ू के घर शिरगुल महाराज के जन्म से लेकर उनके दिव्य चमत्कारों का पूरा वृत्तांत सुनने को मिलता है।

मंदिर का परिसर काफ़ी बड़ा है यहाँ से आपको चूड़धार और शिवालिक की पहाड़ियां देखने को मिलती है। सर्दियों में चूड़धार की ऊंची चोटियां हिमाच्छादित रहती है। नाहन-हरिपुरधार मार्ग के चारों ओर बान, देवदार व बुरांस के हरे-भरे घने जंगल मनोहारी छटा बिखेरते तथा विहंगम दृश्य प्रस्तुत कर अनूठे आनंद की अनुभूति देते है। कई स्थान पर कल-कल बहते श्वेत झरने और यात्रा करते हुए घने जंगलों में रहने वाले कभी-कभार दिख जाने वाले दुर्लभ वन्य प्राणियों की उपस्थिति इस यात्रा को और भी आनंदमय बना देती है।

रोमांच और प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर हरिपुरधार की यात्रा की स्मृतियां मेरे जहन में अभी भी ताज़ा है। इस छोटे शहर में पैदल घूमते हुए आप को हिमाचल की संस्कृति, सभ्यता, शिल्पकला के दर्शन और आकर्षक इमारते देखने को मिलेगीं। यदि आप प्रकृति प्रेमी है तो हरिपुरधार एक अद्भुत स्थान है।

आत्मनिर्भरता बनाम परस्पर-निर्भरता

संतुलन ही जीवन की सच्ची कला है

वेद प्रकाश फोन्दणी, स.ले.प.अधिकारी
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केन्द्रीय व्यय),नई दिल्ली

नव जीवन का ताना-बाना दो महत्वपूर्ण धाराओं से मिलकर बना है- आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता। पहली दृष्टि में ये दोनों विचार एक-दूसरे के विपरीत प्रतीत होते हैं। आत्मनिर्भरता व्यक्ति को स्वतंत्रता, स्वावलंबन और आत्मविश्वास की ओर ले जाती है, जबकि परस्पर-निर्भरता सहयोग, सामूहिकता और सामाजिक बंधनों को सुदृढ़ करती है। यदि गहराई से विचार किया जाए, तो यह स्पष्ट होता है कि ये दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं, न कि प्रतिस्पर्धी। आधुनिक जीवन की जटिलताओं में इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही वास्तविक बुद्धिमत्ता है।

आत्मनिर्भरता: स्वतंत्रता का आधार आत्मनिर्भरता का मूल भाव है- स्वयं पर निर्भर रहना। यह केवल आर्थिक स्वावलंबन तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें मानसिक, भावनात्मक और बौद्धिक स्वतंत्रता भी शामिल है। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति अपनी क्षमताओं पर विश्वास करता है, अपने निर्णय स्वयं लेता है और उनके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। यही गुण उसे जीवन के उतार-चढ़ावों से निपटने की शक्ति प्रदान करते हैं।

आत्मनिर्भरता व्यक्ति को आत्मसम्मान का बोध कराती है। जब कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से सफलता प्राप्त करता है, तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है। वह दूसरों पर बोझ बनने के बजाय स्वयं अपने जीवन का निर्माता बनता है। इसी सत्य को प्रामाणिक ग्रंथ भी मान्यता देते हैं। इस संदर्भ में श्रीमद्भगवद्गीता का वचन है कि

:उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत्।
आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः॥ *(भगवद्गीता 6.5)*

व्यक्ति को अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिए। आत्मनिर्भरता भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, जो स्वावलंबन, मेहनत और आत्मबल पर जोर देता है।

आधुनिक शिक्षा और समाज में आत्मनिर्भरता को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में, जहाँ अवसर सीमित और प्रतिस्पर्धा तीव्र है, आत्मनिर्भरता एक अनिवार्य गुण बन गई है। तकनीकी युग में, जहाँ ज्ञान और कौशल तेजी से बदल रहे हैं, व्यक्ति को स्वयं सीखने और स्वयं को अद्यतन रखने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति दूसरों पर निर्भर रहता है, वह पीछे रह सकता है, जबकि आत्मनिर्भर व्यक्ति परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढाल लेता है।

परस्पर-निर्भरता: समाज की आत्मा शास्त्रोक्ति है कि:
अल्पनामपि वस्तूनां संहतिः कार्यसाधिका।
तृणैर्गुणत्वमापन्नैर्बध्यन्ते मत्तदन्तिनः॥

अर्थात् छोटी-छोटी वस्तुओं का समूह भी कार्य सिद्ध करने वाला होता है। जैसे घास के तिनकों से बनी रस्सी (जो स्वयं में कमजोर हैं) से मतवाले हाथी को भी बांधा जा सकता है। भाव यह है कि परस्पर निर्भरता और एकता से ही कमजोर भी शक्तिशाली हो जाता है।मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेले न तो पूर्ण रूप से जी सकता है और न ही अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यही कारण है कि परस्पर-निर्भरता समाज का आधार बनती है। यह वह स्थिति है, जहाँ व्यक्ति एक-दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और एक-दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक बनते हैं।

परस्पर-निर्भरता का अर्थ केवल आवश्यकता के समय सहायता लेना नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक तंत्र है, जिसमें हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाता है। एक किसान अन्न उत्पादन करता है, एक शिक्षक शिक्षा प्रदान करता है, एक चिकित्सक स्वास्थ्य की रक्षा करता है, एक इंजीनियर तकनीकी विकास करता है—इन सभी की सेवाएँ एक-दूसरे के लिए आवश्यक हैं।

परस्पर-निर्भरता समाज में सहयोग, सहानुभूति और विश्वास को बढ़ावा देती है। यह हमें यह सिखाती है कि हम अकेले नहीं हैं और हमारे कार्यों का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ता है। जब लोग मिलकर काम करते हैं, तो वे अधिक बड़े और जटिल लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं, जो अकेले संभव नहीं होते।

आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता का द्वंद्व

अक्सर यह भ्रम होता है कि आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता एक-दूसरे के विरोधी हैं। कुछ लोग आत्मनिर्भरता को इतना महत्व देते हैं कि वे दूसरों से सहायता लेना कमजोरी समझते हैं। दूसरी ओर, कुछ लोग परस्पर-निर्भरता के नाम पर अपनी जिम्मेदारियों से बचते हैं और दूसरों पर अत्यधिक निर्भर हो जाते हैं।

दोनों ही स्थितियाँ असंतुलन को जन्म देती हैं। अत्यधिक आत्मनिर्भरता व्यक्ति को अलग-थलग कर सकती है। वह दूसरों से दूरी बना सकता है, जिससे उसके संबंध कमजोर हो सकते हैं। वहीं, अत्यधिक निर्भरता व्यक्ति के आत्मविश्वास में कमी उत्पन्न कर सकती है।

इसलिए यह आवश्यक है कि हम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करें। आत्मनिर्भरता हमें मजबूत बनाती है, जबकि परस्पर-निर्भरता हमें जोड़ती है। दोनों के बिना जीवन अधूरा है।

शिक्षा और संतुलन का निर्माण

शिक्षा वह माध्यम है, जो व्यक्ति में आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता दोनों का विकास करती है। एक ओर शिक्षा व्यक्ति को ज्ञान और कौशल प्रदान करती है, जिससे वह आत्मनिर्भर बनता है। दूसरी ओर, शिक्षा उसे सामाजिक मूल्यों, सहयोग और समूह भावना का महत्व भी सिखाती है।विद्यालयों और महाविद्यालयों में समूह परियोजनाएँ, खेलकूद और सामूहिक गतिविधियाँ विद्यार्थियों को परस्पर-निर्भरता का अनुभव कराती हैं। वहीं, व्यक्तिगत अध्ययन और परीक्षाएँ उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती हैं। इस प्रकार शिक्षा दोनों के बीच संतुलन स्थापित करने का कार्य करती है।

आर्थिक और वैश्विक संदर्भ

आधुनिक विश्व में आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता का संबंध और भी जटिल हो गया है। एक ओर देश आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करते हैं, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं कर सकें और बाहरी निर्भरता कम कर सकें। दूसरी ओर, वैश्वीकरण ने देशों को एक-दूसरे से जोड़ दिया है।

व्यापार, तकनीक, ऊर्जा और संसाधनों के क्षेत्र में देश एक-दूसरे पर निर्भर हैं। कोई भी देश पूरी तरह से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए, एक देश तकनीक में अग्रणी हो सकता है, जबकि दूसरा संसाधनों में समृद्ध हो सकता है। दोनों के बीच सहयोग आवश्यक है।

इस संदर्भ में आत्मनिर्भरता का अर्थ आत्मकेंद्रित होना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं को मजबूत करना है, ताकि वैश्विक सहयोग में समान भागीदारी की जा सके। इसी प्रकार, परस्पर-निर्भरता का अर्थ कमजोर होना नहीं है, बल्कि एक-दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ना है।

व्यक्तिगत जीवन में संतुलन

व्यक्तिगत जीवन में भी आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। एक व्यक्ति को अपने दैनिक कार्य स्वयं करने में सक्षम होना चाहिए। उसे अपने निर्णय स्वयं लेने चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए।

लेकिन इसके साथ ही उसे यह भी समझना चाहिए कि जीवन में ऐसे क्षण आते हैं, जब दूसरों की सहायता आवश्यक होती है। परिवार, मित्र और समाज का सहयोग जीवन को सरल और सुखद बनाता है। जो व्यक्ति दूसरों के साथ जुड़ा रहता है, वह भावनात्मक रूप से अधिक मजबूत होता है।

परस्पर-निर्भरता का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि हम केवल सहायता लेने वाले ही नहीं, बल्कि सहायता देने वाले भी बनें। जब हम दूसरों की मदद करते हैं, तो समाज में सकारात्मकता और विश्वास का वातावरण बनता है।

तकनीकी युग और नई चुनौतियाँ

तकनीकी विकास ने आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता दोनों के स्वरूप को बदल दिया है। इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों ने व्यक्ति को ज्ञान और संसाधनों तक सीधी पहुँच प्रदान की है, जिससे आत्मनिर्भरता बढ़ी है। अब व्यक्ति स्वयं नई-नई चीजें सीख सकता है और अपने कौशल को विकसित कर सकता है।

साथ ही, तकनीक ने वैश्विक स्तर पर परस्पर-निर्भरता को भी बढ़ाया है। आज हम एक क्लिक में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन कार्य, वैश्विक व्यापार और डिजिटल संचार ने लोगों और देशों को पहले से अधिक जोड़ दिया है।

लेकिन इसके साथ नई चुनौतियाँ भी सामने आई हैं। अत्यधिक डिजिटल निर्भरता व्यक्ति को वास्तविक सामाजिक संबंधों से दूर कर सकती है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम तकनीक का उपयोग संतुलित रूप से करें और वास्तविक जीवन में भी संबंधों को महत्व दें।

नैतिक और दार्शनिक दृष्टिकोण

दार्शनिक दृष्टि से देखा जाए, तो आत्मनिर्भरता व्यक्ति की स्वतंत्रता और आत्म-चेतना का प्रतीक है, जबकि परस्पर-निर्भरता उसकी सामाजिकता और मानवीयता का प्रतीक है। दोनों के बीच संतुलन ही जीवन का सार है।

भारतीय दर्शन में भी इस संतुलन का महत्व बताया गया है। "वसुधैव कुटुम्बकम्" का विचार परस्पर-निर्भरता को दर्शाता है, जहाँ पूरी दुनिया को एक परिवार माना गया है। वहीं, "स्वधर्म" का पालन आत्मनिर्भरता की ओर संकेत करता है, जहाँ व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन स्वयं करता है।

निष्कर्ष

अंततः, यह स्पष्ट है कि आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता जीवन के दो ऐसे स्तंभ हैं, जिन पर एक संतुलित और सफल जीवन की नींव टिकी होती है। आत्मनिर्भरता हमें सशक्त बनाती है, हमें अपने पैरों पर खड़ा करती है और हमें आत्मविश्वास देती है। वहीं, परस्पर-निर्भरता हमें जोड़ती है, हमें मानवीय बनाती है और हमें सहयोग की शक्ति सिखाती है।

इन दोनों के बीच संतुलन बनाना ही जीवन की सच्ची कला है। न तो हमें इतना आत्मनिर्भर बनना चाहिए कि हम दूसरों से कट जाएँ, और न ही इतना निर्भर कि हम अपनी पहचान खो दें। जब हम इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करते हैं, तब हम न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाते हैं, बल्कि समाज को भी अधिक सशक्त और समृद्ध बनाते हैं।

इस प्रकार, आत्मनिर्भरता और परस्पर-निर्भरता का समन्वय ही एक उज्ज्वल, संतुलित और समृद्ध भविष्य की कुंजी है- इसी बात को निम्न चित्र-समूह बहुत स्पष्टता और सार रूप में अभिव्यक्त कर रहा है।

आत्मनिर्भर बनें, पर जुड़कर रहें – यही है संतुलित और सफल जीवन का मंत्र।

ई-कार्यालय

अक्षय कुमार
लेखाकार,
कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी),
हिमाचल प्रदेश, शिमला

ई-कार्यालय का परिचय/ परिभाषा :- ई-कार्यालय एक ऐसी डिजिटल कार्य प्रणाली है, जिसके माध्यम से कार्यालयों में होने वाले सभी प्रशासनिक कार्य कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा ऑनलाइन किए जाते हैं। इसमें फाइलों का संचालन, टिप्पण, पत्र प्रारूप, अनुमोदन, पत्राचार तथा दस्तावेज़ प्रबंधन जैसे कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संपन्न होते हैं। यह प्रणाली कागज़ आधारित पारंपरिक व्यवस्था का आधुनिक विकल्प है और "डिजिटल इंडिया" अभियान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

ई- कार्यालय का इतिहास :- ई-कार्यालय 2008 में शुरू किया गया था, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित किया गया है। इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार नोडल विभाग प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग है। इसका प्राथमिक उद्देश्य सरकारी कार्यालयों को 5 वर्षों के भीतर पेपरलेस (कागज रहित) बनाना था।

- **वर्तमान परिप्रेक्ष्य :-** वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ई-कार्यालय की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। आज के समय में प्रशासन से पारदर्शिता, त्वरित निर्णय और जवाबदेही की अपेक्षा की जाती है। ई-कार्यालय इन सभी अपेक्षाओं को पूरा करने में सहायक है। इसके माध्यम से फाइलों की ऑनलाइन ट्रैकिंग संभव है, जिससे कार्य में अनावश्यक विलंब कम होता है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब अधिकांश अधिकारी/ कर्मचारी घर से कार्य कर रहे थे, तब ई-कार्यालय ने प्रशासनिक कार्यों की निरंतरता बनाए रखने में डिजिटल भुगतान करने के मंचों की तरह महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे यह सिद्ध हुआ कि डिजिटल प्रणाली भविष्य की आवश्यकता है, जोकि ई-गवर्नेंस में भी बढ़ावा देता है
- **ई- कार्यालय के उपयोग के लाभ :-** ई-कार्यालय के अनेक लाभ हैं। सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह कागज़रहित (पेपरलेस) व्यवस्था को बढ़ावा देता है, जिससे समय, धन, जनशक्ति और संसाधनों की बचत होती है। फाइलों का तेजी से निपटान होने से कार्यकुशलता बढ़ती है। डिजिटल हस्ताक्षर और सुरक्षित सर्वर के माध्यम से दस्तावेज़ों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है। इसके अतिरिक्त, पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से भी यह प्रणाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि कागज़ की खपत में कमी आती है। उच्चाधिकारियों को लंबित मामलों की ऑनलाइन निगरानी (दिनांक और समय) की सुविधा मिलती है, जिससे जवाबदेही सुनिश्चित होती है।
- **ई- कार्यालय के उपयोग के नुकसान / चुनौतियाँ :-** ई-कार्यालय के कुछ नुकसान या चुनौतियाँ भी हैं। तकनीकी समस्याएँ जैसे सर्वर डाउन होना, इंटरनेट की कमी या बिजली बाधित होना कार्य में रुकावट पैदा कर सकते हैं। साइबर सुरक्षा का खतरा भी एक महत्वपूर्ण चिंता है, क्योंकि डेटा लीक या हैकिंग की संभावना बनी रहती है। इसके अतिरिक्त, अधिकारियों/ कर्मचारियों को नई तकनीक का प्रशिक्षण देना आवश्यक होता है, जिस पर प्रारंभिक लागत आती है।

- **<u>ई-कार्यालय की उपयोगिता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदम/पहल</u> :-**

1. डिजिटल इंडिया अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्यालयों में ई-कार्यालय प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से लागू किया गया। इससे फाइलों का ऑनलाइन संचालन, नोटिंग-ड्राफ्टिंग और अनुमोदन की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से होने लगी।

2. डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट का उपयोग अनिवार्य किया गया, जिससे दस्तावेज़ों की प्रमाणिकता और सुरक्षा सुनिश्चित हुई। इससे भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता कम हुई और कार्य की गति बढ़ी।

3. ई-फाइलिंग और ई-डाक प्रणाली शुरू की गई, जिससे पत्राचार और फाइल मूवमेंट ऑनलाइन ट्रैक किए जा सकते हैं। इससे पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि हुई है।

4. कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम और कार्यशालाएँ सम्बंधित कार्यालय और क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और ज्ञान संस्थान में आयोजित की गईं, ताकि वे नई तकनीक को सहज रूप से अपना सकें। डिजिटल दक्षता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

5. साइबर सुरक्षा उपायों को मजबूत किया गया, जैसे डेटा एन्क्रिप्शन, सुरक्षित सर्वर, नियमित बैकअप और सुरक्षा लेखापरीक्षा। इससे संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

अन्य सरकारी पोर्टलों के साथ एकीकरण की पहल की गई, ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और डेटा साझा करना आसान हो सके।

- **<u>ई-कार्यालय के लिए आगे की राह</u> :-** ई-कार्यालय ने प्रशासनिक कार्यप्रणाली को आधुनिक और पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, परंतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए भविष्य में कुछ ठोस कदम उठाने आवश्यक हैं। आगे की राह केवल डिजिटल प्रणाली अपनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उसे सुदृढ़, सुरक्षित और उपयोगकर्ता-अनुकूल बनाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

1. मजबूत तकनीकी ढांचे (सूचना प्रोद्यौगिकी के आधारभूत ढांचे) का विकास आवश्यक है। उच्च गति इंटरनेट, विश्वसनीय सर्वर और नियमित तकनीकी समर्थन से कार्य में बाधाएँ कम होंगी। ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में भी बेहतर संबद्धता सुनिश्चित करनी होगी, ताकि सभी कार्यालय समान रूप से लाभान्वित हो सकें।

2. साइबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी होगी। डेटा एन्क्रिप्शन, नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षा, मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन और कर्मचारियों को साइबर जागरूकता प्रशिक्षण देकर डेटा लीक या हैकिंग जैसी समस्याओं से बचाव किया जा सकता है।

3. कर्मचारियों का निरंतर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण आवश्यक है। नई तकनीकों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने और डिजिटल कौशल बढ़ाने के लिए समय-समय पर कार्यशालाएँ एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। इससे कार्य की गति और गुणवत्ता दोनों में सुधार होगा।

4. ई-कार्यालय प्रणाली को अन्य सरकारी पोर्टलों और सेवाओं से एकीकृत करना चाहिए, ताकि विभिन्न विभागों के बीच समन्वय और डेटा साझा करना सरल हो सके। इससे प्रशासनिक प्रक्रिया अधिक सुगम और पारदर्शी बनेगी।

- **<u>निष्कर्ष</u> :-** ई-कार्यालय आधुनिक प्रशासन की अनिवार्य आवश्यकता बन चुका है। डिजिटल इंडिया, ई-फाइलिंग, ई-डाक और डिजिटल हस्ताक्षर जैसी पहलों ने इसकी उपयोगिता को बढ़ाया है, जिससे कार्य में

गति, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है। कागज़रहित प्रणाली से समय और संसाधनों की बचत होती है तथा ऑनलाइन ट्रैकिंग (दिनांक और समय के अनुसार) से प्रशासनिक प्रक्रिया सरल बनी है। तकनीकी चुनौतियों के बावजूद, सुदृढ़ अवसंरचना और जागरूकता के माध्यम से ई-कार्यालय सुशासन की दिशा में एक प्रभावी कदम सिद्ध हो रहा है। अंततः, ई-कार्यालय को केवल तकनीकी बदलाव न मानकर प्रशासनिक सुधार का माध्यम समझना चाहिए। पारदर्शिता, जवाबदेही और त्वरित सेवा प्रदान करने की भावना के साथ यदि इसे लागू किया जाए, तो यह सुशासन की दिशा में एक मजबूत कदम सिद्ध होगा।

आर्थिक संप्रभुता के जोखिम: कारण और निवारण

डॉ नीलोत्पल गोस्वामी
अपर उपनियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (राजभाषा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली

जब कोई बाहरी आर्थिक जोखिम हो, तो हम आर्थिक रूप से कैसे विकास करें, या वैकल्पिक रूप से, उन क्षेत्रों में कैसे विकास करें जो आर्थिक ढांचे को मजबूती दें और उसे हालात के सामान्य होने तक के लिए तैयार करते रहें ताकि व्यवस्थाएं तेजी से प्रगति कर सकें और भारत में विकास की गति को और भी बढ़ा सकें। आज, आर्थिक खतरे हमारे राष्ट्र की संप्रभुता के लिए खतरे का सबसे गंभीर पहलू हैं।

आधुनिक अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए, दिखावे के लिए किए गए छिटपुट बदलावों की अपेक्षा इसे बाहरी जोखिमों से संतुलित करते हुए, भविष्य में होने वाली अभूतपूर्व प्रगति की नींव रखना ज्यादा सही है। सच्ची आर्थिक संप्रभुता गहरी ढांचागत मजबूती पर टिकी है—यह सुनिश्चित करना कि जब बाहरी दबाव कम हो, तो घरेलू तंत्र तुरंत रफ्तार पकड़ सके।

खतरे में पड़ी आर्थिक संप्रभुता के लिए दोहरी कार्रवाई की आवश्यकता है:-

(क) लचीले, संप्रभुता से जुड़े क्षेत्रों के माध्यम से स्थिरता स्थापित किया जाए एवं,

(ख) बाहरी दबाव कम होने पर शासन और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को एक बड़े बदलाव के लिए तैयार किया जाए।

बाहरी जोखिमों के बीच व्यापक आर्थिक स्थिरता और भविष्योन्मुखी विकास प्राप्त करने के लिए मेरा सुझाव एक ऐसे रणनीतिक ढांचे के लिए है, जो लक्षित क्षेत्रीय फोकस के इर्द-गिर्द निर्मित हो और संस्थागत जवाबदेही मॉडल के मानकों पर खरा उतरे।

1. रणनीति: रणनीतिक अलगाव और रणनीतिक छलांग

जब बाहरी आर्थिक जोखिम संप्रभुता को खतरे में डालते हैं, तो विकास को दो समानांतर धाराओं में विभाजित होना चाहिए: *संरक्षण* (मूल को स्थिर करना) और *छलांग लगाना* (भविष्य में लंबी छलांग के लिए आधार तैयार करना)।

अ. रणनीतिक अवरोधन (ढाल)

- **लक्षित आयात प्रतिस्थापन और आपूर्ति श्रृंखला में आघात-रोधी उपाय:***

इस स्थिति में उन क्षेत्रों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाए जहां बाहरी निर्भरता से आर्थिक स्थिरता डावांडोल होती है जैसे सक्रिय फार्मास्युटिकल सामग्री (एपीआई), सेमीकंडक्टर पैकेजिंग, दुर्लभ पृथ्वी तत्व और रक्षा उपकरण। यहां विकास का अर्थ केवल जीडीपी के आंकड़े नहीं हैं; बल्कि राज्य पर भू-राजनीतिक प्रभाव को कम करना है।

- **रणनीतिक संप्रभु आरक्षित निधि**
- डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) को सुदृढ़ बनाना:* यूपीआई, ओएनडीसी और खाता एग्रीगेटर जैसे ढांचों की पहुंच बढ़ाने से घरेलू लेनदेन लागत कम होती है। इससे एक अत्यंत कुशल आंतरिक बाजार का निर्माण होता है जो बाहरी व्यापार मार्गों या वित्तीय प्रणालियों में व्यवधान आने पर भी आर्थिक गति को बनाए रख सकता है।

आ. रणनीतिक छलांग (मजबूत आधार की उपस्थिति)

- **एंटरप्राइज़ एआई और एडवांस्ड एनालिटिक्स का संस्थाकरण:** एंटरप्राइज़ एआई को कार्यप्रवाह में गहराई से अंतर्निहित किया जाए । इससे प्रणाली की कमियों को दूर किया जा सकता है, संसाधनों का बेहतर आवंटन सुनिश्चित किया जा सकता है और तीव्र विस्तार के लिए तैयार एक अत्यंत कुशल शासन स्तर तैयार किया जा सकता है । साथ ही, गहन तकनीक और स्वच्छ ऊर्जा अनुसंधान एवं विकास तथा उच्च-मूल्यवान कौशल विकास पर भी ध्यान केंद्रित किया जाए ।
- **अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी तथा अनुसंधान एवं विकास प्रोत्साहन:** पारंपरिक औद्योगिक क्षेत्रों में पिछड़ने के बजाय, पूंजी को अगली पीढ़ी के विकास के क्षेत्र जैसे हरित हाइड्रोजन, क्वांटम कंप्यूटिंग प्रोटोकॉल, उन्नत अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और सिंथेटिक जीव विज्ञान की ओर लगाया जाए। इन क्षेत्रों में बाहरी विकास की धीमी अवधि के दौरान कुशल श्रम की खपत होती है और ये वैश्विक बाजारों के सामान्य होने पर राष्ट्र को अग्रणी स्थान पर रखते हैं।

इ. इंजन: कठोर संस्थागत जवाबदेही

यदि अर्थव्यवस्था के मूल प्रशासनिक और वित्तीय तंत्र ऊपरी प्रक्रियाओं में उलझे रहें तो अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं आ सकता। दिखावटी हस्तक्षेप प्रगति का भ्रम पैदा करते हैं जबकि राज्य की क्षमता को कमज़ोर करते हैं। इससे निपटने के लिए, संस्थागत सुधार—विशेष रूप से निगरानी, कानूनी उपाय और सार्वजनिक व्यय—को एक कठोर ढांचे में स्थापित किया जाए, अर्थात्…

- बीमा, ऋण, प्रोत्साहन और कराधान को मूल्य श्रृंखला में सटीक लेनदेन लागत के साथ निर्धारित किया जाए, और जहां भी विसंगतियां पाई जाती हैं, उन्हें दूर किया जाए ।
- अनुपालन के लिए सुगम ढांचे के साथ काम करने हेतु विनियमन और लाइसेंसिंग।
- वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मानक और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)।

2. **लचीलापन-उन्मुख क्षेत्र**

* **खाद्य सुरक्षा और कृषि प्रौद्योगिकी:** सटीक कृषि, शीतलन आधारित परिवहन एवं भंडारण व्यवस्था और किसान-उत्पादनकर्ता संगठनों में निवेश किया जाए। ये उपाय ग्रामीण आय को स्थिरता प्रदान करते हैं और आयात पर निर्भरता को कम करते हैं।

* **ऊर्जा आत्मनिर्भरता:** नवीकरणीय ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन और विकेंद्रीकृत ग्रिड को अपनाने में तेजी लाया जाए। इससे वैश्विक तेल संकटों से बचाव होता है और संप्रभुता मजबूत होती है।

* **स्वास्थ्य सेवा और जैव प्रौद्योगिकी:** बाहरी आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी दवा अनुसंधान एवं विकास एवं चिकित्सा उपकरण पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किए जाएँ।

* **डिजिटल अवसंरचना:** स्वदेशी क्लाउड, एआई और साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क के साथ डेटा संप्रभुता को सुरक्षित किया जाए।

* **लघु एवं मध्यम उद्यम और स्वयं सहायता समूह**

* **रक्षा उत्पादन**

3. **प्रतिचक्रीय निवेश**

* आर्थिक मंदी के दौरान रोजगार सृजित करने और भविष्य के विकास की नींव रखने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं (सड़कें, बंदरगाह, डिजिटल राजमार्ग) में संसाधनों का निवेश किया जाए।

* लक्षित वितरण सुनिश्चित करने और खामियों को रोकने के लिए जवाबदेही डैशबोर्ड शुरू करके सामाजिक सुरक्षा जाल का विस्तार करें।

4. **संप्रभुता के उपकरण के रूप में उद्यम एआई**

एंटरप्राइज एआई उस तरह का ढांचागत सुधार है जिसकी भारत को आवश्यकता है:

* **प्रक्रिया पुनर्गठन:** अनावश्यक मानव संचालित अनुपालन जांचों को एआई-संचालित ऑडिट ट्रेल्स से बदला जाए जिससे ये जाँचें स्वतः ही होती रहें और मानवीय हस्तक्षेप न्यूनतम हो।

* **अनुसंधान की सटीकता:** भारतीय अनुसंधान एवं विकास परिणामों की वैश्विक मानकों (ओईसीडी, ईयू होराइजन और यूएस एनएसएफ) के साथ तुलना करने के लिए एआई का उपयोग किया जाए ।

* **जवाबदेही ढांचा:** एआई-सक्षम डैशबोर्ड वास्तविक समय में क्षेत्रवार प्रदर्शन के आंकड़े रख सकते हैं, जिससे पारदर्शिता सुनिश्चित होती है और सुधारात्मक कार्रवाई संभव हो पाती है।

5. **अभूतपूर्व प्रगति के लिए कमर कसना**

* **नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र:** अकादमिक जगत, स्टार्टअप और उद्योग को संप्रभु वित्तपोषण स्रोतों के साथ जोड़कर प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण में आने वाली "मौत की घाटी" को पाटना।

* **वैश्विक मानकीकरण:** भारत के क्षेत्रों की तुलना अमेरिका, यूरोपीय संघ, चीन, इज़राइल और रूस से करके कमियों और प्रगति के अवसरों की पहचान करना।

* **वैधानिक एवं शासन संबंधी तत्परता:** क्षेत्र-विशिष्ट शासन ढांचे का खाका तैयार किया जाए ताकि विकास में तेजी आने पर अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित हो सके।

6. तकनीक के दिखावटी प्रयोग की समस्याएँ

लोक प्रशासन में, प्रौद्योगिकी को अक्सर "शुरुआती समाधान" के रूप में इस्तेमाल किया जाता है—भव्य, मैन्युअल रूप से प्रबंधित या मौलिक रूप से त्रुटिपूर्ण डेटा पाइपलाइनों के आधार पर बनाए गए आकर्षक डैशबोर्ड। इससे दोहराव उत्पन्न होता है, जटिल कार्यप्रवाहों के कारण अनुपालन का बोझ बढ़ता है और राज्य की क्षमता पर कोई सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

एंटरप्राइज एआई द्वारा संचालित परिणाम और जवाबदेही ढांचा केवल एक अनुपालन उपकरण नहीं है—यह संप्रभुता की सुरक्षा है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत का विकास संरचनात्मक हो, सतही नहीं, और जब अवसर मिले तो छलांग निर्णायक हो।

➡ आगे का रास्ता

आर्थिक संप्रभुता तभी सुरक्षित रहती है जब कोई राष्ट्र बाहरी भू-राजनीतिक या आर्थिक खतरों के दौर का सदुपयोग करते हुए चुपचाप अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं का पुनर्निर्माण करता है। पुरानी, सतही नौकरशाही प्रक्रियाओं को अति-कुशल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित संस्थागत ढाँचों से प्रतिस्थापित करके, राज्य एक अटूट नींव का निर्माण करता है। जब वैश्विक परिस्थितियाँ स्थिर हो जाती हैं, तो ये व्यवस्थाएँ न केवल पुनर्जीवन प्राप्त कर रही होती हैं, बल्कि वैश्विक विकास की गति से आगे निकलने के लिए पहले से ही तैयार होती हैं।

कहानियाँ

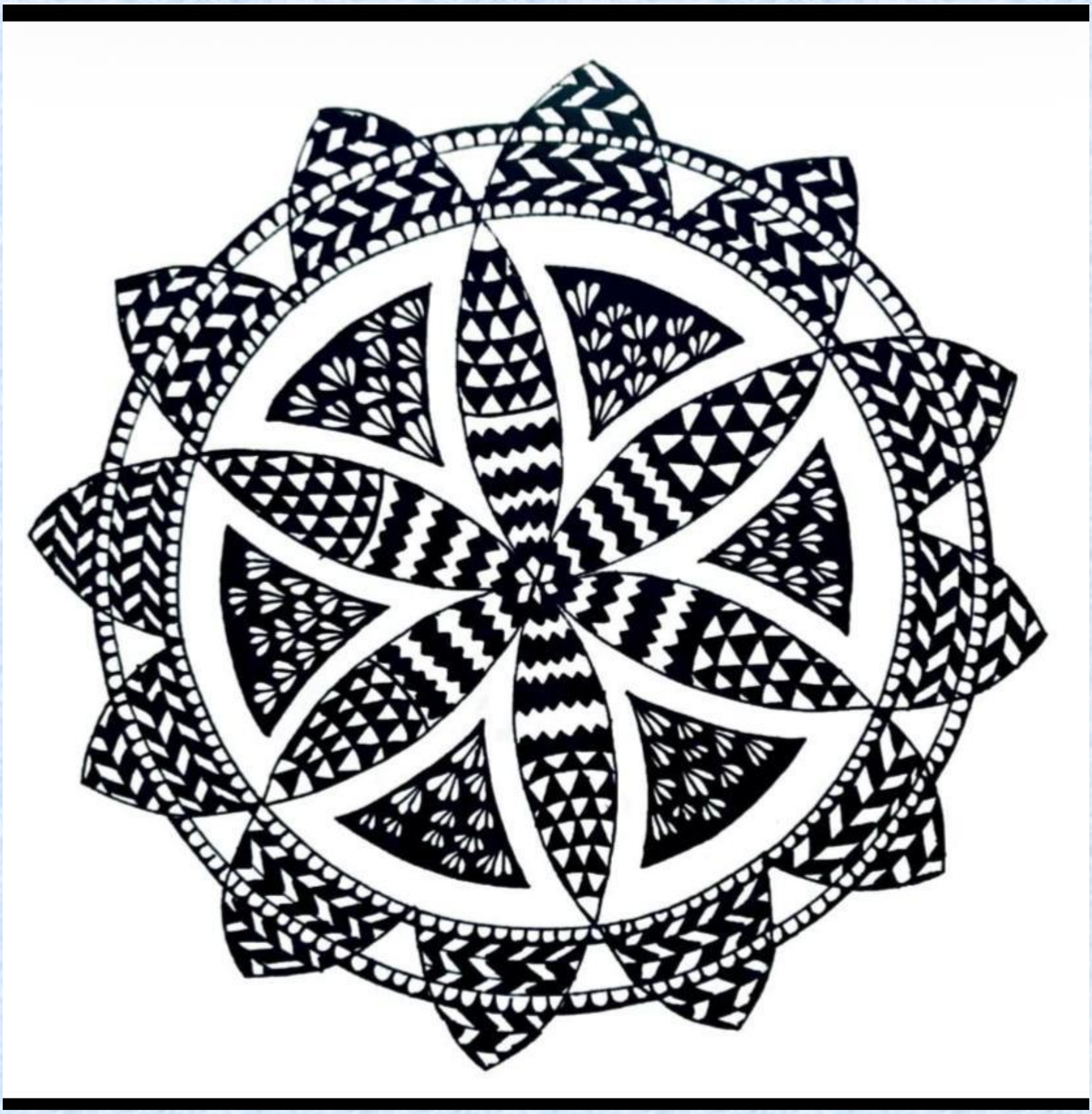

मंडला कला

<u>ICED, जयपुर: सीख, संवेदना और सह अस्तित्व की अनूठी यात्रा</u>

अमरजीत कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
कार्यालय महानिदेशक लेखापरीक्षा (केंद्रीय), हैदराबाद

25 जुलाई 2025 की शाम, ठीक पाँच बजे, कार्यालय के कोऑर्डिनेशन सेक्शन से मेरे पास एक फोन आया। आवाज़ में हल्की-सी औपचारिकता और थोड़ी-सी उत्तेजना थी— "आपको अगले सोमवार, 28 जुलाई को प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जयपुर जाना है।" ये सुनकर मेरे भीतर दो भाव एक साथ उमड़ पड़े—हर्ष और आश्चर्य। हर्ष इसलिए कि मुझे *अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास केंद्र (ICED),* जयपुर में पाँच दिवसीय प्रशिक्षण का अवसर मिला था, और आश्चर्य इसलिए कि विषय था **"नीति और शासन"**, जो मेरे कार्यक्षेत्र से गहराई से जुड़ा हुआ था। तैयारियों के बीच समय पंख लगाकर उड़ गया। जिस दिन मैं हवाई जहाज में सवार हुआ, मन में उत्सुकता चरम पर थी। जैसे ही विमान गुलाबी शहर के ऊपर मंडराने लगा, नीचे फैला जयपुर मुझे एक अद्भुत रंगोत्सव सा लगा मानो पूरा शहर होली खेल रहा हो। लाल, गुलाबी और सुनहरी आभा में नहाए महल, चौड़ी सड़कों के किनारे कतारबद्ध इमारतें, और ऐतिहासिक स्मारकों का वैभव... सब मिलकर एक अलग ही संसार रच रहे थे। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण लेखापरीक्षा एवं सतत विकास केंद्र (ICED), जयपुर शहर से लगभग पचास किलोमीटर दूर, हरी-भरी पहाड़ियों की गोद में बसा एक स्वप्निल परिसर है। मानो प्रकृति ने स्वयं अपनी हथेलियों में इसे सहेज रखा हो। पर्यावरण लेखापरीक्षा और सतत विकास के प्रशिक्षण को केंद्र में रखकर रचा गया यह परिसर, हर ओर से हरियाली और जीवन की ताजगी से भरा है। यहाँ की पगडंडियों के किनारे खिले रंग-बिरंगे फूल, हल्की हवा के झोंकों में झूमते वृक्ष और ऋतुओं के साथ बदलते पत्तों के रंग—सब मिलकर एक मन-मोहक दृश्य रचते हैं। विभिन्न प्रजातियों के वृक्षों, औषधीय पौधों और दुर्लभ वनस्पतियों से सुसज्जित यह स्थान, न केवल जैव-विविधता का खज़ाना है, बल्कि मानव और प्रकृति के मधुर सहअस्तित्व का जीवंत प्रतीक भी है। यहाँ की नीरवता में पक्षियों का मधुर कलरव घुल जाता है और हर सांस के साथ लगता है मानो जीवन, प्रकृति के साथ एक नई संधि कर रहा हो।

प्रशिक्षण का विषय भले ही "नीति और शासन" था, परंतु चूंकि यह कार्यक्रम ICED, जयपुर के हरे-भरे, शांत और मनमोहक प्रांगण में आयोजित हो रहा था, इसलिए प्रत्येक सत्र मानो केवल पुस्तकीय ज्ञान का आदान-प्रदान न होकर, पर्यावरण और सतत विकास के प्रति नई संवेदनाओं का बीजारोपण भी कर रहा था। पहाड़ियों से आती ठंडी हवाएँ, पत्तों की सरसराहट और पक्षियों का मधुर कलरव, हर व्याख्यान को एक अलग ही गहराई प्रदान कर रहे थे। इस प्रशिक्षण के विशेष आकर्षणों में से एक रहे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के सचिव एवं प्रधान निदेशक, श्री विश्वनाथ सिंह जादोन। "भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में नैतिक सत्यनिष्ठा" विषय पर उनके व्याख्यान में शब्द जैसे सीधे हृदय को छूते थे। उनका सधा हुआ वक्तव्य और प्रेरक अंदाज़, सभी सहभागियों में न केवल ज्ञानवृद्धि कर रहा था, बल्कि एक नई नैतिक ऊर्जा का संचार भी कर रहा था।

इसके बाद प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), राजस्थान श्री प्रविन्द्र यादव का "लोक क्षेत्र में पारदर्शिता और सुशासन बढ़ाने हेतु भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग में तकनीकी के उपयोग" विषय पर दिया गया व्याख्यान सचमुच आँखें खोल देने वाला था। उनकी बातें मानो भविष्य के सुशासन की एक स्पष्ट और उजली तस्वीर खींच रही

थीं। उनके विचार जैसे भविष्य की एक चमकदार खिड़की खोल रहे थे, जहाँ सुशासन और तकनीक साथ-साथ चल रहे थे। इसी क्रम में, जिंदल ग्लोबल स्कूल के प्रोफेसर श्री गुंजन मोहन शर्मा और प्रोफेसर श्रीमती मेनका नायर के विचार, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, भोपाल के डॉ. योगेश दुबे, जम्मू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर श्री संताप सनहरी मिश्रा तथा राजस्थान विश्वविद्यालय के डॉ. मनीष सिनसिवार के ज्ञानवर्धक सत्र, सभी प्रतिभागियों को सोच के नए क्षितिजों तक ले गए। कभी स्लाइड पर उभरते आँकड़े चुपचाप गहरी कहानियाँ कह जाते, तो कभी वक्ताओं के शब्द सीधे मन की तहों में उतर जाते। किसी सत्र में एक प्रेरक उदाहरण सुनकर मन में उत्साह की लहर उठती, तो किसी चर्चा के दौरान खिड़की से आती ठंडी हवा और बाहर झूमते पेड़, मानो नए विचारों का स्वागत कर रहे हों।

हर सत्र के अंत में लगता, जैसे मन के भीतर एक नई खिड़की खुल गई हो, जहाँ से ताज़ी हवा के साथ नए दृष्टिकोण और संभावनाएँ भीतर प्रवेश कर रही हों और हमें भीतर से समृद्ध कर रही हों।

अंतिम दिन, अपर उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, डा. नीलोत्पल गोस्वामी का समापन भाषण मानो पूरे प्रशिक्षण की आत्मा को शब्दों में पिरोकर प्रस्तुत कर रहा था। उनकी वाणी में विदाई का सौम्य स्पर्श था, लेकिन साथ ही आगे की राह के लिए प्रेरणा की लौ भी जल रही थी। प्रशिक्षण के बीच एक दिन, सभी प्रतिभागियों को जयपुर स्थित "भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति" ले जाया गया। वहाँ कृत्रिम अंगों से नए जीवन पा रहे लोगों की मुस्कुराहट ने हर दिल को गहराई से छू लिया। लौटते समय सभी के मन में मानवीय करुणा और सेवा का महत्व और भी दृढ़ हो चुका था। इसके बाद गुलाबी नगर का भ्रमण हुआ— चमकते बाजार, रंग-बिरंगे राजस्थानी परिधान, नक्काशीदार आभूषण और मसालों की सुगंध से भरी गलियाँ। कुछ ने स्मृति-चिह्न खरीदे, कुछ ने फोटोग्राफी में पल कैद किए और कुछ ने बस उस जीवंत शहर की धड़कन को अपने दिल में महसूस किया।

प्रशिक्षण के पाँच दिन जैसे सीख और अनुभव के रंगों से सजे हुए बीते। अलग-अलग राज्यों से आए प्रतिभागियों के साथ विचार-विमर्श, विशेषज्ञों के प्रेरक व्याख्यान और हर सत्र में कुछ नया जानने का अवसर—ये सब मुझे गहरे तक समृद्ध कर गए। लेकिन यह यात्रा-वृत्तांत आईसीईडी, जयपुर के उन अनदेखे, फिर भी अनिवार्य नायकों के बिना अधूरा है, जिनकी मेहनत और स्नेह ने इस प्रशिक्षण को वास्तव में यादगार बनाया—सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी और रसोई के सभी सदस्य। चुपचाप बिना किसी औपचारिक घोषणा के उन्होंने हम 46 प्रतिभागियों की देखभाल अपने घर के मेहमानों की तरह की। सुबह की पहली किरण से लेकर रात के अंतिम पलों तक उन्होंने हर छोटी-बड़ी ज़रूरत पर ध्यान दिया। रसोई से उठती ताज़ा भोजन की खुशबू, स्नेह से परोसी थाली और खेल प्रांगण में मिलती खुली हवा और सुकून—सब उनकी मेहनत और दिल से की गई सेवा का परिणाम था। कैम्पस में स्वच्छता की चमक, भोजन का स्वाद, और सुरक्षित माहौल—इन सबने हमें निश्चिंत होकर सीखने, सोचने और आनंद लेने का अवसर दिया। हम सभी प्रतिभागियों की ओर से, उन्हें हृदय से साधुवाद और धन्यवाद, जिन्होंने इस अनुभव को केवल एक प्रशिक्षण नहीं, बल्कि एक घर-सा अपनापन बना दिया।

अंत में, आईसीईडी, जयपुर के महानिदेशक डॉ. अभिषेक गुप्ता, निदेशक सुश्री मीना बिष्ट तथा अन्य सभी सहकर्मियों और कर्मचारियों का हार्दिक आभार, जिन्होंने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सुखद, सहज और ज्ञानवर्धक बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सहयोग, समर्पण और सतत समर्थन के बिना यह अनुभव इतना सफल और यादगार नहीं हो सकता था। वापसी की उड़ान में खिड़की से झांकते हुए मेरे मन में भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के शब्द गूंजने लगे— **"सार्वजनिक पद पर नियुक्ति से सार्वजनिक व्यय पर शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है।"** आज मुझे इन शब्दों का सही अर्थ समझ में आ रहा था—यह अवसर केवल सीखने का ही नहीं, बल्कि उस सीख को समाज और देश की सेवा में लगाने का संकल्प भी है।

लाड़ला बेटा

आशुतोष राय
लेखाकार
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तेलंगाना

मध्यमवर्गीय परिवार में जन्मा संतोष अत्यंत ही चंचल और खुशमिज़ाज़ बालक था। उसके परिवार में कई वर्षों पश्चात किसी लड़के का जन्म हुआ था, अत: बचपन से ही सबका लाड़ला और दुलारा था। माँ- बाप ने उसके पालन-पोषण में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पिता ने कभी कहा नहीं पर उनकी ख़्वाहिश थी कि उनका बेटा एक बड़ा अफसर बने परंतु सभी माँ की तरह उसकी माँ की भी यही ख़्वाहिश थी कि बेटा जो भी करे बस खुश रहे। बेटे को उसके पिता की इच्छा की खबर लग गई। जो पिता उसकी हर इच्छा पूरी करता, तो उसकी एक ख़्वाहिश बेटा पूरी ना करे, ऐसा कैसे हो सकता था। बस फिर क्या था, प्रारंभिक पढ़ाई गाँव से पूरी करने के बाद संतोष निकल पड़ा बड़े शहर बड़ा अफसर बनने की ख़्वाहिश लिए। बड़े शहर में एक नामी विश्वविद्यालय में दाखिला करवाया।

यहाँ से शुरू हुआ उसके संघर्ष का दौर। जो लाड़ला बेटा अपने हाथ से एक गिलास पानी भी ना उठाता हो, जिसकी माँ उसे अपने हाथों से खाना खिलाती हो, बड़े शहर में आने के बाद उसे अपने हाथ से खाना पकाना पड़ता, कमरे की सफाई करनी पड़ती, कपड़े धोने पड़ते और ना जाने घर और बाहर के कितने ही काम करने पड़ते। अपने बड़े से घर का राजा बेटा अब एक छोटे से कमरे का किरायेदार बन गया था। अब वह पहले की तरह चंचल और हँसमुख नहीं रहा, बल्कि वह अधिक गंभीर हो गया था। उसके साथी जब मौज-मस्ती करते, वह अपने ख्वाबों को बुनने में लगा रहता। उसने अपने ख्वाबों के पीछे अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी , इस उम्मीद में कि एक दिन उसका ख्वाब पूरा होगा, तब वह फिर से दिल खोलकर खुश होगा।

कई वर्षों तक अथक प्रयास भी किया परंतु केवल अथक प्रयास से सफलता मिल जाए, यह हर बार मुमकिन नहीं। जब आपके तकदीर में ही राजयोग नहीं तो प्रयास व्यर्थ ही जाते हैं। कई बार सफलता उसको छू कर निकल गई और वह अफसर बनते-बनते रह गया। उम्मीद बनती थी, टूटती थी, और हर टूटती हुई उम्मीद उसे अंदर से तोड़ देती थी।

उसके दोस्त जो मौज-मस्ती करते थे, जो जीवन की हर खुशी से रूबरू हुए, वे वक़्त के साथ अच्छी नौकरी में चले गए परंतु संतोष जिसने सब कुछ त्याग कर सिर्फ पढ़ाई की थी, वो अब भी बेरोज़गार था।

कई वर्षों के अथक प्रयास के बाद आखिरकार संतोष की नौकरी लग गई, एक सरकारी बाबू की। पूरे गाँव और रिश्तेदारी में खुशी की लहर दौड़ गई। उनका लाड़ला सरकारी क्लर्क बन गया। वर्तमान समय में किसी का सरकारी नौकरी पाना, रेगिस्तान में तालाब मिलने जैसा है। परंतु संतोष को यह सफलता रास नहीं आ रही थी और आए भी कैसे! कहाँ वह एक बड़ा अफ़सर बनने का ख्वाब देखा करता था और कहाँ ये सरकारी बाबू वाली नौकरी। जिसने अपना सब कुछ कुर्बान किया हो, जिसको बड़ी सफलताएँ बस छू कर निकल गई हों, उसे अब सरकारी बाबू की नौकरी करनी पड़ेगी। वह अपने दर्द को किसी से ज़ाहिर नहीं करता, बस झूठी मुस्कान लिए घूमता रहता। कष्ट की पराकाष्ठा तो तब हो गई जब उसकी पोस्टिंग उसके घर-परिवार से बहुत दूर पालमपुर में मिली परंतु वह कर भी क्या सकता था? उसके माता-पिता की बढ़ती उम्र के साथ उसकी परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियाँ थी जिसे उन्हें निभाना था। सबकी खुशी के लिए उसे जाना ही पड़ा। माँ जब फोन पर पूछती कि उसका लाड़ला बेटा कैसा है, तो वह सामने से हँसकर “खुश हूँ”, “ठीक हूँ” यही कहता। अपने दु:ख में भला माँ को कैसे शामिल करता?

वक़्त के साथ उसके सारे दोस्त भी साथ छोड़ चुके थे, कुछ दूरी की वजह से, कुछ वक़्त का हवाला देकर तथा कुछ अपने पद की गरिमा बचाने के लिए क्योंकि वे अफसर थे तो एक सरकारी बाबू से दोस्ती कैसे रख सकते थे? परिस्थितियाँ ऐसी हुई कि नए शहर में वह बिलकुल अकेला हो गया। खुशी तो जैसे बचपन से ही उसके हिस्से में नहीं लिखी थी। वक़्त बीता और उसको भी जीवन में खुश होने का अवसर मिला। उसका विवाह तय हुआ। लड़की का नाम रश्मि था, देखने में सुंदरता की मूरत लगती थी और संतोष के लिए वर्षों के त्याग का परिणाम और उसके ज़ख़्मों का मरहम मिल गया।

आज की परंपरानुसार विवाहपूर्व लड़का और लड़की में बात-चीत शुरू हुई और गुज़रते वक़्त के साथ दोनों में प्रेम भी गहरा होता चला गया। संतोष यह सोचकर प्रसन्न रहता था कि उसके वर्षों की तपस्या का फल है जो उसे रश्मि जैसी सुंदर और सुशील लड़की मिली है परंतु उसकी यह खुशी बहुत दिन ना रही। विवाह को कुछ ही समय रह गया था कि रश्मि से संतोष को पता चला कि रश्मि उससे विवाह नहीं कर पाएगी क्योंकि उसे संतोष से बेहतर विकल्प मोहन के रूप में मिल गया है जो कलक्टर है और रश्मि से विवाह करना चाहता है और यह भी कहा कि उसके घरवाले भी यही चाहते हैं। यह सुनकर तो संतोष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हाये रे उसकी किस्मत, जिसे उसने अपने ज़ख़्मों का मरहम समझा वो तो कभी ना भरने वाला ज़ख़्म दे गई। उसका कलक्टर बनने का ख्वाब तो धूमिल हो ही गया था, उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी को भी एक कलक्टर ले गया।

यह कहानी किसी एक संतोष की नहीं है। ऐसे हजारों संतोष समाज में हैं जिनका ख्वाब और प्रेम कोई और मोहन ले गया। संतोष का जीवन फिर से अंधकारमय हो गया। इन घटनाओं से वह इतना सहम गया कि अब उसे खुश होने का अवसर भी मिले तो वह खुश नहीं होता कि जाने क्या कीमत चुकानी पड़े। उसके सहकर्मी उसकी उदासी और खामोशी का कारण पूछते। वो उनको क्या ही बताता, मुस्कुराकर खुश होने का नाटक करता और कहता “सब ठीक है”।

इस अंधकारमय जीवन से बाहर एक दिन जब वह चेतना में आता है तो उसे प्रकाश की एक किरण दिखाई देती है- उसका अधूरा ख्वाब। वह सोचता है कि सब हार गया तो क्या, वह ज़िंदा है, सांसें चल रही है, यही बहुत है। आत्मबल को जुटाकर लग जाता है कलक्टर बनने की आखिरी कोशिश में। यह उम्मीद ही तो है जो इंसान को ज़िंदा रखे हुए है।

अब आने वाला वक़्त ही बताएगा कि परिवार के लाड़ले संतोष का ख्वाब पूरा होता है या नहीं। उसे कभी खुशी नसीब होती है या उसे अपने हालात से संतोष करना पड़ता है।

कहानी अभी जारी है......

गायब फाइल का रहस्य : एक ऑडिट गाथा

रविंद्र कुमार
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल

सरकारी कार्यालयों के गलियारों में एक पुरानी और विश्वसनीय कहावत मशहूर है - "इंसान मर सकता है, पर फाइल कभी नहीं मरती ।" लेकिन मेरी इस कहानी में फाइल मरी नहीं थी, वह तो बस 'लुका-छिपी' का ऐसा खेल खेल रही थी जिसे दुनिया का बड़े से बड़ा जासूस भी नहीं सुलझा पाता । यह कहानी उस रहस्यमयी पीली फाइल की है जिसने पूरे ऑडिटी विभाग की रातों की नींद और दिन का चैन छीन लिया था ।

अध्याय 1: बरसात, बिस्कुट और एक खतरनाक फाइल

जुलाई का महीना था । बाहर मानसून की ऐसी बारिश हो रही थी जैसे इंद्र देव ने इसी साल सारा कोटा पूरा करने की ठान ली हो । अंदर कार्यालय के सीलन भरे कमरों में पुरानी फाइलों की वह विशिष्ट खुशबू छाई हुई थी, जिसे सरकारी मुलाजिम 'अनुभव की महक' कहते हैं और बाकी दुनिया 'धूल की एलर्जी' । मैं अपनी ऑडिट टीम के साथ एक 'फील्ड इंस्पेक्शन' पर था । चाय का तीसरा दौर खत्म हो चुका था और मेज पर रखे बिस्कुट के चूरे इस बात का सबूत थे कि हमारी चर्चा काफी लंबी खिंच चुकी है ।

शर्मा जी, जो अनुभाग अधिकारी थे, बड़े ही मिलनसार व्यक्ति थे। वे पिछले एक घंटे से मुझे यह समझा रहे थे कि दिल्ली के छोले-भटूरे में जो 'तीखापन' है, वह केरल के अप्पम और स्टू की 'सौम्यता' के सामने कहीं नहीं टिकता। वह एक चतुर मेजबान की तरह हमें बातों में उलझाए हुए थे ताकि हमारा ध्यान अलमारियों की तरफ न जाए। उनके पास हर सवाल का एक 'मीठा' जवाब तैयार था।

तभी मैंने वह 'विस्फोटक' वाक्य कहा - "शर्मा जी, जरा 2019 वाली 'स्टेशनरी परचेज' की फाइल दिखाइये। इसमें कुछ बड़े भुगतान दिख रहे हैं, शायद कुछ पेंसिलों का हिसाब बाकी है।"

बस, इतना कहना था कि कमरे का माहौल अचानक किसी सस्पेंस फिल्म जैसा हो गया । शर्मा जी के हाथ में पकड़ा हुआ आधा बिस्कुट चाय के प्याले में गिरकर 'शहीद' हो गया । उनके चेहरे पर वही भाव आए जो एक छात्र के चेहरे पर तब आते हैं जब मास्टर जी अचानक सरप्राइज टेस्ट की घोषणा कर देते हैं। उन्होंने एक बार अपनी सूखी हुई जीभ होंठों पर फेरी और बगल वाले कमरे की तरफ एक 'मदद मांगती' नजर डाली।

अध्याय 2 : अलमारी का 'पाताल लोक' और तिवारी जी का पराक्रम

शर्मा जी ने गले में अटकी ठंडी चाय को नीचे उतारा और अपने सबसे भरोसेमंद सहायक, तिवारी जी को आवाज दी । तिवारी जी, जो पिछले पंद्रह सालों से उस कार्यालय की अलमारियों के 'इनसाइक्लोपीडिया' और 'गूगल मैप' माने जाते थे, फुर्ती से अंदर आए। उन्हें अपनी याददाश्त पर इतना नाज था कि लोग कहते थे कि तिवारी जी को यह भी याद है कि 1998 में किस फाइल के कवर पर चाय का दाग लगा था और उसे किसने लगाया था।

"तिवारी, सर को 2019 वाली स्टेशनरी वाली फाइल ला कर दो। अलमारी नंबर चार में होगी शायद, वो जो कोने वाली है जिसकी चाबी थोडी टेढ़ी है," शर्मा जी ने आदेश दिया।

तिवारी जी आत्मविश्वास से भरे हुए रिकॉर्ड रूम की ओर बढ़े। वहां लोहे की पुरानी और भारी अलमारियां खड़ी थीं, जो देखने में किसी प्राचीन किले की दीवार जैसी लगती थीं। उन पर जमी धूल की परतें यह गवाही दे रही थीं कि सालों से यहां किसी इंसान के कदम नहीं पड़े हैं। तिवारी जी ने अलमारी खोली। धूल का एक ऐसा गुबार उठा कि लगा जैसे किसी ने दफ्तर के अंदर छोटा-मोटा रेगिस्तानी तूफान छोड़ दिया हो। तीन चपरासी तुरंत 'खतरनाक धूल' की चपेट में आकर छींकने लगे।

पंद्रह मिनट बीते। आधा घंटा बीता। चाय ठंडी होकर जमने लगी, बाहर बारिश रुककर दोबारा शुरू हो गई, लेकिन तिवारी जी वापस नहीं आए। अंततः वे जब बाहर निकले, तो उनकी स्थिति किसी युद्ध से लौटे सैनिक जैसी थी। उनके बाल बिखरे हुए थे, उनका सफ़ेद कुर्ता धूल से स्लेटी हो चुका था । उन्होंने रुआंसे स्वर में कहा, "साहब... फाइल वहां नहीं है। वहां सिर्फ 2018 की डायरी और 2020 के कैलेंडर हैं, पर 2019 वाली फाइल ने जैसे 'जल समाधि' ले ली है।"

अध्याय 3 : फाइल के 'पैर' और 'पंख' का वैज्ञानिक सिद्धांत

यह सुनते ही कार्यालय में जैसे 'रेड अलर्ट' जारी हो गया । शर्मा जी अपनी कुर्सी से ऐसे उछले जैसे नीचे कोई बिच्छू आ गया हो । "क्या मतलब नहीं है ? कल ही तो देखी थी ! अरे, वो पीले रंग की थी, जिस पर लाल धागा बँधा था !"

(पाठकों को बता दूँ, सरकारी कार्यालयों में याददाश्त का अपना ही एक विज्ञान होता है । 'कल ही तो देखी थी' दरअसल एक मुहावरा है, जिसका अर्थ यह नहीं कि फाइल कल देखी गई थी, बल्कि यह कि फाइल को लेकर हमारा लगाव इतना गहरा है कि तीन साल पहले देखी गई चीज़ भी हमें कल की ही बात लगती है!)

अब शुरू हुआ असली 'सर्च ऑपरेशन' । कार्यालय के हर कोने की तलाशी ली जाने लगी । चपरासी से लेकर बड़े साहब तक, सब एक ही मिशन पर थे - 'मिशन मिसिंग फाइल' । मेजों के नीचे, अलमारियों के पीछे, यहाँ तक कि एसी के डक्ट के ऊपर भी झाँका गया । फाइलों के ढेर को ऐसे पलटा जा रहा था जैसे कोई ताश के पत्तों में 'इक्का' ढूंढ रहा हो ।

मैंने हंसते हुए कहा, "शर्मा जी, कहीं फाइल को पंख तो नहीं लग गए ? या फिर वह ऑडिट के डर से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (VRS) लेकर कहीं पहाड़ों पर या कन्याकुमारी घूमने चली गई ?"

शर्मा जी ने बड़ी गंभीरता से जवाब दिया, "सर, आप मजाक समझ रहे हैं, पर आजकल की फाइलें बहुत भावुक हो गई हैं । अगर उन्हें ढंग से 'टैग' न किया जाए या समय-समय पर उन पर से धूल न झाड़ी जाए, तो वे बुरा मानकर किसी दूसरी अलमारी में जाकर छिप जाती हैं । इसे हमारी विभागीय भाषा में 'फाइल का विस्थापन' (Displacement of File) कहते हैं।"

अध्याय 4: संदिग्धों की जासूसी और ऑडिट की सूझबूझ

एक ऑडिट ऑफिसर के तौर पर मेरा दिमाग अब जासूसी की दिशा में दौड़ने लगा । मैंने अपनी पॉकेट डायरी निकाली और एक 'सस्पेक्ट लिस्ट' (संदिग्धों की सूची) बनाई:

1. **दीमक (The Intellectual Termites):** क्या उन्होंने 2019 के भारी-भरकम स्टेशनरी बजट को अपना 'लंच' बना लिया ? दीमक अक्सर उन फाइलों को पहले खाती हैं जिनमें बड़े वित्तीय घपले होने की संभावना होती है । शायद उन्हें 'कैश बुक' का स्वाद ज्यादा पसंद है।

2. **कैंटीन वाला:** क्या फाइल के कीमती पन्ने समोसे और वड़ा लपेटने के काम आ गए ? मुमकिन तो है, पर तिवारी जी की मौजूदगी में कैंटीन वाला इतना बड़ा 'दुस्साहस' नहीं कर सकता। हालांकि, पिछले हफ्ते के समोसे के कागज पर मुझे कुछ 'Note-Sheet' जैसा लगा तो था।
3. **पुरानी रद्दी का ठेकेदार:** कहीं दिवाली की सफाई के दौरान यह ऐतिहासिक दस्तावेज 'आठ रुपये किलो' के भाव में तो नहीं बिक गया ? अगर ऐसा है, तो वह फाइल अब किसी चाट वाले की दुकान पर 'दोना' बन चुकी होगी ।
4. **स्वयं फाइल का आत्मसम्मान:** क्या वह इतनी स्वाभिमानी थी कि उसे लगा कि 'ऑडिट पैरा' (Audit Para) बनकर अधिकारियों की फटकार सुनने से बेहतर है कि वह गुमनामी की मौत मर जाए ?

अध्याय 5: दफ्तर का 'सात्विक' तनाव और दार्शनिक चर्चा

दोपहर से शाम होने को आई। तनाव का आलम यह था कि कार्यालय का पुराना छत वाला पंखा भी जैसे डर के मारे धीरे-धीरे 'कराहते' हुए चलने लगा था। टाइपराइटरों की खट-खट थम गई थी और क्लर्क एक-दूसरे को ऐसे शक की निगाहों से देख रहे थे जैसे कोई उनमें से 'इंटरनेशनल फाइल चोर' हो।

तभी तिवारी जी ने एक नई दार्शनिक थ्योरी पेश की - "साहब, मुझे लगता है कि पिछली बार जब पुताई हुई थी, तब पेंटर ने उसे किसी डिब्बे के नीचे रख दिया होगा। फाइलों की नियति भी अजीब है, सर। कभी वे साहब की मेज की शोभा बढ़ाती हैं, तो कभी पेंट के डिब्बे के नीचे दबकर अपनी पहचान खो देती हैं। जीवन भी तो एक फाइल ही है, सर! "

तुरंत उस पेंटर को फोन लगाया गया जो अब पड़ोस के जिले में काम कर रहा था। उसने कसम खाकर कहा, "साहब, मैंने फाइल को हाथ भी नहीं लगाया। मैं तो खुद दो साल से अपनी मजदूरी के भुगतान वाली फाइल ढूंढ रहा हूँ, जो आपके ही दफ्तर में कहीं 'शहीद' हो गई है !"

अध्याय 6: क्लाइमेक्स और कालीन का गहरा राज

शाम के साढ़े पांच बजने वाले थे । ऑडिट टीम के वापस जाने का समय हो चुका था। शर्मा जी का चेहरा अब पूरी तरह सफेद पड़ चुका था । उन्हें लग रहा था कि अब तो 'लापरवाही और रिकॉर्ड के रखरखाव में विफलता' का मेमो पक्का है। उनकी आँखों के सामने अपनी पदोन्नति (Promotion) धुंधली होने लगी थी।

तभी अचानक एक चमत्कार हुआ । शर्मा जी की भारी-भरकम लकड़ी की कुर्सी के नीचे एक पुराना, मटमैला कालीन बिछा था। वह कालीन एक कोने से थोड़ा मुड़ा हुआ था, जिसकी वजह से शर्मा जी की कुर्सी अक्सर एक तरफ को डगमगाती थी। सफाई कर्मचारी, जो सुबह से यह सारा 'नाटक' देख रहा था, अचानक झाड़ू लेकर आगे आया । उसने कालीन को सीधा करने के लिए जैसे ही उसे पूरी ताकत से खींचा, उसके नीचे से एक पतली सी, धूल भरी पीली फाइल झाँक रही थी।

सबकी सांसें वहीं थम गईं । कमरे में वैसी ही खामोशी थी जैसी किसी थ्रिलर फिल्म के अंत में नकाबपोश हत्यारे का चेहरा सामने आने पर होती है । शर्मा जी ने कांपते हाथों से वह 'पवित्र' फाइल उठाई। उस पर धूल की ऐसी मोटी परत थी कि लग रहा था जैसे वह मोहनजोदड़ो की खुदाई से निकली हो। लेकिन कवर पर लिखे अक्षरों को अब भी पढ़ा जा सकता था - "स्टेशनरी परचेज - 2019"।

पता चला कि फाइल कभी गायब हुई ही नहीं थी। दरअसल, शर्मा जी उस फाइल को इतनी 'सुरक्षा' (Security) से रखना चाहते थे कि उन्होंने उसे अपनी कुर्सी के सबसे पास, कालीन के नीचे 'सेफ कस्टडी' में दबा

दिया था ताकि कोई उसे चुरा न सके। और फिर, सरकारी काम के बोझ और छोले-भटूरों के स्वाद के बीच वे खुद ही भूल गए कि उन्होंने फाइल को 'जमींदोज' कर दिया है।

अध्याय 7: उपसंहार - ऑडिट, चाय और अंतहीन फाइलें

जब फाइल मिली, तो पूरे दफ्तर में ऐसा जश्न मनाया गया जैसे भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप फाइनल जीत लिया हो । चपरासी ने तुरंत ताज़ा 'अदरक वाली चाय' के लिए दौड़ लगाई । शर्मा जी के चेहरे पर रौनक वापस आ गई थी और वे फिर से 'नॉर्थ बनाम साउथ' के खान-पान पर चर्चा करने के लिए तैयार थे ।

लेकिन असली 'ट्विस्ट' तो तब आया जब मैंने उस 'बहुप्रतीक्षित' फाइल को खोला । जिस फाइल के लिए पूरा दफ्तर सुबह से शाम तक 'एक पैर' पर खड़ा था, उसमें कुल जमा सात पन्ने थे। उन सात पन्नों में से पांच तो केवल इस लंबी-चौड़ी विभागीय बहस के थे कि कार्यालय के लिए 'नटराज' की पेंसिलें बेहतर हैं या 'अप्सरा' की, और क्या 'रबड़' (Eraser) की जगह सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है ।

हम सब ठहाका मारकर हँस पड़े । शर्मा जी ने राहत की सांस लेते हुए कहा, "सर, फाइल छोटी हो या बड़ी, सरकारी नियम में उसका 'वजूद' (Existence) ही सब कुछ है । आज अगर यह नहीं मिलती, तो कल के अखबार में सुर्खी होती - 'ऑडिट से बचने के लिए अफसरों ने जलाईं फाइलें '!"

इस घटना ने मुझे एक बड़ी सीख दी - सरकारी दफ्तर में फाइलें कभी मरती नहीं हैं, वे बस कुछ समय के लिए 'निर्वाण' प्राप्त कर लेती हैं । उन्हें वापस लाने के लिए किसी जादुई छड़ी की नहीं, बल्कि एक अड़ियल ऑडिट टीम के सब्र और कार्यालय की सारी चाय खत्म होने तक के धैर्य की जरूरत होती है ।

अगली बार जब आप किसी सरकारी दफ्तर में जाएं और आपको बताया जाए कि "साहब, फाइल मिल नहीं रही है," तो घबराइए मत । अपनी नजरें जमीन पर घुमाइए, कालीन के नीचे देखिए, या साहब की कुर्सी के पायों को चेक कीजिए । फाइल वहीं कहीं आपकी बेबसी पर मुस्करा रही होगी !

लेखक का नोट: इस कहानी के पात्र और घटनाएं पूरी तरह काल्पनिक (कम से कम सरकारी रिकॉर्ड पर तो यही लिखा है !) हैं । इसका उद्देश्य किसी की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना नहीं, बल्कि फाइलों के साथ हमारे उस 'अनोखे' और 'अटूट' रिश्ते को उजागर करना है जो सिर्फ एक सरकारी कर्मचारी ही समझ सकता है ।

धुली की दीपावली

कृष्णमुरारी गर्ग
वरिष्ठ लेखापरीक्षक
आईसीआईएसए, नोएडा

दीपावली नजदीक थी। बाजारों में रौनक दिखाई दे रही थी। तरह-तरह की दुकाने अपने-अपने सामान से सजी थी। तरह तरह की दुकाने अपने ही अंदाज मे चमक रही थी। सभी दुकानदार लोगों को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे। सभी दुकाने अपनी आधुनिकता को प्रकट करते हुए लोगू के मन को अध्यात्म से हटाकर भौतिकता में प्रवेश करने का निमंत्रण दे रही थी।

इन सभी के बीच सड़क किनारे फुटपाथ पर एक नन्ही बालिका अपनी दुकान सजा रही थी। उसकी दुकान में थे मिट्टी के बने नन्हें दीपक जो कि हमारी पारंपरिकता का प्रतीक है, परंतु आज शायद बिजली और इस आधुनिकता कि चकाचौंध मे इन नन्हें दीपकों का प्रकाश फीका पड़ गया है और फीकी पड़ गई है दीपावली इन दीपक बनाने वालों की, क्यो की आज दीपक की पंक्ति का स्थान डिजिटल पंक्ति (झिलमिल लाइट) ने ले लिया है।

सड़क किनारे बैठी उस लड़की के पास जाकर मेंने उसका नाम पूछा। उसने अपना नाम धुली बताया। मैंने मन ही मन उसके नाम की सार्थकता की कल्पना की कि इस धुली की धूल से बने हुए दीपक भी इसके नाम के समान ही धुंधला गए है।

बालिका का चेहरा धूल से सना हुआ था। उसके उम्र 9-10 वर्ष की थी। उसके कपड़े पैबंद युक्त थे जिससे उसकी आर्थिक स्थिति का एहसास होता है। उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। उसकी इस स्थितियों को देखकर ऐसा लागत है जैसे हमारे देश का एक कोना आज भी बुझा हुआ सा है।

मैंने बालिका से उसके माता- पिता और परिवार के बारे में पूछा तो वह एक दम सी मुझे देखती रही जैसे मैंने उसके मन के किसी कोने मे पड़ी किसी चेतना को छेड़ दिया हो और वह आवाक हो गई हो , मैंने जब पुन: उससे पूछा तो उसके आंखों से अश्रुधारा निकल पड़ी। मैंने जब उसे ढाढ़स बधाया और पुन: जगाने का प्रयास किया तो वह सिकसते हुए बोली “माँ बाप नहीं है एक बड़ी बहन है जो विकलांग है” उसकी इस बात से मरा मन और भी अंदर से आहत हो गया।

वर्तमान मे समाज मे इन अनछुए से पहलुओ पर किसी की नजर जाते हुए भी अनदेखा करना इनकी दीपावली को पटाखा फूटने के बाद हुए धुंएं की तरह धुंआं - धुंआं कर रहा है। अत: आज आवश्यकता है भौतिकता से अध्यात्म की और लौटने की जो हमे सिखाता है अपनी संस्कृति और संस्कृति से जुड़े हुए कर्त्तव्य।

मैंने इसी कर्त्तव्य को पूरा करते हुए (उसके पास जो थोड़े दीपक थे जिनको लोगो ने बिना ध्यान दिये संवेदनहीनता को प्रदर्शित करते हुए इस तरह जा रहे थे जैसे वहाँ कोई नहीं हो) उसके सारे दीपक खरीदकर तथा कुछ कपड़े एवं मिठाई दिलाकर उनकी दीपावली को रोशन करने का छोटा सा प्रयास किया। साथ ही मेरे मन को इससे यह आनंद की प्राप्ति हुई कि इस दीपावली मैंने एक नेक काम किया।

इस कहानी का सार यही है कि हमे इस अधुंकिता दिखावे वाली चमक से थोड़ा सा हटकर हमारी जो पुरानी परंपरागत वाली वस्तुऐ/ अध्यात्म पर भी ध्यान देना चाहिए।

मंडला कला

कविता

"सेल्फी बनाम चांटा"

आरती शर्मा
लेखाकार
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक)
पश्चिम बंगाल

इधर बरसों बाद
कुछ ऐसा संयोग हुआ।

गत सप्ताह दीदी के घर
मेरा जाना हुआ।
छोटे-छोटे, मुन्ना-मुन्नी से
मिले भी था एक जमाना हुआ ।।

चलते-चलते याद आ रहा था
बीता हर पल जो अफसाना हुआ ।।

बरसों बाद देख सबको
मन मेरा हर्षाया,
गले लगा कर मुन्ने को
खूब मैंने दुलराया।

छुटपन की वो मुनिया पर
जब मेरी नजर पड़ी,
नन्हीं सी वो बहती नाक
हो चुकी थी अब काफी बड़ी ।।

कल तक जो खिलौने लेकर
आंगन में मुस्काती थी ।
टूटी-फूटी बातों से अपनी
मन सबका बहलाती थी ।।

बचपन की वह मासूमियत,
अंदाज - ए - नजाकत में बदल चली थी।
मुन्नी अपनी बन चुकी थी मिशा,
सर से पांव तक फैशन में ढली थी।।

भावातिरेक में मैंने अपनी
बाहों को फैलाया,
"हेलो मासी" कह कर उसने
हवा में हाथों को लहराया।

हाइ -फाइव देकर उसने
मुझसे अपना
ब्रांड न्यू फोन दिखाया।।

बोली- मासी अब कर देते हैं update
चलो लेते हैं हम ग्रुप सेल्फी,
एक क्यूट सा take ...

शक्ल पर बजे हो चाहे पौने बारह
पर स्माइल बिल्कुल भी ना लगे fake...

फिर क्या था
अगले ही पल
धड़ाधड़ -धड़ाधड़

बदलते एंगल दस- बीस
मुन्नी पोज बनाए ।

होंठ करके टेढ़े-मेढ़े से
आंखें ऊपर - नीचे नचाए ।

दीदी लगी अपना सर पीटने
और मैं देखूं मुंह बाये ।।

किसी में गुड़िया,

किसी में चुहिया,
किसी में लगे रोबोट,

क्लिक-क्लिक करते-करते
फाइनली
मिला हमें "परफेक्ट" वाला शॉट ।।

सारे दिन मुन्नी हमारी
जाने कितने मुंह बनाती,

Proper light की खोज में
घर का कोना-कोना छान
आती।।

दिनभर अपलोड होती रहती पिक्चर ,
लिखती नीचे कमेंट
How are you guyzzzzzzzzzzz!! ,
feeling very great.......

ऐसे ही एक खूबसूरत शाम
निकल पड़े हम घर से तमाम

घूमने का सबका mood हुआ था।

घूमेंगे - फिरेंगे,
नाचेंगे - गाएंगे,
ऐश करेंगे,
और क्या??......
स्टेटस से upload हुआ था।

आगे
रेस्तरां में पहुंच ...
हुआ क्या ??
हाल ये
सुनो बताएं ...

सामने पड़े थे लजीज व्यंजन
और कन्या हमारी
रील पे रील बनाए।।

बिरयानी थी गरमा- गरम,
रायता भी था तैयार,

पर हुकुम था सेल्फी पहले
फिर सुनना पेट की पुकार ।।

मासी ..कटोरी थोड़ा पास में लाओ ।
मम्मी.. चम्मच थोड़ा और ऊपर उठाओ ।
चम्मच को फिर हौले से
यूं होठों पर
नजाकत से सजाओ...।

फिर से चालू
वही बयालीस
क्लिक- क्लिक, क्लिक- क्लिक, क्लिक- क्लिक,
क्लिक- क्लिक
फिल्टर बदलते साठ।।

पेट में हो - हल्ला मचाते चूहे,
पर उनकी क्या ही थी बिसात ।।

होने लगा भोजन ठंडा ,
घी जमने लगा सारा।

पर मैडम की सेल्फी नैया को
ना मिलता था किनारा।।

मुन्ने बेचारे ने चुपके से
उठाया ज्यों
इक निवाला

मूड बिगड़ा देवी जी का
बरसाए आंखों से ज्वाला।।

ज्वालामयी माता फिर रो पड़ी
हे भगवान!! अब क्या होगा ?
लाइक और कमेंट ना मिले
तो हाल बड़ा बुरा होगा।।

फाइनल सेल्फी के चक्कर में होता बरबाद खाना

बेबस पड़े थे थाली-चम्मच
और हमें पड़ा लार टपकाना।।

कभी व्यंजनों को तो कभी
एक -दूजे को
देखते हम भूखे बेचारे ...

पर बोले मुन्नी -
"वायरल होने को लगेगी मेहनत प्यारे"।।

तभी अचानक...

इक हादसा हुआ
बेसाख्ता ....
हवा में लहराता ....
सनसनाता .....

एक झापड़ आया झट से
छू के गुजरा कन्या के गालों को
आवाज आई चट से ।।

ये ले!!
एक लाइक मेरी तरफ से...
दीदी बोली झट से..।

मुंह खोले बैठा मुन्ना
लिए हाथ में एक कौर,
खाना है या रुकना है !!

अजी
बड़ा हिंसात्मक था वो दौर ।

फोन रख के फिर साइड में
मुन्नी गालों को सहलाए ।
दुविधा भारी जो आन पड़ी थी
इक चांटे ने दिया निपटाए।।

बगल में बैठा मुन्ना और मैं
तकते एक दूसरे को
रोना था या हंसना था
चुनना बड़ा मुश्किल था हमको ।।

जोड़ लिए फिर हाथ हमने
लिया प्रभु का नाम ।

पूर्ण समर्पित होकर हमने
मां के चांटे को
सादर किया प्रणाम

तो भई!!
आगे फिर बड़े सुकून से
हमने अपने
सुस्वादु भोजन को निपटाया

मन ही मन में बोल पड़ी मैं-
ओ मुरली वाले !!
क्या सेल्फी लेना भी
है तेरी एक माया....????

(माया एंजिलो की कविता का हिंदी रूपान्तरण)

मैं आगे बढ़ती हूँ ....

डॉ कल्पना वर्मा
वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), तेलंगाना

तुम मुझे इतिहास के पृष्ठों पर,
अपने कटु, कुटिल असत्य से,
मेरा विश्लेषण कर सकते हो,
तुम मुझे धूल में मिलाकर,
नष्ट कर सकते हो,
पर फिर भी मैं,
उन धूल के कणों की भांति,
आगे बढ़ती हूँ।

क्या मेरी वाक्पटुता
तुम्हें परेशान करती है?
क्यों तुम मुझे देख,
घुट-घुटकर मरते हो?
क्योंकि मैं अपनी शर्तों पर
जीवन का आनंद लेती हूँ,
क्योंकि मेरे जीवन से,
रौशन सारा संसार है।

चाँद की भांति, सूरज की भांति,
और ज्वार-भाटा के वेग की भांति,
मेरी आशाएँ भी ऊँची उठती हैं,
और मैं आगे बढ़ती हूँ।

क्या तुम मुझे बिखरते
हुए देखना चाहते हो?
झुके हुए सर और नम आँखों
से बरसते पानी को?
मेरी शक्तियों को
क्षीण होते हुए?
मेरी आत्मा को झंझोड़ते हुए?

क्या मेरा अभिमान
तुम्हारे हृदय पर शूल सा चुभता है?
क्या मेरा स्वाभिमान
तुम्हें किसी शर्त पर कुबूल नहीं है?
तुम मुझे अपने शब्दों
से मार सकते हो,
पर फिर भी चंचल पवन की तरह,
मैं आगे बढ़ती हूँ।

ऐतिहासिक लज्जा के घरौंदों
के बाहर, मैं आगे बढ़ती हूँ,
दर्दनाक अतीत के किस्सों
के बाहर, मैं आगे बढ़ती हूँ,
मेरे पुरखों की धरोहर सँजोकर,
अपनी आशाओं और सपनों के मध्य,
मैं आगे बढ़ती हूँ,
मैं आगे बढ़ती हूँ,
मैं आगे बढ़ती हूँ।

आप — अब एक स्मृति

नमिता सिंह
(कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली

कुछ रिश्ते कभी नहीं खत्म होते,
वे रहते हैं स्मृति में
वह जुड़े होते एहसास से,
आत्मीय भावनाओं से।।
इंसान चला जाए,
पर उसका प्यार हमेशा साथ रहता है।
आज जब यह कविता लिख रही हूँ,
तो लगता है आप सामने हैं—
बिना कुछ कहे, शांत-सी मुस्कान लिए।।

अब आप नहीं हैं,
पर आपकी मौजूदगी
हर दिन महसूस होती है—
कभी किसी बात में,
कभी किसी आदत में,
जब ज़िंदगी भारी लगती है,
तो आपकी याद
सहारा बन जाती है।
ऐसा लगता है जैसे आप कह रहे हों—
"मैं यहीं हूँ, लेकिन
अब आप नही हैं,
पर आपका प्यार है।
मेरे एहसास में
मेरी कविता में,
कविता की हर लाइन में,
और हर शब्द में
मेरे स्मृति में,
महसूस होता है मुझे कि
आप हैं यहीं कहीं
मेरे आस पास|
सच में कुछ रिश्ते कभी नहीं खत्म होते,
वे रहते हैं स्मृति में
उनकी चुप्पी में भी
हमारे लिए फ़िक्र थी,
जब आँसू चुपके से गिरते हैं,
तो उनकी याद
आँचल भिगो जाती है।
जो चला गया,
वह गया नहीं होता—
वह स्मृति बनकर
हमारे भीतर बस जाता है।
कुछ रिश्ते
शरीर से नहीं,
आत्मा से जुड़े होते हैं।
इसलिए दूरी
उन्हें अलग नहीं कर पाती।
मृत्यु केवल शरीर अलग करती है
नज़रों से ओझल करती है,
कभी नही कर सकती हृदय से अलग।
प्यार कभी विदा नहीं लेता,
वह तो
साथ चलने का वादा निभाता है।
आज भी जब
आसमान की ओर देखती हूँ,
तो लगता है
जैसे आप देख रहे हैं—
बिना बोले,
एहसास करा रहा हो साथ होने का।
कुछ रिश्ते कभी नहीं खत्म होते,
वे रहते हैं स्मृति में
वह जुड़े होते एहसास से,
आत्मीय भावनाओं से।।

गुप्त काल के स्वर्ण युग की स्वर्ण धरा "पटना"

नीतीश कुमार
पदनाम- लेखाकार
प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार पटना।

हे कुसुमपुर, हे पाटलिपुत्र और हे पटना इस धरा पर तेरी एक अनोखी पहचान है |

हे गुप्त काल के स्वर्ण युग की स्वर्ण धरा तुझे मेरा अनंत बार प्रणाम है |

हे वीर भूमि, हे ज्ञान भूमि, हे संस्कृति भूमि तुमने वीरों और विद्वानो को जना है,

तेरी धरती अशोक, चाणक्य, गुरु गोविंद सिंह, विक्रमादित्य, कालीदास जैसे हीरे से सना है |

फ़ाहयान और हवेनसांग ने भी तेरी खूबसूरती और व्यवस्था का खूब बखान किया है |

अपने द्वारा लिखे लेखों मे तुम्हारा वंदन, अभिनंदन और गान किया है |

इस पावन देश के इतिहास और संस्कृति मे तेरी अलग ही आन-बान और शान है |

हे कुसुमपुर, हे पाटलिपुत्र और हे पटना इस धरा पर तेरी एक अनोखी पहचान है |

हे गुप्त काल के स्वर्ण युग की स्वर्ण धरा तुझे मेरा अनंत बार प्रणाम है |

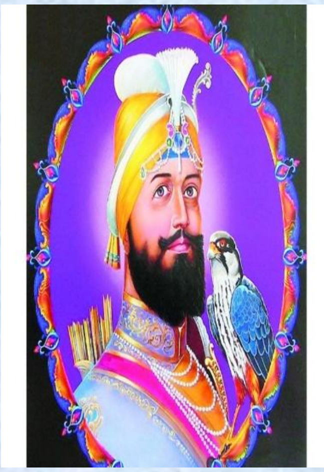

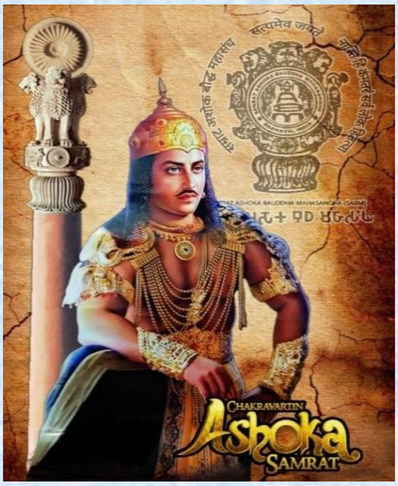

देश के स्वतंत्रता संघर्ष मे भी तेरी भूमि ने क्या गज़ब सक्रिय भूमिका निभाई थी |

सिन्हा जी का वो घर पटना का, जहां गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद ने आजादी की रणनीति बनाई थी |

भारत छोड़ो आंदोलन सन 1942 मे सचिवालय पर युवाओं ने यही अपनी जान गवाई थी |

भारत माँ की आजादी संग्राम मे भी तेरा एक अतुलनीय अमिट योगदान है |

हे कुसुमपुर, हे पाटलिपुत्र और हे पटना इस धरा पर तेरी एक अनोखी पहचान है |

हे गुप्त काल के स्वर्ण युग की स्वर्ण धरा तुझे मेरा अनंत बार प्रणाम है |

ज्ञान का दीप जले जहां और जहां बुद्ध का ध्यान है |

आर्यभट्ट जन्मे जहां और जहां जन्मे अशोक महान है |

जहां आजादी का बांकीपुर मैदान आज का गांधी मैदान है |
इस देश की धरा पर बिहार अगर जीवन है तो तुम उसकी जान है |
हे कुसुमपुर, हे पाटलिपुत्र और हे पटना इस धरा पर तेरी एक अनोखी पहचान है |
हे गुप्त काल के स्वर्ण युग की स्वर्ण धरा तुझे मेरा अनंत बार प्रणाम है |
गंगा सोन का संगम जहां और जहां सोंधी मिट्टी की सुवास है,
जहां लोगो के संस्कृति प्रेम और मिट्टी से जुड़े रहने का भाव है
सम्पूर्ण भारत देश यदि वट वृक्ष है तो पटना उसकी ठंडी छांव है
देश के इतिहास मे तुझे ढूँढे बिना आज भी अधूरा यह हिंदुस्तान है |
हे कुसुमपुर, हे पाटलिपुत्र और हे पटना इस धरा पर तेरी एक अनोखी पहचान है |
हे गुप्त काल के स्वर्ण युग की स्वर्ण धरा तुझे मेरा अनंत बार प्रणाम है |

पुण्य उपहार

बृजेश्वर प्रसाद त्रिपाठी
वरिष्ठ प्रशा0 अधिकारी,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय,
नई दिल्ली

बन सुमन, जग-चमन में महकते रहोI
सजा स्मित अधर, नित चहकते रहोII---------------------------------1
जिन्दगी, ईश का पुण्य उपहार हैI
दीप बनकर, धरा में चमकते रहोII----------------------------------2
मधुर वाणी, हृदयतल जो शीतल करेI
मीत, निज मन बना, संवरते रहोII-----------------------------------3
ओज का डोज़, तन-मन में, अविरल बहेI
कीर्ति, जय-नभ बढ़ाने, मचलते रहोII---------------------------------4
प्रेम ही प्रेम है, सार, संसार मेंI
प्रेम-संगीत, धुन में, मटकते रहोII----------------------------------5
कब, कहाँ छोर हो, चल रही जिन्दगी काI
नर से नारायण, पग-पग, संभलते रहोII-----------------------------6
भाव, स्वभाव, सौम्यता-सरलता लिएI
पर-पीड़ा शमन को, पिघलते रहोII---------------------------------7
आपदा, चिन्ता, जंजाल, सब काल हैंI
भस्म करने को, पावक दहकते रहोII-------------------------------8
काम का नाम, यशगान चहुं ओर होI
सिंधु-संकल्प, मुदित मन, उमड़ते रहोII----------------------------9
ईश-आशीष, जीवन-सफर संग चलेI
प्रभु का संबल, जकड़कर पकड़ते रहोII---------------------------10

बन सुमन, जग-चमन में महकते रहोI
सजा स्मित अधर, नित चहकते रहोII

मित्रता

अंशुल पंत
वरिष्ठ लेखाकार,
महालेखाकार कार्यालय (ले व ह) – 1, मुंबई , महाराष्ट्र

उम्र बीत जाती है जीते जीते
कुछ अनसुलझे रिश्तों को सीते।
एक रिश्ते की है खास पवित्रता
वो है मेरी तुम से मित्रता ।।

कुछ मां से कहते कुछ पिता से कहते
फिर द्रवित हृदय के भाव तुम पर बहते।
सच्चा दिल हो बस यही थी पात्रता
ऐसे हो जाती थी हमारी मित्रता।।

दुख में कभी हम, कभी तुम रोते
संघर्ष कर एक बेहतर कल को बोते।
हर हाल में निभाया जाता ये रिश्ता
जो है मेरी तुम से मित्रता ।।

कभी रूठते कभी झगड़ते
फिर भी आपसी रिश्ते न बिगड़ते1
क्यूंकि स्वार्थ की है यहां शून्यता
ये है मेरी तुम से मित्रता।।

जीवन पथ पर चलते चलते
कई मिलते और कई बिछड़ते।
प्रेम बांटते हम, ना करते शत्रुता
सच्चे रिश्ते का रूप है मित्रता ।।

यही प्रार्थना ईश्वर से है करते
मित्र प्रेम आपस में खूब पनपे
अंत समय तक भी ना हो संतृप्तता
ऐसी बनी रहे हमारी मित्रता ।।

लड़के भी रोते हैं

संदीप
कनिष्ठ अनुवाद अधिकारी
सीएजी मुख्यालय, नई दिल्ली

कहते हैं सब बेपरवाह उनको,
कि चद्दर तान कर सोते हैं।
पर ऐसा नहीं है साहब,
लड़के भी रोते हैं।

लड़ते हैं भाई बहन से,
मारपीट तक भी होते हैं।
लेकिन होते हैं जब जुदा एक दूसरे से,
दुखी वो भी दिल से होते हैं।

देखते हैं जब वो मां को दुखी,
तो दुखी वो भी होते हैं।
बचपन में ही ले लेते हैं जिम्मेदारी,
कहा चैन से वो सोते हैं।

बहन से करते हैं बहुत प्यार,
मां के बहुत दुलारे होते हैं।
दे देते हैं सारे खिलौने बहन को,
जो उसे खुद भी बहुत प्रिय होते हैं।

छोटे भाई को रखते हैं मजे में,
भले ही वो खुद दुखी होते हैं।
पड़ती है जब कोई मुसीबत उस पर,
हमेशा वो उनके साथ होते हैं।

बापू का करते हैं वो आदर,
उनके लिए वो देव तुल्य होते हैं।
कंधे से कंधा हैं मिलाते,
हर काम में साथ बापू के होते हैं।

जब होती हैं बहन युवा ,
तो कहां चैन से वो सोते हैं।
करके विदाई बहन की शादी में,
अकेले में वो भी रोते हैं।

जाते हैं जब नौकरी के लिए,
तो वो अकेले ही होते हैं।
यार दोस्त और गलियां आंगन,
सबको ही तो वो खोते हैं।

गीली सूखी कच्ची पक्की,
खाकर भी वो मस्त होते हैं।
घरवालों को कहते हैं खुश हूं मैं,
भले ही वो दुखी होते हैं।

बनाते हैं घर परिवार के लिए,
खुद एक कमरे में सोते हैं।
कितना भी कर ले सबके लिए,
लड़कों को तो फिर भी कोसा जाता है।

कभी कहा जाता है निठल्ला उनको,
कभी बेरोजगारी का ताना परोसा जाता है।
कोई नहीं सोचता कि वो भी इंसान है,
भगवान से थोड़ी ना मिले होते हैं।

कभी पिसते हैं गृह कलेश में,
कभी समाज से पीड़ित होते हैं।
कभी-कभी थोड़ा बहुत पाने की चाह में,
बहुत कुछ वो खोते हैं।

बचपन से लेकर बुढापे तक,
अपनी जिम्मेदारियां वो निभाते हैं।
करते हैं भागदौड़ जीवन भर,
लेकिन सुकुन कहां वो पाते हैं।

सपनों की गठरी कंधों पर
लेकर घर से निकलते हैं।
अपने अरमानों को अक्सर,
हालातों में ही कुचलते हैं।

चेहरे पर मुस्कान सजाकर,
दर्द सभी से छुपाते हैं।
पूछे कोई "कैसे हो?" तो,
"सब अच्छा है" बतलाते हैं।

जब जेब में पैसे कम हों,
फिर भी घर को भेजते हैं।
अपनी छोटी-छोटी खुशियों को,
परिवार पर ही बेचते हैं।

पिता की बढ़ती उम्र देखकर,
मन ही मन घबराते हैं।
माँ की आँखों की नमी को,
हँसकर दूर भगाते हैं।

दुनिया कहती है मजबूत बनो,
कमज़ोरी मत दिखलाना।
पर दिल के बोझ तले दबकर,
कितना मुश्किल है मुस्कुराना।

प्रेम करें तो पूरी शिद्दत से,
अपना सब कुछ दे जाते हैं।
टूटे दिल के टुकड़ों को भी,
अकेले ही सहलाते हैं।

रातों को जाग-जागकर अक्सर,
कल की चिंता करते हैं।
अपने से पहले अपनों के लिए,
हर दिन सपने बुनते हैं।

कुछ जीतों के पीछे भागते,
कुछ हारों से लड़ते हैं।
जीवन की इस कठिन डगर पर,
हर पल खुद को गढ़ते हैं।

जब थक जाते हैं जिम्मेदारियों से,
फिर भी कदम न रुकते हैं।
क्योंकि उनके रुक जाने से,
कई घरों के चूल्हे बुझते हैं।

नायक नहीं, इंसान हैं वो,
बस इतना समझ लिया जाए।
उनके आँसुओं को भी कभी,
थोड़ा सम्मान दिया जाए।

क्योंकि सीने में उनके भी,
एक नाज़ुक-सा दिल होता है।
दुनिया चाहे कुछ भी कहे,
लड़का भी आखिर इंसान होता है।

दर्द छुपाकर जी लेते है,
फिर भी हर रिश्ता ढोते हैं।
सबको लगता है पत्थर होगे,
पर लड़के भी रोते हैं।

“पिता: हर पल हर कदम साथ”

सुमन
सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी
एनडबल्यूआर कार्यालय जयपुर

जीवनचक्र की निरंतरता को बनाए रखने के लिए मनुष्य एवं जीव-जंतु इस संसार में आते हैं एवं संसार से जाते हैं | मर्म एवं पीड़ा की स्थिति परिवार वालों को झेलनी पड़ती है | हाल ही में मेरे ससुर स्वर्गवासी हो गए | शोक अथाह है, अकथनीय है | घर के व्यक्तियों की शोकाकुल स्थिति को व्यक्त करने के लिए कुछ शब्दों का सहारा लेकर कविता का रूप देना चाहा है, कविता पापा को समर्पित है |

बेटी...

पापा, आपकी लाडली सब काम करती है,

आपके कहे बिना कहाँ... आराम करती है,

आशीर्वाद लेने को जब सिर झुकाती है,

आसमान फटता है, धरती दरकती है |

माँ...

माँ बेटे का इस जग में अनमोल नाता है,

अनशन पर बैठी है, उसे कुछ नहीं भाता है,

माँ के जीते-जी, बेटा चला जाए...,

उस माँ को जीने में मजा क्या.... आता है |

पत्नी....

किस घर जाके सोए हो, इक बार आ जाते, सात फेरों के बंधन को पार लगा जाते,

हँसते हुए चेहरे को इक बार दिखा जाते,

अदृश्य शक्ति को इक बार हरा जाते |

पुत्रवधू...

आँखों से बरखा झर-झर बरसती है,

नींद के लिए पलकें तरसती हैं,

आपकी हंसी की खुशबू से हवेली महकती थी,

आपके चले जाने पर साँसे सहमती हैं |

पुत्र.....

पार ना कर पाऊं यादों की दहलीज,

याद सदा रखूँ आपकी सिखाई हर तहजीब,

अपने जिगर के टुकड़े को पहना गए हो आप,

निभाने को अनगिनत जिम्मेदारियों का ताबीज |

पौत्र.....

आपका नन्हा सितारा नादान है अब तक,

दुनिया की हर रस्म से अनजान है अब तक,

उसको सेवा करने का एक मौक़ा.... तो देते,

उसकी नजरों में आपके अनकहे शब्दों का सम्मान है अब तक |

प्रेरक प्रसंग

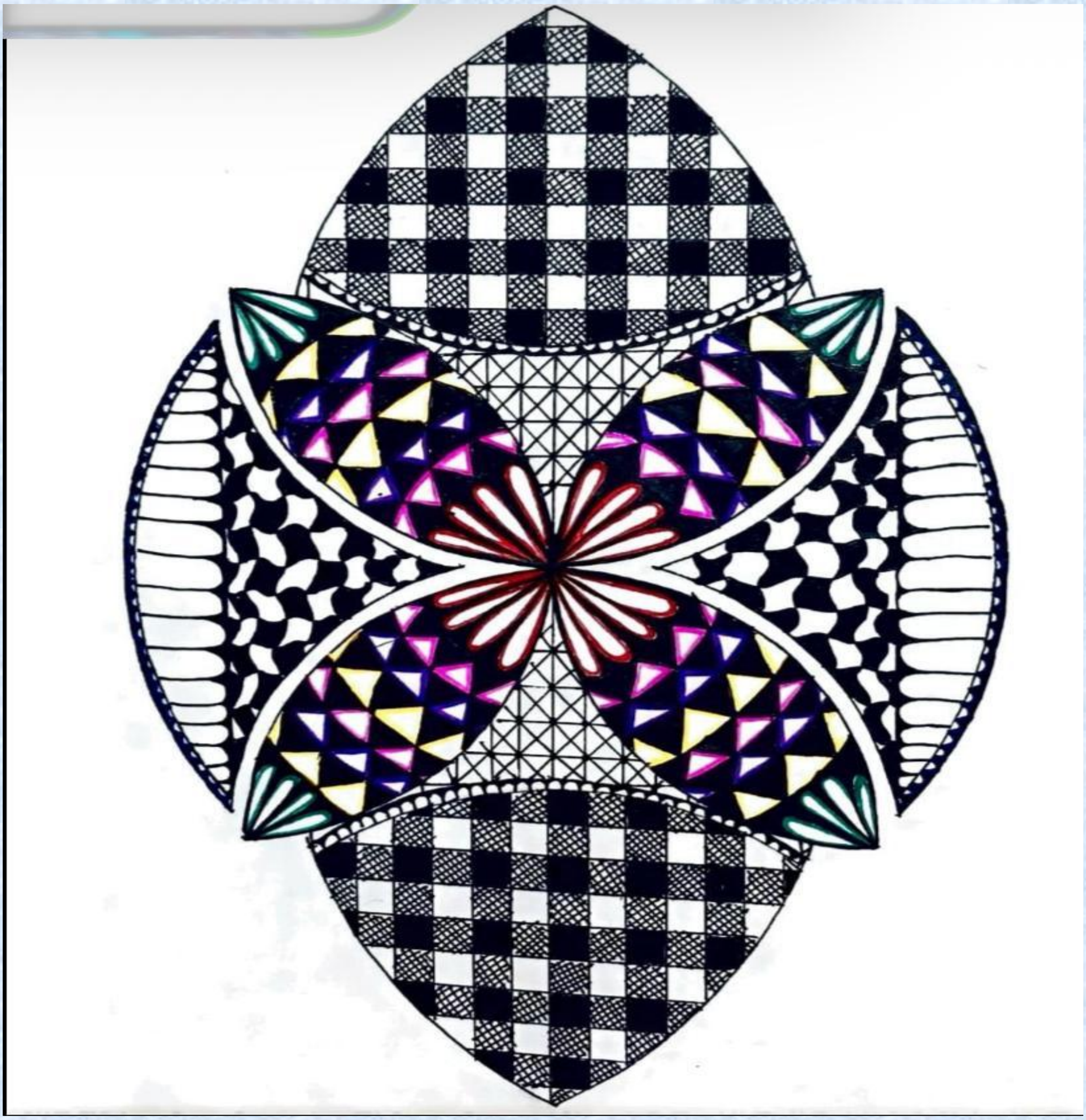

मंडला कला

घमंड और साधना

लेखापरीक्षा डेस्क से

सन्त कबीर गाँव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। सन्त कबीर जी का रोज का नियम था- नदी में स्नान करके गाँव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वह अपने नित्य नियम से गाँव में निकले थे।

पास के गाँव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था जो रात को अचानक मर गया। रात भर रोना-धोना चला। आखिर में किसी ने सुझाया कि गाँव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो। शायद वह कुछ कर दें। सब तैयार हो गए। लाश को लेकर पहुँचे कुटिया पर। देखा बाबा तो हैं नहीं, अब क्या करें? तभी कमाल आ गए। उनसे पूछा कि बाबा कब तक आएँगे? कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र हो गई है। सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते-लौटते रात हो जाती है। आप काम बोलो क्या है? लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था पर ये तो मर गया है। अब क्या करें ! फिर भी सोचा लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया, लाश की तीन परिक्रमा की, फिर तीन बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और तीन बार राम नाम का उच्चारण किया, लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा न रही।

कबीर जी को किसी ने बताया कि आपके कुटिया की ओर गाँव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे, उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते-कूदते मिले, कबीर जी कुछ समझ नही पाए। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई? तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा, बोला- गुरु जी बहुत दिन से आप बोल रहे थे ना की तीर्थ यात्रा पर जाना है तो अब आप जाओ यहाँ तो मैं सब सँभाल लूँगा। कबीर जी ने पूछा क्या संभाल लेगा? कमाल बोला- बस यही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं ही कर लूँगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ जब तक आप की इच्छा हो।

कबीर ने मन ही मन सोचा- चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है पर सिद्धि के साथ ही साथ इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसका ही इलाज करना पडेगा बाद मे तीर्थ यात्रा होगी क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा ठीक है। आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर निकल जाऊँगा यात्रा पर। तब तक तुम आस-पास के दो चार सन्तो को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ, भजन में आने का निमंत्रण भी देना। कबीर जी ने चिट्ठी मे लिखा था-

"कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब।"

कमाल चिट्ठी लेकर गया एक सन्त के पास, उनको चिट्ठी दी, चिट्ठी पढ़ के वह समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ? कमाल ने अहं के साथ बताया- कुछ नहीं, गुरू जी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कर ही लेता हूँ तो मैने उन्हें कहा कि अब आप जाओ यात्रा कर आओ, तो वह जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है। सन्त दोहे का अर्थ समझ

गए, उन्होंने कमाल से पूछा- तुम क्या-क्या कर लेते हो ? तो बोला वही मरे को जिंदा करना बीमार को ठीक करना जैसे काम।

सन्त जी ने कहा आज रूको और शाम को यहाँ भी थोडा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गाँव में खबर करा दी, थोडी देर में दो तीन सौ लोगों की लाईन लग गई। सब नाना प्रकार की बीमारी वाले, सन्त जी ने कमाल से कहा- चलो इन सबकी बीमारी को ठीक कर दो। कमाल तो देख के चौंक गया ! अरे, इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को कैसे ठीक करूँ, यह मेरे बस का नहीं है। सन्त जी ने कहा- कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो। सन्त जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींट दिया, एक लाईन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए, फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा वे भी ठीक। बस दो बार जल के छींटे मार कर दो बार राम बोला तो सभी ठीक हो के चले गए। सन्त जी ने कहा- अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे, पास के गाँव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ फिर सभी इक्ठे होकर चलते हैं भजन में।

कमाल चल दिया सूरदास जी को बुलाने। सारे रास्ते सोचता रहा कि ये कैसे हुआ कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने तीन बार प्रदक्षिणा की, तीन बार गंगा जल छिड़क कर तीन बार राम नाम लिया तब बात बनी।

यही सोचते-सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुँच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास बोले- "बेटा! जल्दी से दौड के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा ले।"

कमाल दौड के गया, टेकरी पर से देखा नदी में एक लड़का बहा आ रहा था, कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकाल कर अपनी पीठ जी लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते-चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिख गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लडके को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था।

सूरदास ने जल का छींटा मारा और बोला- “रा”, तब तक लडका उठ के चल दिया। अब तो कमाल अचंभित कि अरे इन्हें तो पूरा राम भी नहीं बोला, खाली 'रा' बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी की इसमें क्या लिखा है जब उसने पढ़ा तो सब समझ मे आ गया।

वापस आ के कबीर जी से बोला गुरु जी संसार मे एक से एक सिद्ध हैं उनके आगे मैं कुछ नहीं हूँ। गुरु जी आप तो यहीं रहिए, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है।

कथा का तात्पर्य है कि गुरू की कृपा से सिद्धियाँ मिलती हैं। उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरू, गुरू ही रहेंगे, वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं।

जब पाप मानने से बजा घंटा

काशी के विश्वनाथ मंदिर में एक घंटा था जो सौ साल से नहीं बजा था, क्योंकि उसे बजाने के लिए पाप रहित हाथ चाहिए था।

औरंगजेब के समय में जब मंदिर टूटा, तब पुजारियों ने एक बड़ा पीतल का घंटा कुएँ में छिपा दिया। जब अहिल्याबाई ने मंदिर फिर बनवाया तो घंटा निकाला गया। महंत ने उस पर संस्कृत में खुदवाया, यह घंटा वही बजाए जिसके मन में चोरी, झूठ और हिंसा न हो।

लोग आए, राजा आए, साधु आए सबने रस्सी खींची। घंटा हिला तक नहीं। धीरे-धीरे लोगों ने कोशिश छोड़ दी। घंटा मंदिर के कोने में लटकता रहा, धूल जमती रही। बच्चे पूछते, बाबा यह बजता क्यों नहीं। पुजारी कहते, पाप रहित हाथ अब कलियुग में कहाँ।

एक बार माघ की अमावस्या को काशी में भारी भीड़ थी। उसी रात गाजीपुर से माधो नाम का एक चोर काशी आया। वह पंद्रह साल से चोरी करता था। पहले मजबूरी में, फिर आदतन। उस रात उसने सोचा, विश्वनाथ के दर्शन करने वालों की भीड़ में किसी सेठ की थैली मिल जाएगी।

वह घाट पर नहाया भी नहीं, सीधे मंदिर की गली में घुसा। भीड़ में धक्का लगा, एक बूढ़ा गिर पड़ा। माधो ने उसे उठाया। बूढ़े की लाठी टूट गई। माधो ने अपनी धोती फाड़कर लाठी बाँध दी। बूढ़ा बोला, भगवान तुम्हारा भला करे।

मंदिर में आरती हो रही थी। पुजारी ने कहा, आज कोई पाप रहित है तो घंटा बजाकर दिखाए। माधो कोने में खड़ा था। उसने सोचा, मैं तो पापी हूँ, पर घंटा देखूँ तो सही। वह धीरे-धीरे घंटे के पास गया। रस्सी पर हाथ रखा। तभी पीछे से एक आवाज आई, मत छू। वह मुड़ा, देखा एक सात साल की लड़की, मैली फ्रॉक, हाथ में मिट्टी का दिया।

लड़की बोली, तुमसे नहीं बजेगा। माधो बोला, तू कौन है। लड़की बोली, मैं गंगा किनारे फूल बेचती हूँ। माँ बीमार है। आज दिया चढ़ाने आई हूँ। पंडित जी ने कहा था घंटा पापी से नहीं बजता। माधो ने पूछा, तू पापी है ? लड़की हँसी, मैंने कल एक बेर चुराकर खा लिया था।

माधो का हाथ रुक गया। उसने पहली बार किसी को अपने जैसा देखा। आरती खत्म हुई। लड़की ने दिया जलाकर शिवलिंग के पास रखा, फिर लौटकर बोली, तुमने उस बूढ़े को उठाया था। माधो चौंका, तू वहाँ थी ? लड़की बोली, हाँ तुम चोर हो न ! माधो ने सिर झुका लिया। लड़की ने उसकी हथेली पकड़ी और कहा, चलो दोनों खींचते हैं। पाप आधा-आधा बँट जाएगा। माधो हँसा, फिर भी उसने लड़की का हाथ पकड़ लिया। दोनों ने मिलकर रस्सी खींची। पहले कुछ नहीं हुआ। फिर घंटा हल्का सा हिला। दूसरी बार खींचा, एक धीमी गूँज निकली, टन। तीसरी बार दोनों ने पूरी ताकत लगाई। सौ साल बाद काशी का वह घंटा बजा। आवाज ऐसी गूँजी कि कबूतर उड़ गए, पुजारी

थाली छोड़कर दौड़े, भीड़ रुक गई। पुजारी चिल्लाया, किसने बजाया। माधो डर कर भागने लगा। लड़की ने उसका कुर्ता पकड़ लिया, बोली भागो मत।

पुजारी ने देखा, एक चोर और एक फूलवाली। वह बोला, असंभव। तुम दोनों पापी हो। माधो ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं चोर हूँ। मैंने जीवन में सैकड़ों जेबें काटीं। आज भी चोरी करने आया था। पर इस बच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा। इसने कहा पाप बाँट लेते हैं। मैंने सोचा, अगर पाप बाँट सकते हैं तो शायद पुण्य भी। लड़की बोली, मैंने बेर चुराया था। पुजारी चुप रहा। महंत आए। उन्होंने घंटा देखा, रस्सी देखी। बोले, सौ साल में पहली बार बजा है। शास्त्र कहता है पाप रहित हाथ चाहिए। इसका अर्थ तुमने गलत समझा। लोगों ने पूछा, क्या अर्थ है। महंत बोले, पाप रहित का अर्थ निष्पाप होना नहीं, अपने पाप को जानना है। जो अपने पाप को छिपाता है, उसका हाथ भारी होता है। जो कहता है मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा करो, उसका हाथ हल्का हो जाता है। आज इस घंटे को दो हल्के हाथों ने छुआ है, एक ने चोरी मानी, एक ने बेर चुराना माना।

घंटा रोज बजने लगा। उस रात के बाद महंत ने नियम बदल दिया। अब आरती से पहले पुजारी कहता, जिसने आज कोई भूल की हो, आए और घंटा बजाए। पहले दिन कोई नहीं आया। दूसरे दिन एक हलवाई आया, बोला मैंने घी में मिलावट की। उसने रस्सी खींची, घंटा बजा। फिर एक छात्र आया, बोला मैंने माँ से झूठ बोला। घंटा बजा।

माधो ने चोरी छोड़ दी। वह गंगा किनारे नाव चलाने लगा। लड़की का नाम गौरी था। माधो ने उसकी माँ का इलाज कराया। गौरी अब फूल नहीं बेचती, मंदिर में दिया जलाती है।

लोग पूछते हैं, घंटा अब रोज कैसे बजता है। पुजारी हँसकर कहता है, क्योंकि काशी में अब लोग पाप छिपाते नहीं, मान लेते हैं। सौ साल का मौन इसलिए नहीं था कि दुनिया में कोई पवित्र नहीं था। मौन इसलिए था कि सब खुद को पवित्र समझते थे।

जिस दिन हम अपने भीतर की चोरी स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन हमारे हाथ भी घंटा बजा सकते हैं। और काशी का वह घंटा आज भी बजता है, हर शाम, किसी न किसी हल्के हाथ से।

मुख्यालय समाचार

मंडला कला

3 मार्च, 2026 नई दिल्ली

स्थानीय निकायों के खातों की परिपक्वता बढ़ाने को प्राथमिकता दी जाएगी: के संजय मूर्ति

शहरी स्थानीय निकायों के परिसंपत्ति प्रबंधन और परिचालन दक्षता का आकलन काफी हद तक उनके खातों की परिपक्वता और उनकी तैयारी पर निर्भर करता है। यह बात भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री के. संजय मूर्ति ने कल यहां स्थानीय सरकारों में जवाबदेही और पारदर्शिता को मजबूत करने के लिए आयोजित राज्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही।आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के संबंध में सीएजी ने कहा, "शहर वित्त पोर्टल के माध्यम से खातों की तैयारी में पारदर्शिता और स्पष्टता लाने में महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, जहां सभी स्थानीय निकायों के खाते अपलोड किए जा रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "इसी आधार पर, मेरा मानना है कि सीएजी की प्राथमिकता तैयार किए गए इन खातों की परिपक्वता का आकलन करना होगा और एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के लगभग 700 खातों का विश्लेषण किया गया है।" तैयार किए गए इन खातों की गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं और सीएजी ने दोहराया कि भविष्य में बेहतर गुणवत्ता वाले खाते तैयार करने में राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करना जारी रहेगा।

श्री मूर्ति ने कहा कि 16वें वित्त आयोग के अनुदानों में दो गुना से अधिक की वृद्धि हुई है और शहरी चुनौती कोष नामक एक विशेष योजना में ही चार लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश की क्षमता है जिसका लाभ उठाया जा सकता है। प्रत्येक राज्य स्थानीय निकायों को अनुदान देने के लिए अपनी-अपनी प्रक्रिया का पालन करता है, इसलिए इन हस्तांतरणों की रिपोर्टिंग में अपेक्षित एकरूपता नहीं होती है। वित्त आयोग-16 की अनुदान अवधि के दौरान यह और भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि इसने सिफारिश की है कि अनुदान का 10% राज्यों द्वारा अपने संसाधनों से स्थानीय निकायों को वित्त आयोग-16 द्वारा अनुशंसित मूल अनुदान के 20% के बराबर कम से कम राशि हस्तांतरित करने से जोड़ा जाए। श्री मूर्ति ने वित्त आयोग के इस विचार से भी सहमति व्यक्त की कि सीएजी अनुदानों की रिपोर्टिंग को एकसमान और पारदर्शी तरीके से कर सकता है।

राज्यों द्वारा अपने स्थानीय निकायों को दी गई जानकारी से बहुमूल्य सूचना प्राप्त होगी और साथ ही इस शर्त का उचित कार्यान्वयन भी संभव हो सकेगा। अपनी सिफारिशों में, एफसी-16 ने स्थानीय निकायों के समय पर और सटीक लेखा-जोखा और लेखापरीक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला है। इसने ई-ग्राम स्वराज जैसी सहायक प्रणालियों

द्वारा निभाई गई भूमिका को मान्यता दी है और लेखा-सूचना चार्ट के मानचित्रण जैसे प्रयासों का उल्लेख किया है। श्री मूर्ति ने आगे एफसी-16वां की राय साझा की। सीएजी की सक्रिय भागीदारी समयबद्धता सुनिश्चित करने और सीएजी द्वारा लेखा-जोखा और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने में अत्यंत सहायक होगी।

श्री मूर्ति ने कहा कि इस यात्रा में हमने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को दो तरीकों से संबोधित करने के लिए अपनी क्षमताएं भी विकसित की हैं। शहरों के वित्तीय विवरणों की जांच करने वाले वाणिज्यिक विभाग को अगले 4-5 वर्षों में दोगुना किया जाएगा और दूसरे, नए वित्तीय उत्पादों की जांच करने के लिए भी उनकी क्षमताओं को बढ़ाया जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय के सचिव श्री विवेक भारद्वाज ने दोपहर के सत्र को संबोधित करते हुए सीएजी को न केवल इस सम्मेलन के आयोजन के लिए बल्कि ई-ग्रामस्वराज और ऑडिट ऑनलाइन के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में लेखा-जोखा तैयार करने को मात्र आधा कदम मानने के लिए भी धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में सभी कमियों को उजागर करना ही सार्थक होगा। उन्होंने आगे कहा कि विभाग ने पिछले कुछ महीनों में कई विचार-विमर्श किए हैं और सीएजी के समर्थन के लिए अत्यंत आभारी है, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाएं आदर्श ग्राम पंचायत का उदाहरण बन सकी हैं। यह तभी संभव है जब जनता के प्रति जवाबदेही तय की जाए, उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए और ऐसे खाते रखे जाएं जिनसे बैंकों द्वारा ऋण लिया जा सके।

इस अवसर पर बोलते हुए आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव सुश्री डी. थारा ने सीएजी से न केवल लेखापरीक्षा करने बल्कि खातों की बेहतर तैयारी में सहायता करने का भी आग्रह किया। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों की नागरिक केंद्रित लेखापरीक्षा का भी सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि शहरी परिदृश्य में 5000 शहर हैं। जब आपको इतने बड़े पैमाने पर किसी कार्य को संभालना हो, विशेष रूप से जब 5000 शहर समान रूप से वितरित न हों, तो उन्होंने शीर्ष 500 शहरों को उनके खातों में सुधार और लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिकता देने का आग्रह किया।

राज्य सचिवों और नगर आयुक्तों द्वारा देश भर से सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों को भी प्रस्तुत किया गया।

अपने समापन भाषण में उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (एलजीए) श्री मनीष कुमार ने कहा कि हितधारकों से परामर्श भारत के सीए एंड एजी संगठन के कामकाज का केंद्र है और आज सभी हितधारकों के साथ हुई सार्थक चर्चाओं ने हमारे ऑडिट उत्पादों की बेहतर समझ और बेहतर शासन के लिए बेहतर सहयोग सुनिश्चित किया है।

8 मई, 2026

शहरी गतिशीलता पर केंद्रित जीवन की सुगमता पर ब्रिक्स एसएआई नेताओं का शिखर सम्मेलन आज संपन्न हुआ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री के. संजय मूर्ति द्वारा आयोजित 5वां ब्रिक्स सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान नेता शिखर सम्मेलन आज बेंगलुरु में "शहरी गतिशीलता पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीवन की सुगमता" विषय के तहत संपन्न हुआ। इस शिखर सम्मेलन में नौ ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थानों के प्रमुखों सहित अड़तीस प्रतिनिधियों ने शहरी वित्त और गतिशीलता विशेषज्ञों के साथ भाग लिया।

अपने समापन भाषण में सीएजी श्री के. संजय मूर्ति ने इस बात पर जोर दिया कि शहरी गतिशीलता शासन और नागरिकों के बीच सबसे स्पष्ट संबंधों में से एक है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि सार्वजनिक निवेशों की प्रभावशीलता का आकलन अंततः जीवनयापन में सुगमता लाने पर उनके प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए।

इस विषय को सभी प्रतिभागी एसएआई के बीच व्यापक समर्थन मिला, क्योंकि सभी ने शहरी गतिशीलता और जीवन की सुगमता के बीच महत्वपूर्ण संबंध को स्वीकार किया। इस बात पर जोर दिया गया कि गतिशीलता केवल शारीरिक आवागमन तक सीमित नहीं है, बल्कि आजीविका, सेवाओं और अवसरों तक पहुंच को सक्षम बनाना है, जिससे नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता सीधे तौर पर प्रभावित होती है।

ब्राजील, चीन, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, रूस, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात के दक्षिण अफ्रीकी अर्थव्यवस्थाओं (एसएआई) के प्रतिनिधिमंडलों के विचार-विमर्श में ब्रिक्स देशों के बीच दृष्टिकोणों की समानता और विविधता दोनों ही झलकती हैं। चर्चाओं में तीव्र शहरीकरण, भीड़भाड़, पर्यावरणीय तनाव और असमान पहुंच से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रकाश डाला गया, साथ ही इन जटिलताओं से निपटने के लिए विकसित हो रहे दृष्टिकोणों को भी प्रदर्शित किया गया।

ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्यों ने इस मुद्दे के महत्वपूर्ण आयामों को उजागर किया। ब्रिक्स देशों में शहरीकरण के व्यापक पैमाने ने सहयोग और साझा ज्ञान के महत्व को रेखांकित किया। संतुलित और लचीले शहरी विकास, शहरी गतिशीलता को संभालने के लिए प्रणालियों के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने, स्थिरता और जलवायु संबंधी विचारों को एकीकृत करने और प्रभावी परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मजबूत शासन ढांचे की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया। एक महत्वपूर्ण बदलाव प्रभाव-उन्मुख लेखापरीक्षा की ओर रुझान था, जिसमें जीवन की गुणवत्ता और नीति की प्रभावशीलता पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

शिखर सम्मेलन में नीति आयोग के विशिष्ट फेलो श्री ओ पी अग्रवाल ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि परिवहन प्रणालियाँ एकीकृत, समावेशी और नागरिकों के यात्रा करने के तरीके के अनुरूप होनी चाहिए। शहरी परिवहन परिणामों में सुधार के लिए समन्वित योजना, बहुआयामी परिवहन प्रणालियों और मांग के अनुरूप आपूर्ति के महत्व को रेखांकित किया गया।

तकनीकी सत्रों में शहरी गतिशीलता प्रणालियों के ऑडिट में कई सर्वोत्तम पद्धतियों का प्रदर्शन किया गया। इनमें सार्वजनिक निवेशों के मूल्यांकन के लिए संरचित रूपरेखाएँ शामिल थीं, जिनमें योजना की गुणवत्ता, परियोजना की तैयारी और जीवनचक्र मूल्यांकन पर जोर दिया गया था। बुनियादी ढांचा निवेशों से सार्वजनिक लाभ और ठोस परिणाम प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण विषय रहा।

चर्चाओं में एकीकृत और दीर्घकालिक योजना, टिकाऊ परिवहन प्रणालियों और प्रौद्योगिकी-आधारित शासन की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया। लेखापरीक्षा की प्रभावशीलता को मजबूत करने और निर्णय लेने में सुधार लाने के लिए वास्तविक समय डेटा सिस्टम, डिजिटल प्लेटफॉर्म और उन्नत विश्लेषण सहित डेटा-संचालित दृष्टिकोणों के उपयोग पर जोर दिया गया।

नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण एक प्रमुख प्राथमिकता के रूप में उभरा, जिसमें परिवहन प्रणालियों की सुगमता, वहनीयता, सुरक्षा और विश्वसनीयता पर जोर दिया गया। सेवा वितरण में सुधार के लिए उपयोगकर्ताओं के दृष्टिकोण से गतिशीलता प्रणालियों का मूल्यांकन करना और लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में नागरिकों की प्रतिक्रिया को शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया।

दूसरे दिन की चर्चाओं में 'समग्र सरकारी' दृष्टिकोण की आवश्यकता पर और बल दिया गया, यह स्वीकार करते हुए कि शहरी गतिशीलता के परिणामों के लिए विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों में समन्वय आवश्यक है। अलग-अलग परियोजना आकलन के बजाय प्रणाली-स्तरीय मूल्यांकन की ओर बढ़ने के महत्व पर बल दिया गया। चर्चाओं में जोखिम-आधारित, निवारक और भविष्योन्मुखी लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों की बढ़ती आवश्यकता को भी उजागर किया गया, जिन्हें डेटा और प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए।

विशेष रूप से घनी आबादी वाले शहरी वातावरण में चुनौतियों का समाधान करने के लिए नवीन और संदर्भ-विशिष्ट गतिशीलता समाधानों पर भी प्रकाश डाला गया। दीर्घकालिक स्थिरता, मौजूदा प्रणालियों के साथ एकीकरण और नागरिकों के लिए मूल्य के संदर्भ में ऐसे समाधानों के मूल्यांकन के महत्व पर बल दिया गया।

इस शिखर सम्मेलन में एसएआई की भूमिका में हो रहे बदलावों पर ज़ोर दिया गया, जिसमें पारंपरिक अनुपालन-आधारित ऑडिटिंग से हटकर अब परिणाम-उन्मुख, डेटा-संचालित और प्रभाव-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाए जा रहे हैं। शहरी चुनौतियों से निपटने के लिए एसएआई के बीच बेहतर सहयोग, ज्ञान साझाकरण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को भी सर्वमान्य माना गया।

शिखर सम्मेलन का समापन ब्रिक्स एसएआई कार्य योजना 2027-28 को अपनाने के साथ हुआ, जिसे महानिदेशक (आईआर) श्री विमलेंद्र पटवर्धन ने प्रस्तुत किया और बेंगलुरु घोषणापत्र को भी अपनाया गया, जिसे शिखर सम्मेलन में उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (मानव संसाधन) श्री के. एस. सुब्रमणियम ने प्रस्तुत किया और उस पर चर्चा की। इसमें एकीकृत, नागरिक-केंद्रित और प्रौद्योगिकी-सक्षम लेखापरीक्षा दृष्टिकोणों के माध्यम से शहरी गतिशीलता प्रणालियों में जवाबदेही को मजबूत करने के लिए ब्रिक्स एसएआई की सामूहिक प्रतिबद्धता की पुष्टि की गई।

शिखर सम्मेलन का सफल समापन ब्रिक्स एसएआई के बीच लेखापरीक्षा प्रथाओं को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है जो सतत विकास और जीवन की बेहतर गुणवत्ता में सार्थक योगदान देती हैं।

16 जून, नई दिल्ली

इससे राज्यों में वित्तीय पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता को मजबूत करने में मदद मिलेगी - के. संजय मूर्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री के. संजय मूर्ति ने राज्य वित्त पर प्रकाशन 2024-25 के तीसरे संस्करण का विमोचन किया। आज यहां उपस्थित सीएजी ने इस अवसर पर आशा व्यक्त करते हुए कहा, "आज की चर्चा से ऑफ-बजट उधारों की पहचान, प्रकटीकरण, सत्यापन और रिपोर्टिंग में सुधार के लिए व्यावहारिक और कारगर उपाय निकलेंगे। मुझे यह भी आशा है कि राज्य वित्त 2024-25 पर प्रकाशित रिपोर्ट सरकारों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और नागरिकों के लिए एक उपयोगी साक्ष्य-आधारित संसाधन के रूप में काम करेगी, जिससे राज्य वित्त की गहरी समझ विकसित होगी और सूचित राजकोषीय निर्णय लेने में सहायता मिलेगी। इस कार्यशाला में हुई चर्चा और रिपोर्ट से प्राप्त अंतर्दृष्टि, सभी राज्यों में राजकोषीय पारदर्शिता, जवाबदेही और स्थिरता को मजबूत करने में सार्थक योगदान दे सकती हैं।"

सीएजी ने आगे कहा कि यह प्रकाशन राज्यों की राजकोषीय स्थिति और वित्तीय प्रबंधन पर एक महत्वपूर्ण संदर्भ ग्रंथ के रूप में उभरा है। इस संस्करण में सभी 28 राज्यों का व्यापक और समेकित राजकोषीय अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। सीएजी ने बताया कि इसमें राज्य स्तरीय लेखापरीक्षित राजकोषीय आंकड़े संकलित किए गए हैं और यह 2015-16 से 2024-25 तक की दस वर्षीय अवधि में अंतर-राज्यीय और अंतर-कालिक विश्लेषण दोनों का समर्थन करता है।

यह प्रकाशन 2015-16 से 2024-25 तक की 10-वर्षीय अवधि में सभी 28 राज्यों की वित्तीय स्थिति का तुलनात्मक अवलोकन प्रस्तुत करता है। राज्यों के लेखापरीक्षित वार्षिक खातों के आधार पर, यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों और अन्य हितधारकों के लिए एक ही सुलभ खंड में राज्यों की वित्तीय जानकारी प्रस्तुत करता है। इसके पहले दो संस्करण, 2022-23 और 2023-24, पहले ही सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

इस प्रकाशन में राज्यों के अपने कर राजस्व के बढ़ते महत्व पर प्रकाश डाला गया है, जो 2024-25 में 28 राज्यों के कुल ₹40.52 लाख करोड़ के राजस्व का 50 प्रतिशत था। राज्यों के जीएसटी का हिस्सा राज्यों के संयुक्त कर राजस्व से 43 प्रतिशत से अधिक था।

सभी राज्यों का संयुक्त बजटीय व्यय 2024-25 में ₹51.20 लाख करोड़ रहा, जो उनके संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 15.78 प्रतिशत है। दशकीय रुझान दर्शाता है कि वेतन,

पेंशन और ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का एक बड़ा हिस्सा बने हुए हैं। 2024-25 में, इस प्रकार का निर्धारित व्यय 28 राज्यों के संयुक्त राजस्व व्यय के 43 प्रतिशत से अधिक था, जिसमें अंतर-राज्यीय भिन्नता देखी गई - नागालैंड में 74 प्रतिशत से लेकर महाराष्ट्र में 29 प्रतिशत तक।

31 मार्च 2025 तक, राज्यों की कुल देनदारियां ₹90.51 लाख करोड़ थीं। सभी 28 राज्यों में राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया।

इस अवसर पर वित्त मंत्रालय, राज्य वित्त विभागों, भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, नाबार्ड और भारत के सीएजी कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री के. संजय मूर्ति, भारत के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के अध्ययन दौरे पर आए ओमान के सर्वोच्च लेखापरीक्षा संस्थान के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे श्री मतर सैफ मुरी अलमामारी के साथ।

बारहवाँ लेखापरीक्षा सलाहकार बोर्ड

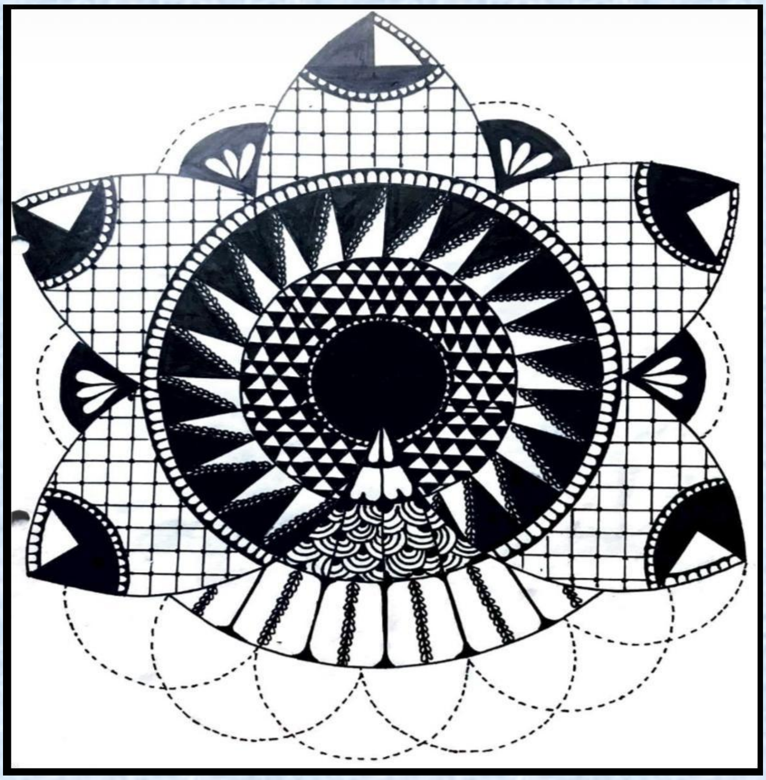

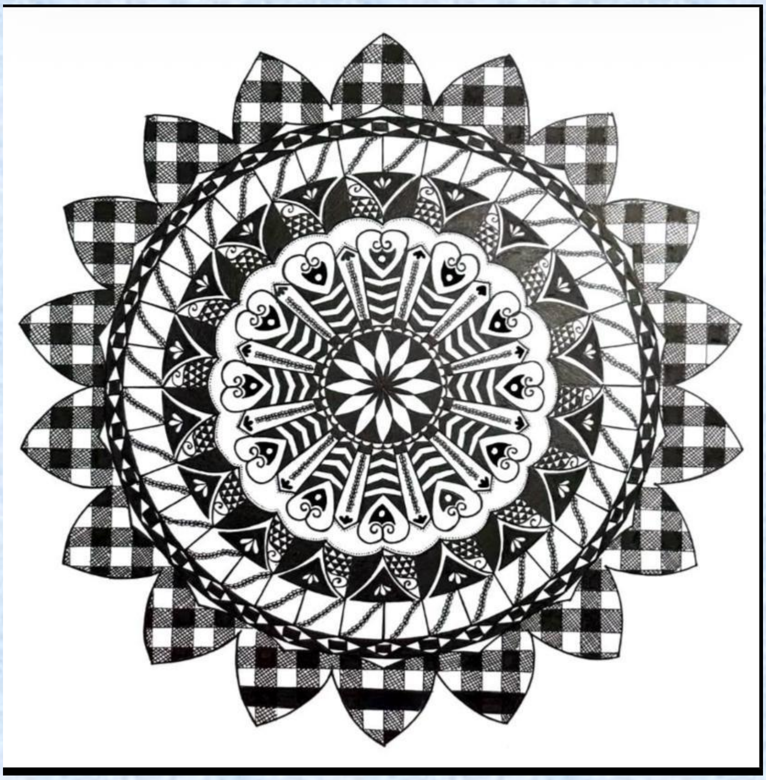

मंडला कला

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक श्री के.संजय मूर्ति कार्यालय परिसर में दक्षिण अफ्रीकी संसदीय प्रतिनिधिमंडल के साथ।

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

9, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110124